खण्ड–19, अंक–7
सोमवार, 18 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(09 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 19 में 8 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति — — —	'क'
प्रश्नोत्तर — — —	1–50
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं — — —	50
जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बी0पी0एल0 राशन कार्डों का पुनः सर्वे कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	50
राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी में फार्मेसी डिप्लोमा संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — —	51
बीरोंखाल वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत रसिया महादेव–ललितपुर क्षेत्रवासियों को पेयजल सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	51
जनपद टिहरी अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के पर्यटन क्षेत्र कैम्पटी में 03 पटवारी पुलिस क्षेत्र को समाप्त किये जाने से उत्पन्न कठिनाईयों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	52
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में नदी के कटाव के कारण बर्बाद हो रही उपजाऊ भूमि की सुरक्षा के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	52–53
वि0स0 यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नालीखाल बनचूरी भरपूर क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना — — —	53
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री चन्द्रशेखर एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्व0 श्री गोपाल राम दास के निधन पर शोकोद्गार	53–62
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं — — —	62–78
विधान सभा समितियों के गठन हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) — — —	78–79

विषय	पृष्ठ संख्या
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी हेतु मा0 सदस्य नामित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) – – –	79
वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	
अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) –	79–90
अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग (स्वीकृत) – – –	90–102
अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग (स्वीकृत) – – –	102–112
अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग (स्वीकृत) – – –	112–136
अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग (स्वीकृत) – –	136–145
अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग (स्वीकृत) –	146–163
अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (स्वीकृत) – – –	163–166
उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) –	166–168
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	168
जनपद हरिद्वार के आर0एम0पी0(पी0जी0) कॉलेज गुरुकुल नारसन सम्बद्ध एच0एन0बी0 विश्वविद्यालय की बी0एस सी0, ए0जी0 का परीक्षा परिणाम घोषित न होने से छात्रों में आक्रोश उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री हरिदास, स0वि0स0 द्वारा दी गयी नियम–53 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य – –	168
जनपद देहरादून के वि0स0 क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत ग्राम जाखन में कैनाल रोड मातावाली सुन्दरी मन्दिर के सामने रिस्पना नदी में निर्मित पुल के सम्बन्ध में श्री गणेश जोशी, स0वि0स0 द्वारा दी गयी नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य – – –	169
नत्थियां – – –	170–200

"क"

<u>उपस्थिति</u>

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री करन मेहरा
7–मि० कैरेन हिल्टन
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह राणा
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगा राम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तस्लीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड
25–श्री दिनेश अग्रवाल
26–श्री दिवाकर भट्ट
27–श्री दिवान सिंह
28–काजी मौ० निजामुद्दीन
29–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30–श्री प्रकाश पन्त
31–श्री प्रणव सिंह
32–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35–श्री बलवीर सिंह नेगी
36–श्री बिशन सिंह चुफाल
37–श्री बृज मोहन कोटवाल
38–श्री मदन कौशिक
39–श्री मयूख सिंह
40–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
41–श्री मातबर सिंह कण्डारी
42–श्री मुन्ना सिंह चौहान
43–श्री यशपाल आर्य
44–श्री यशपाल बेनाम
45–चौ० यशवीर सिंह
46–श्री रणजीत रावत
47–श्री राजकुमार
48–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
49–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
51–श्रीमती वीना महराना
52–श्री शहजाद
53–डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
55–श्री सुरेन्द्र राकेश
56–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57–श्री सुरेश चन्द्र जैन
58–डा० हरक सिंह रावत
59–श्री हरभजन सिंह चीमा
60–श्री हरिदास
61–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 09 जुलाई, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की बात कहने लगे)

*काजी मो0 निजामुददीन–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि प्रश्नकाल के बाद दस मिनट का समय देने का कष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, आज नियम–300 में आपकी जो सूचना है इसको शून्य काल के दौरान देख लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश में मार्च, 2007 से उद्योगपतियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश

**1–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मा0 मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2007 से अब तक कितने उद्योगपतियों द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी)–

मार्च, 2007 से अब तक प्रदेश में 300 उद्योगपतियों द्वारा लगभग 110 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या–01, पर श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मार्च, 2007 से कितने उद्योग लगाये गये और क्या 70 प्रतिशत राज्य के लोगों को नियुक्तियाँ दिये जाने का प्राविधान किया गया है ?

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

सरकारी वाहनों पर लाल/नीली बत्तियों के सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश

**2–श्री ओम गोपाल, श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी वाहनों में वर्ष 2001–02 में लाल/नीली बत्तियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया ?

यदि हाँ, तो इस शासनादेश के लागू करते समय सभी पहलुओं पर विचार किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधन भगत)–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सरकारी वाहनों में लाल/नीली बत्तियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश को संशोधित किये जाने का क्या औचित्य रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के परन्तुक के खण्ड (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05–02–2001 को शासनादेश संख्या 3–8/परि0सं0/उत्तरांचल/2001/245 के द्वारा लाल–बत्ती एवं नारंगी–बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 56/परि0/2003 दिनांक 7 फरवरी, 2003 के द्वारा उक्त शासनादेश में सम्यक् विचारोपरांत संशोधन किया गया है। 2 जून, 2006 के द्वारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को उनके राजकीय वाहन में लाल बत्ती टॉप पर लगाये जाने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए अधिकृत किया गया है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है अतः उत्तराखण्ड राज्य के नेता प्रतिपक्ष को भी उनके राजकीय वाहनों में लाल बत्ती टॉप पर लगाये जाने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमन्, पूर्व का शासनादेश था जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक लालबत्ती अपने बोनट पर लगा सकते हैं लेकिन फिर यह व्यवस्था दी गयी कि चूँकि लालबत्ती बोनट के ऊपर लगाने का प्राविधान नहीं था इसको दृष्टिगत रखते हुए 2 जून, 2006 को संशोधित शासनादेश निकाला गया कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अपने वाहनों पर लालबत्ती लगा सकते हैं और इस तरह से वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद् के सदस्य, राज्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा न्यायिक सेवाओं में कार्यरत जिला जज स्तर के ऊपर के अधिकारी। श्रीमन्, वर्तमान में यह व्यवस्था परिचालन में है।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, प्रोटोकॉल के अनुरूप क्या विधायक, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कम है ?

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, जो वर्तमान में व्यवस्था है उसके अनुसार आपको जानकारी दे दी गयी।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री सुरेन्द्र राकेश-

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

जनपद हरिद्वार के किसानों को नलकूप कनेक्शन आवंटन हेतु नीति

*2-श्री प्रणव सिंह-

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि ऊर्जा विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार के निजी नलकूप कनेक्शन आवंटन हेतु नीति तैयार न किये जाने के कारण गत वर्ष में पंजीकृत कनेक्शन अभी तक किसानों को जारी नहीं किये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है ?

क्या सरकार लोकहित में निजी नलकूप कनेक्शन हेतु अविलम्ब नीति तैयार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु नई नीति प्रख्यापित की गई है तथा कनेक्शन लगातार दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार नीति तैयार होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त वर्णित स्थिति के कारण।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में क्या नीति है और वहाँ पर कितनी ऐसी एप्लिकेशन नलकूप लगाने की पेन्डिंग है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस समय वर्तमान में जो हरिद्वार जनपद के लम्बित प्रकरण हैं वह वर्ष 2006–07 में 811, और वर्ष 2007–08 में 965 प्रकरण लम्बित हैं। इसी प्रकार जो स्वीकृत है और लम्बित है उसमें वर्ष 2006–07 में 739 जिस पर अनुबन्ध है 415 और सामग्री निर्गत की गयी 385 और उपभोक्ताओं की ओर से कार्य अपूर्ण 258 मिले हैं तथा 315 प्रकरण ऐसे हैं जो अवमुक्त हुए। मान्यवर, वर्ष 2007–08 में लम्बित प्रकरण 965 हैं और 287 ऐसे प्रकरण हैं जो लम्बित स्वीकृत हैं तथा 187 ऐसे प्रकरण हैं जिन पर अनुबन्ध हैं एवं 133 प्रकरण पर सामग्री निर्गत की जा चुकी है तथा उपभोक्ताओं की ओर से 135 कार्य अपूर्ण हैं एव 72 मामले अवमुक्त किए जा चुके हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सन् 2006 से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वर्ष 2007 की एप्लिकेशन को टेकअप कर लिया गया है जबकि यह व्यवस्था है कि एप्लिकेशन सीरियल से ली जायेगी और कनेक्शन सीरियल से दिये जायेंगे। मान्यवर, वर्ष 2006 की एप्लिकेशन पेन्डिंग है और 2007 की एप्लिकेशन ले ली गयी है। यह घोर अनियमितता है।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके पास जानकारी है वह सत्य नहीं है, आपकी जानकारी में आपको बताया गया है कि अनुबन्ध हो गये हैं, जबकि काश्तकार परेशान हैं, वहाँ वर्ष 2005 तक के पेन्डिंग हैं, तो यह अनियमितता क्यों है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार कनेक्शन दिये गये थे, वह संख्या सभी को मिलाकर है। मान्यवर, आपने कहा कि यह उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का 26 फरवरी, 2007 का क्रम, वर्तमान व्यवस्था है जिसका जिक्र मूल प्रश्न में किया गया, जो 21–7–2004 से प्रभावित हुई है, इसलिए जो व्यवस्था है उसके आधार पर होगा।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में कनेक्शन बढ़ाने की घोषणा की गयी थी, वह सरकार द्वारा लागू किया गया था, जो स्वीकृत नलकूप के कनेक्शन हैं उनमें बड़ी मात्रा में लोगों को खम्भे नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नही है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह नलकूपों के कनेक्शन की बात थी, क्या उसको सरकार लागू कर रही है ? यह निजी नलकूपों की घोषणा थी, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि खम्भों की नितान्त आवश्यकता है, यह खम्भे कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे, जो टेण्डेंसी ऊधमसिंह नगर की है ?

श्री अध्यक्ष–

जो स्पेसिफिक प्रश्न जनपद हरिद्वार से सम्बन्धित था और जनपद हरिद्वार से सम्बन्धित उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया और दूसरा यह था कि लोगों के हित में निजी कनेक्शन हेतु तैयार करेंगी, यह भी माननीय मंत्री जी ने बताया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होती है, उनके अनुरूप कार्य संचालित होता है और जो घोषणा की गई है उसके क्रम में अवगत कराना चाहूँगा कि कार्य तभी प्रचलित होता है। (व्यवधान)

*श्री हरिदास–

मान्यवर, किसान द्वारा 2006–07 में एप्लिकेशन दी गई थी और 2007–08 के स्वीकृत कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 2006–07 में दिया गया था क्या उनको कनेक्शन नहीं दिये जाने चाहिए थे ? क्या सरकार कनेक्शन दिलवायेगी और दिलवायेगी तो कब तक ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो अग्रेता सूची के आधार पर दिये जाते हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जब 2006 का पूरा नहीं हुआ है तो 2007 का कैसे पूरा हो जायेगा ?

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऐसा कोई प्रकरण माननीय सदस्य अवगत करायेंगे तो देखेंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, 2006–07 का नहीं दिया और 2007–08 का दे रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि किसानों को कनेक्शन दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें अग्रेतर सूची लिये जाने का प्राविधान है। जितने ग्राम में वर्ष 2005–06 के जितने प्रकरण लम्बित होंगे उनको लिया जायेगा। उसके बाद ही वर्ष 2006–07 के प्रकरण लेंगे। यदि इसमें कोई अनियमितता हुई है तो उसको संज्ञान में लेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इन गांवों को कब तक लेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शीघ्र से शीघ्र।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कोई एक निश्चित तिथि बता दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यथाशीघ्र ......। (व्यवधान)

प्रदेश में समूह 'ग' व 'घ' के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर मूल प्रमाण निवास पत्र की प्रस्तुती पर विचार

*3–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों पर नियुक्त प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किये जाने की योजना पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो शासनादेश कब तक जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

समूह 'ग' तथा समूह 'घ' श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र दोनों की ही आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य ओम गोपाल जी का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित थे।) .... (व्यवधान)

उत्तरकाशी स्थित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निर्माण में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री से हो रहे भवनों के नुकसान की क्षतिपूर्ति

*4–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में लोहारीनाग पाला, पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निर्माण से निर्माण कम्पनियों द्वारा उच्च क्षमता के विस्फोटक सामग्री का उपयोग किये जाने से ग्राम मुक्की, सालंग हुरी तथा आसपास के अन्य गांवों में स्थित भवनों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे ग्रामीण काश्तकारों में भय व्याप्त है तथा ग्रामीणों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है ?

क्या सरकार प्रभावित गांवों की जाँच करवाकर प्रभावितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

ऐसी स्थिति नहीं है। लोहारी नागपाला परियोजना के सम्बन्ध में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स से जाँच कराई गई, जिसके आधार पर वर्णित गाँवों के भवनों में दरारें पड़ने की बात प्रमाणित नहीं हुई। पाला मनेरी में अभी मुख्य निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उक्तानुसार क्षतिपूर्ति की माँग का आधार नहीं बनता है।

उक्तानुसार आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उक्तानुसार।

*श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स से जांच कराई गयी है ? क्या यह इस सम्बन्ध में कराई गई है कि जो भूमि क्षेत्र के लोगों के गांव से सम्बन्धित है। क्या सरकार द्वारा वहां भी भू–उपकरण लगाये जायेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब भी कोई ऐसी शिकायतें आती हैं, उसकी जांच तकनीकी स्तर पर की जाती है, फिर उस पर निगरानी रखी जाती है और समस्या का समाधान किया जाता है। जहां तक माननीय विधायक जी ने कहा कि इसमें लगातार निगरानी रखी जाय और उच्च तकनीकी जांच करायी जाय। मान्यवर, जहां पर भी होगा परीक्षण और निगरानी की जायेगी। यह जिम्मेदारी स्वयं विभाग की है कि कहीं पर कोई व्यवधान न आने पाये।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मटू भाई"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र .... (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इस समय प्रश्न संख्या–04 चल रहा है।

प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने पर विचार

*5–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रदेश के किन–किन क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित थे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा समाप्ति विषयक

*6–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन-किन तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा लागू की गयी है ?

क्या सरकार इन शिक्षण संस्थानों में से ठेकेदारी प्रथा/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा को समाप्त कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थायी रूप से किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त, स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग संस्थानों–गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी), कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर में ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा लागू है।

गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी) एवं कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा में कार्मिकों की नियुक्ति कॉलेज द्वारा बायलॉज के अनुसार तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर द्वारा "गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय" पन्तनगर से सम्बद्ध होने के कारण विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कर्मचारी ठेकेदारी या प्रोवाइडर प्रथा द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। क्या इनके लिए ई0पी0एफ0 या भविष्य निधि की व्यवस्था उपलब्ध है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग संस्थानों गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज से सम्बन्धित होना चाहिए, यह विश्वविद्यालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नियमों के अनुसार होता है, उसी के अनुसार कार्यवाही संचालित होती है। यदि कहीं इसका उल्लंघन होता है तो, इसका परीक्षण किया जाता। जिन कर्मचारियों की बात माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी है। इन कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 या भविष्य निधि कट रहा है या नहीं इसका परीक्षण कराया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनके लिए ई0पी0एफ0 या भविष्य निधि की सुविधा अनुमन्य है कि नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूंकि यह निर्णय सर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाता है। मान्यवर, यदि ई0पी0एफ0 या भविष्य निधि के लिए विश्वविद्यालय को कोई कठिनाई न हो तो उसका परीक्षण किया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कर्मचारी लगभग 68 कर्मचारी सर्विस/प्रोवाइडर ठेकेदारी के माध्यम से रखे गये हैं, उनका ई0पी0एफ0 कटता है और इसके पूर्व कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि हमारा ई0पी0एफ0 और भविष्य निधि नियमित नहीं कट रहा है।

मान्यवर, इन्होंने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से इस सन्दर्भ में जानकारी चाही तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से सूचना के तहत जानकारी मांगी तो इस कार्यालय द्वारा जो सूचना मुहैया करायी गयी, उससे पता चला कि जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनमें से किसी के नाम पर भी ई0पी0एफ0 जमा नहीं किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि यह साफ–साफ चार सौ बीसी, फोर्जरी का प्रकरण बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी हैं। इनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपका निर्देश चाहूँगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो वर्तमान में जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर प्रथा लागू है। यहां पर वर्तमान में 99 कर्मचारी हैं। इसमें मुख्यतः संस्थान की सुरक्षा एवं सफाई आदि की व्यवस्था हेतु ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर व्यवस्था के अन्तर्गत कार्मिकों की नियुक्ति की

गई है। कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा में 67 कार्मिक हैं, संस्थान की सुरक्षा, माली, अनुसेवक एवं सफाई व्यवस्था हेतु ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर व्यवस्था के अन्तर्गत कार्मिकों की नियुक्ति की गई है। प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर में 51 कार्मिक संस्थान में प्रयोगशाला सहायक, स्वच्छक, श्रमिक कार्यों आदि हेतु ठेकेदारी/सर्विस प्रोवाइडर व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून स्वायत्तशासी संस्था है। इसमें ठेकेदारी सर्विस प्रोवाइडर लागू नहीं होता है। इस महाविद्यालय द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि इसके कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 नहीं कटता है। यदि इसमें श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा होगा तो इसका परीक्षण करा लिया जाएगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, ई0पी0एफ0 तो कटता है, लेकिन इन कर्मचारियों के नाम से नहीं कटता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि ई0पी0एफ0 तो कट रहा है, लेकिन दूसरे के नाम से जमा हो रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–*

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा बहुत ही गम्भीर विषय संज्ञान में लाया गया है। इस विषय पर हम तत्काल जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, इन्होंने जो सूची कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में दी है, वह माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आप वह सूची माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजिएगा।

प्रदेश में स्थापित लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन

*7–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थापित लघु जल विद्युत परियोजनायें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन कर रही हैं ?

यदि नहीं, तो कौन-कौन सी परियोजनायें ऐसी हैं जो लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही हैं, तथा उनमें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी-

कतिपय परियोजनाओं में लक्ष्य से कम उत्पादन हो रहा है।

सूची संलग्न है।•

जिन परियोजनाओं में नियंत्रण किये जा सकने वाले कारणों से उत्पादन कम है, उस हेतु अध्ययन किया जा रहा है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कुल कितनी लघु विद्युत परियोजनाएं इस समय प्रदेश में हैं ? उत्तर में कहा गया कि कतिपय परियोजनाओं में लक्ष्य से कम उत्पादन हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण प्रदेश में कितनी विद्युत परियोजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, वर्तमान में 72 विद्युत परियोजनाए स्थापित हैं। इनका उत्पादन 77.25 मेगावाट है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मूल प्रश्न में आगे मैंने पूछा था कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? उत्तर से स्पष्ट होता है कि इस समय सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिन-जिन परियोजनाओं में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इनके लिए सरकार वास्तविक रूप से क्या प्रयास करेगी ? इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी उपलब्ध करा दें।

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की परियोजनायें हैं, जिनकी संख्या-38 है। दूसरी कैटेगरी में वह परियोजनायें हैं जो उरेडा द्वारा संचालित की जाती हैं, उनकी संख्या-32 है। तीसरी कैटेगरी में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित परियोजनायें हैं, जिनकी संख्या-2 है। वर्तमान में लक्ष्य के सापेक्ष जो उत्पादन हो रहा है जिसमें कुछ परियोजनाओं में उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष कम हो रहा है। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा संचालित 12 परियोजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन कम हो रहा है, जिसकी सूची सरकार द्वारा उत्तर के साथ संलग्न की गई है। इसी प्रकार से उरेडा द्वारा संचालित 30 परियोजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष कम उत्पादन

• (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 170-172 पर)

हो रहा है, उसकी भी सूची हमने संलग्न की है। इनमें उत्पादन कम होने के कुछ कारण हैं, तकनीकी कारण हैं, जो पहला कारण है वह है जल स्राव, बरसात के दिनों में सेल्टिंग ज्यादा होने के कारण परेशानी हो जाती है। कुछ परियोजनाओं में तकनीकी खराबी के कारण कम उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार जो उत्पादन कम हो रहा है, उसके लिए हमने उत्तर में भी कहा है कि इसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका परीक्षण कर रहे हैं। राज्य में जिन परियोजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष कम उत्पादन हो रहा है, इसके प्रति सरकार गम्भीर है, यह अपना उत्पादन कर सकें और जिन उद्देश्यों के लिए यह योजनायें संचालित की गई हैं, वह सफल हो। लक्ष्य से कम जिनमें उत्पादन हो रहा है, उन कारणों का पता चलने के बाद इनको सुधारने के लिए सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी।

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में जो उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उसमें कुल क्षमता 77.25 मेगावाट बताई गई है, लेकिन कितना उत्पादन हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसकी भी जानकारी सदन को दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, *उत्तर में जो सूची संलग्न की गई है, उसमें उत्पादन भी बताया गया है, मैं उसे बता देता हूँ माननीय सदस्य उसे जोड़ लें। इसमें जो उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की योजनायें हैं, उसमें लघु जल विद्युत योजना कुलागाड, पिथौरागढ़ का उत्पादन 3.32 मेगावाट है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, यह तो सूची में है ही, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि 3 तरह की कैटेगरी है, उसमें से दो कैटेगरी का तो आपने सूचना दी है, लेकिन तीसरी कैटेगरी की कोई सूचना नहीं दी है, यह तो उत्तर ही अपूर्ण है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सूचना अपूर्ण नहीं है। पहली योजना में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की 32 योजनाओं में से 12 के उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष कमी है, उरेडा द्वारा संचालित 38 हैं, जिनमें से 32 योजनाओं में कमी है और तीसरी जो निजी क्षेत्र की दो योजनायें हैं, इन दो योजनाओं में उत्पादन 6.8 मेगावाट है, जिसके आधार पर यह अपना कार्य संचालित कर रही है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की जो 38 योजनायें हैं, इनमें दिक्कत है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसी में भ्रान्तियां हैं। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम की जो परियोजनायें हैं उनकी क्षमता और उत्पादन की तो सूची दी गई है। लेकिन जो उरेडा द्वारा संचालित हैं, उनकी सिर्फ क्षमता ही क्षमता दी गई है, उत्पादन नहीं बताया गया है। निजी क्षेत्र की जो 2 योजनायें हैं, जिनकी जानकारी अभी सदन में दी गई। उसके लक्ष्य के बारे में नहीं बताया गया है, क्षमता बताई गई है और उत्पादन उनका भी नहीं बताया गया है। यह जानकारी तो अपूर्ण है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जानकारी अपूर्ण नहीं है। जो उरेडा द्वारा परियोजनायें संचालित की जाती हैं, उनको वह ग्राम सभाओं को वह योजनायें देते हैं।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, वह तो ठीक है, वह किसी को भी दें, लेकिन यह प्रश्न मेरा नहीं है। मेरा प्रश्न है कि उन योजनाओं में उत्पादन कितना हुआ है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दिया जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनको ग्राम पंचायतें संचालित करती हैं (व्यवधान) ये श्रीमन्, मैं बता रहा हूं उरेडा जो योजनाएं बनाता है तो उनको बनाने के बाद ग्राम पंचायतों को दे देता है। जैसे केदारनाथ की योजना बनी तो वह उसे दे दी गयी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न में भी नहीं पूछा गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसमें अन्त में पढ़ें, एक नोट लिखा हुआ है। उरेडा द्वारा संचालित योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित हो जाती हैं। (व्यवधान) इसमें ग्राम पंचायतों का हस्तक्षेप रहता है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में उरेडा के माध्यम से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसकी जानकारी तो सरकार को होनी चाहिए। क्या सरकार इसकी जानकारी नहीं रखेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनकी क्षमता के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा उत्तर आने दें। अब माननीय सदस्य अगर सुनना ही नही चाह रहे हैं।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, ग्राम पंचायतें क्या बिना लेखे–जोखे के चल रही हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उरेडा की जो परियोजनाएं हैं, वे छोटी परियोजनाएं हैं। उनको उनकी क्षमता के आधार पर स्थापित किया जाता है और वे ग्राम पंचायतों की मांग के अनुसार उत्पादन करती हैं।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, ग्राम सभा के पास अगर 10 रुपया भी आता है तो उसका भी लेखा–जोखा रखा जाता है, उसका भी ऑडिट किया जाता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वे 30 परियोजनाएं हैं और ये 30 परियोजनाएं अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इनमें लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पा रहा है। बरसात के समय नदियों में अधिक पानी हो जाने के कारण भी उत्पादन पूरा नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है कि जो नदियों को आपस में इन्टरलिंक करने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित है। हमारे प्रदेश में दो प्रकार की नदियाँ हैं एक तो ग्लेशियर से और दूसरा स्रोतों से निकलती हैं। गर्मियों में स्रोतों वाली नदियाँ सूख जाती हैं और ग्लेशियर वाली नदियों में प्रवाह ज्यादा रहता है क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलता है। अगर हम दोनों नदियों को इन्टरलिंक कर दें तो साल भर नदियों में प्रवाह बना रहेगा, जिसके कारण चाहे लघु विद्युत परियोजना हो, चाहे अन्य बड़ी विद्युत योजना वह उत्पादन करेगी। उदाहरण स्वरूप पिण्डर नदी, गगास नदी, कोसी तथा रामगंगा में टनल बनाकर जोड़े जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना बनाये जाने का विचार है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जो सरकार ने तय किया है, रन ऑफ रिवर लघु विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में मैंने सम्मानित सदन को जानकारी दी है, उनका उत्पादन कम होने का जो विषय है। इसको हम गम्भीरता से ले रहे हैं और अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में तत्काल अविलम्ब कार्यवाही करें। विगत वर्ष उत्पादन कम होने के कई कारण रहे हैं हम इन सभी कारणों का निराकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री रावत जी का जो प्रश्न उरेढा से सम्बन्धित है उसकी जानकारी है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो उपलब्ध करा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का देहावसान हुआ है और सात दिन का राष्ट्रीय शोक भी है। मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा और जानकारी चाहूँगा कि दो सरकारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, जिनमें सम्भवतः एक माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जिनमें राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, ऐसे में ये राष्ट्रीय ध्वज रहेगा या नहीं रहेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, राष्ट्रीय शोक घोषित है, ध्वज झुक गया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, दो सरकारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं दिखवा लूंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, हमारे यहाँ जो बमगाड़ परियोजना है, उसमें कितना काम हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रश्न लघु विद्युत परियोजना का है और यह जल विद्युत परियोजना है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, मैं बमगाड़ परियोजना की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान) क्या सरकार इसको शुरू करेगी या नहीं करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

*श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार की पथरी लघु विद्युत योजना का नाम इसमें नहीं है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पूरी जानकारी नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष–

इसकी जानकारी पूरी दे दी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बमगाड़ परियोजना पंचेश्वर बांध से प्रभावित है तथा महाकाली नदी से सम्बन्धित है, के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वह लघु परियोजना में नहीं आता है।

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, मैं सरकार से जानकारी लेना चाहता हूँ कि उस परियोजना की स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि वह लघु जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि वह लघु जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत नहीं आ रहा है।

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, एक परियोजना जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत नारसन क्षेत्र के मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना है मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उस परियोजना का उत्पादन लक्ष्य क्या है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस परियोजना की बात कर रहे हैं वह 25 मेगावाट से कम विद्युत उत्पादन कर रहा है और यह जनपद हरिद्वार में लघु जल विद्युत योजना स्थापित नहीं है इससे अधिक स्थापित उत्पादन करने वाले परियोजना को जल विद्युत परियोजना कहा जाता है।

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, यह 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है।

जौनपुर क्षेत्र के (सकलाना) क्षेत्र को ओ0बी0सी0 की परिधि में शामिल किए जाने हेतु शासनादेश

*8–श्री खजान दास–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि शासनादेश संख्या–270/सा0क02004/376(समाज कल्याण) 2003, दिनांक 31–01–2004 से (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची एक की प्रविष्टि 83 में रवॉल्टा/जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि जौनपुर विकास खण्ड का एक हिस्सा जो सकलाना पट्टी के नाम से जाना जाता है को ओ0बी0सी0 के लाभ से वंचित कर दिया गया है ?

क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि सकलाना जौनपुर विकास खण्ड का अहम हिस्सा है तथा सकलाना की बोली–भाषा, रीति–रिवाज, रहन–सहन एक ही प्रकार के हैं तथा उक्त सकलाना क्षेत्र सहित जौनपुर एवं रवाई क्षेत्र के लोग वर्ष 1953 से जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं ?

जौनपुर क्षेत्र के (सकलाना) क्षेत्र को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाना न्याय संगत है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सकलाना क्षेत्र को ओ0बी0सी0 की परिधि में शामिल करने का शासनादेश जारी करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजय टम्टा–

जी हाँ।

क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर यथासम्भव प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रम में नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 की जिला योजना संरचना में तद्नुसार समस्त जिलाधिकारियों को मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मानकों के अनुसार सर्वप्रथम किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने हेतु यह अनिवार्य है कि क्षेत्र की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री खजान दास–

मान्यवर, यदि सकलाना को ओ0बी0सी0 से वंचित कर दिया गया है तो क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के क्या निर्णय सरकार द्वारा लिये गये ? जिला योजना में जिलाधिकारी को क्या मार्ग निर्देश दिये गये ? यदि भारत सरकार द्वारा मानकों के आधार पर सर्वप्रथम किसी क्षेत्र को जनजाति घोषित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 और 29 नवम्बर, 2002 को प्रदेश के धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ, मोरी, पुरोला, नौगांव, जौनपुर आदि 7 विकासखण्डों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में संकल्प पारित किया, एक बार भी नहीं अपितु दो–दो बार, क्या उसमें 50 प्रतिशत जनसंख्या का ध्यान रखा गया था। सकलाना यदि ओ0बी0सी0 से वंचित है तो वहां पर क्षेत्र के लोगों को ओ0बी0सी0 के प्रमाण–पत्र किन मानकों के आधार पर दिये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि उनकी संख्या क्या है ? कुछ समय पश्चात प्रमाण–पत्र निर्गत करने के बाद बन्द करने के क्या कारण थे ? मान्यवर, यदि रवाल्टा व जौनपुरी समुदाय के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये तो एक ही परिवार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक भाई को तो प्रमाण–पत्र मिल गया किन्तु दूसरे सगे भाई को प्रमाण–पत्र निर्गत किन कारणों से नहीं किये गये। क्या उसमें जौनपुर समुदाय के लक्षण मौजूद नहीं मिले, जबकि दोनों के माता–पिता एक ही थे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है जैसाकि मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है इसको दृष्टिगत रखते हुए सकलाना क्षेत्र सहित जौनपुर एवं रवाई क्षेत्र के लोग उक्त क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मानकों के अनुसार सर्वप्रथम किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने हेतु यह अनिवार्य है कि वह क्षेत्र की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसी संदर्भ में पूर्व में भी जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला एवं मुन्स्यारी एवं जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने के सम्बन्ध में वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड विधान सभा के तृतीय–सत्र में दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को पारित संकल्प अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को वर्ष 2001 में प्रेषित किया गया था। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 29 मई, 2003 द्वारा स्पष्ट किया है कि किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। श्रीमन्, और जो माननीय सदस्य द्वारा प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित सूचना मांगी गयी है तो इस सम्बन्ध में दिनांक 16 फरवरी, 2005 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर रवाल्टा–जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है इस प्रकार यदि सकलाना क्षेत्र में कोई व्यक्ति रवाल्टा–जौनपुरी समुदाय का सदस्य निवासरत है तो वह भी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र पाने का हकदार है बशर्ते राजस्व अधिकारियों की स्थानीय जांच के आधार पर ऐसे व्यक्ति में रवाल्टा–जौनपुरी समुदाय के चिन्हीकरण के सभी लक्षण व संकेत मौजूद हों।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक बात सगे भाईयों के बारे में कही है कि एक भाई को प्रमाण–पत्र मिल गया है और दूसरे को नहीं मिला है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य इसकी जानकारी हमें दे दें। हम इसको दिखवा लेते हैं।

श्री खजान दास–

मान्यवर, पूर्व की सरकार द्वारा रवाल्टा–जौनपुरी को पिछड़े वर्ग का प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में आदेश किया गया उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गयी कि सरकार ने निर्देश दिया कि प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाए। ऐसा ही जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सभी लक्षण और संकेत मिलने चाहिए तो एक भाई में मिल गया और दूसरे भाई में जो जौनपुरी समुदाय का है और वही निवास करता है उसके लक्षण नहीं मिले।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जानकारी करा लेंगे।

*श्री केदार सिंह–

मान्यवर, पूर्व सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एस0सी0पी0 और एस0टी0पी0 प्लान चलाए गए थे और उन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से परियोजनाएँ चलाई गयी तो क्या यह सरकार पिछड़े वर्ग के लिए और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना अलग से चलाने के लिए विचार कर रही है और क्या नई मदों में इसका सृजन किया है ? एस0एन0डी0 की मदों से स्पष्ट है कि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कोई बजट का प्राविधान नहीं किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने उत्तर में स्पष्ट किया था कि वर्ष, 2007 में जिला योजना संरचना में जिला योजना से स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि इस क्षेत्र के लिए अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर यथा सम्भव प्राथमिकता दी जाए और सरकार की प्रतिबद्धता है कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में विकेन्द्रीकरण का सृजन करें।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, क्या उनके विकास के लिए एस0एन0डी0 में कोई सृजन है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम विकेन्द्रीकरण उत्तराखण्ड राज्य में करें और कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रह जाये, सब विकास की धारा में आ जायें।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, उत्तरकाशी, टिहरी जनपद में जैसे रवाल्टा–जौनपुरी का क्षेत्र है उसमें पहले से ही पिछड़ा वर्ग है, क्या सरकार उनको एस0एन0डी0 में कोई विकास योजना सृजित करेगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्तमान में बजट के समय चर्चा में विषय उठेगा और जो जानकारी दी गई है उसका परीक्षण करेंगे।

*9–श्री खजान दास–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रोन्नति की प्रक्रिया

*10–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस विभाग के नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, अभिसूचना विभाग, सतर्कता विभाग में कुल ऐसे कितने सिपाही हैं, जिन्होंने सन्तोषजनक 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर प्रोन्नत वेतनमान रू0 5500–9000 भी प्राप्त कर लिया है किन्तु अभी तक सिपाही के पद पर ही नियुक्त है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे आरक्षियों को इतनी लम्बी सेवा अवधि बीतने के बाद भी प्रोन्नति न दिये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे आरक्षियों को प्रोन्नति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त विभागों में मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं और कब से ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

पुलिस विभाग में नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, अभिसूचना, सतर्कता में 409 सिपाही हैं, जिन्होंने 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर प्रोन्नत वेतनमान रुपया 5500–9000 प्राप्त किया है।

कान्स0 से हे0 कान्स0 के पद पर पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नवत है :–

(क) उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात हे0 कान्स0 (विशेष श्रेणी) के 359 पद नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस शाखा में स्वीकृत किये गये हैं। इन पदों के सापेक्ष वर्ष 2005 में 359 आरक्षियों को हे0 कान्स0 (विशेष श्रेणी) के पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है।

(ख) वर्ष 2006 में हे0 कान्स0 की रिक्तियों के सापेक्ष 607 आरक्षियों को हे0 कान्स0 के नियमित पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है।

(ग) शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार 50 प्रतिशत रिक्तियों के सम्मुख प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से कान्स0 को हे0 कान्स0 के पदों पर प्रोन्नति प्रदान

की जानी है, किन्तु इनमें से 313 हे० कान्सा० ने कनिष्ठतम के आधार पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य में आगमन करना है। इन कार्मिकों के आगमन करने के पश्चात ही प्रान्तीय योग्यता परीक्षा एवं वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों के समक्ष कान्सा० को हे० कान्सा० के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जानी सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में निरीक्षक के 50, उप निरीक्षकों के 477 तथा हे० कान्सा० के 405 पद माह मई 2007 से उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के पश्चात रिक्त है।

(तारांकित प्रश्न संख्या–10, 11 के लिए माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

सिडकुल एल्डिको परियोजना घोटाला जाँच हेतु गठित वर्मा कमेटी का कार्यकाल एवं जाँच के बिन्दु

*11–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सिडकुल एल्डिको परियोजना घोटाला की जाँच हेतु वर्मा कमीशन का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जाँच हेतु क्या–क्या बिन्दु निर्धारित किये गये हैं ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सिडकुल में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु गठित श्री अरविन्द वर्मा, कमीशन का कार्यकाल तीन माह निश्चित किया गया है। यथा आवश्यकता आयोग का कार्यकाल अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जाँच हेतु निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित हैं–

1–भूमि आवंटन के प्रकरण में निदेशक मण्डल/शासन द्वारा निर्धारित मानक के सापेक्ष वास्तविक आवंटन की प्रक्रिया का परीक्षण।

2–अवस्थापना विकास में स्थापित मानकों पर पारदर्शिता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया की स्थिति।

3–सिडकुल के कार्यकलापों में अपनाई गई प्रक्रिया, अनुबन्धों तथा वास्तविक क्रियान्वयन का परीक्षण।

4–अन्य अनियमिततायें जो आयोग के संज्ञान में जांच के दौरान आयें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या–11 के सम्बन्ध में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि जो वर्मा कमीशन का गठन हुआ उसमें सिडकुल एल्डिको परियोजना में अनियमितता की जाँच की बात है, तो प्रदेश सरकार द्वारा कब निजी इन्डस्ट्री क्षेत्र घोषित हुये हैं, क्या वर्मा कमीशन में निजी इन्डस्ट्री क्षेत्र को सिडकुल द्वारा मान्यता दी गई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं पहले तारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर तो पढ़ दूँ।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्नकर्ता यहाँ पर उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब माननीय सदस्य यहाँ सदन में उपस्थित न हो तो उनका प्रश्न नहीं लिया जाता है, या तो माननीय सदस्य द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया हो तो लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अपवाद के रूप में एक अनुपूरक प्रश्न लिया है।

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री प्रकाश पन्त जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर पढ़ा गया।)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि वर्मा आयोग में निजी इन्डस्ट्री स्टेट जो सिडकुल द्वारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, उसको अनुमति दी गई है, तो उसे उस परिधि में लिया जायेगा या नहीं, अवस्थापना विकास के बारे में जाँच होगी ? मान्यवर, जो हमारे संज्ञान में है, जितने भी निजी इण्डस्ट्रियल संस्थान आ रहे हैं, इनमें अवस्थापना का विकास नहीं हो रहा है। मान्यवर, इन संस्थानों में बिजली, पानी, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। इन अनियमितताओं की जाँच की जाय। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि यह व्यवस्था यहाँ पर अविलम्ब की जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में भी लिखा है कि सिडकुल में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु सचिव श्री अरविन्द वर्मा, कमीशन का कार्यकाल तीन माह निश्चित किया गया है। मान्यवर, सिडकुल के तहत जो भी औद्योगिक संस्थान हैं उनकी जाँच के लिए वर्मा कमीशन है। यदि इसके अलावा कोई अनियमितता हो तो माननीय सदस्य बतायें हम जाँच करवा देंगे।

उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (उडा) के निर्माण पर विचार

*12–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के शहरों में हो रहे अनियोजित विकास की समस्या के समाधान हेतु पूर्व में उ0प्र0 सरकार द्वारा बनाये गये देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल विकास प्राधिकरणों को समायोजित करते हुए उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (उडा) का निर्माण किये जाने हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं विशेषकर जो छोटे–बड़े शहर हैं, इनके विकास के लिए चारों तरफ अनियोजित ढंग से बसी बढ़ी कालोनियों से यह समस्या हो रही है और इन कालोनियों में जो कालोनी बसाने वाले प्रापर्टी डीलर्स हैं इनकी कोई नीति नहीं है। इन जगहों पर न बिजली है, न पानी है और न सीवरेज की ही व्यवस्था है। इन गली मुहल्लों में रास्तों की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, दो एकड़–तीन एकड़ ज़मीन लेकर छोटे–छोटे प्लॉट करके ये लोग पैसा कमाने के लिए उनके छोटे–छोटे प्लॉट बनाकर बेच देते हैं। इसके बाद जो लोग इन प्लॉटों को खरीदकर वहां पर मकान बनाते हैं। इसके बाद इनके सामने बिजली, पानी, सड़क, सीवर की समस्या आ जाती है। इसके लिए नगरपालिका की ज़िम्मेदारी आती है, क्योंकि वह अविकसित ढंग से होता है। इस वजह से मेरा कहना है कि क्या सरकार जिस तरह से हमारे समीपवर्ती प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ने अपने–अपने प्रदेश में अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी बनायी है, और उसको ये अधिकार दिये हैं कि शहरों के चारों तरफ

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालोनियां सुनियोजित ढंग से बसें और इससे उन प्रदेशों को बड़ी आय भी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार भी यहां पर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने पर विचार कर रही है ? जैसे पूर्व में उत्तर प्रदेश के समय में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार प्राधिकरण को समायोजित करके एक प्रदेश लेबल की अर्बन डेवलपमेंट बनाने का सरकार का उत्तर है, प्राधिकरण विचाराधीन है। मेरा कहना है कि विचाराधीन की क्या कोई सीमा है, इस पर अभी तक सरकार ने क्या बनाया है ? इसके लिए सरकार कितनी चिंतित है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि यहां पर उत्तरांचल अर्बन डेवलपमेंट गठित किया जाय। इस सम्बन्ध में पूर्व में जो कार्यवाही की गयी, उसकी जानकारी देना चाहता हूं। यह विषय बार–बार यहां पर उठता रहा इसमें तत्कालीन माननीय मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 09–02–2002 को एक निर्णय लिया था।

मान्यवर, जिस निर्णय के आधार पर उत्तराखण्ड नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम के तहत यह तय करते हुए आवास विकास का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त अधिनियम तैयार करने के लिए 4 जनवरी, 2003 को तत्कालीन माननीय मंत्री, शहरी विकास की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 13 सदस्य नामित किये गये। मैं समझता हूं कि इस समिति के विषय में विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस समिति के माननीय सदस्यों के नाम मेरे पास हैं। माननीय मंत्री जी को मिलाकर कुल 14 सदस्य इस कमेटी में थे। यह कमेटी 4 जनवरी, 2003 को स्थापित हुई। विगत वर्षों में इस समिति के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, इसकी कोई रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं हो पायी है। यह एक गंभीर विषय है। सभी शहरों के आस–पास के क्षेत्रों के लोग कहते हैं कि प्राधिकरण न बनाया जाय और दूसरी तरफ माननीय सदस्य द्वारा महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। किस प्रकार से हम नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास कर सकते हैं, इस विषय पर पुनः परीक्षण कराने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि इसके परीक्षण के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। क्योंकि नगरीय क्षेत्र में जिस तरह से अनियोजित विकास हुआ है, उसको माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया है। इसका विधिक परीक्षण करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

*श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सदन को यह स्पष्ट जानकारी दी है कि नगरीय क्षेत्रों का जो विकास है, वह सुनियोजित नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज जितनी बनी हैं, इनको समाप्त करने तथा समाप्त करने के बाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है। मान्यवर, संविधान के 74वें संशोधन में उल्लिखित है कि नगरीय क्षेत्रों में नियोजन का अधिकार नगर निगमों और नगर पालिकाओं को दिया जाय। जिनके द्वारा यह अरबन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया है। इसके लिए समिति बनायी गयी थी, जिसने विचार करने के बाद राज्य स्तर पर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कल्पना की गयी, जिसको इनके नियोजन का अधिकार है। मान्यवर, क्या 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इनको नियोजित करने का अधिकार नगर निगमों और नगर पालिकाओं को दिया जाएगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में एक कमेटी बनी थी, माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूँगा कि आप भी उसके सम्मानित सदस्य थे। हमें उस समिति की बैठकों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है। अधिकारियों से हमने पूछा कि उस समिति द्वारा क्या संस्तुतियां की गयी। लेकिन हमें इसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पायी कि समिति की बैठक हुई भी या नहीं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बैठकें भी हुई थी और विस्तृत चर्चा भी हुई थी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, उस समिति की बैठकें हुई थी ?

श्री प्रकाश पन्त–

उस समिति द्वारा जो अनुशंसाएं की गयी हैं, उनका और संविधान के 74वें संशोधन का परीक्षण कराने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, देखा यह गया है कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी न होने के कारण भी समस्याएं सामने आयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, प्रश्न पूछिए।

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पहले भी भू–अध्यादेश आया और अब फिर से भू–अध्यादेश आया है, इसका जो तात्पर्य लगाया गया है, उससे प्रदेश में काफी उफान आया है। इसका कारण यह है कि यहां पर अनियोजित विकास हो रहा है। अगर सरकार ने समय रहते इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया तो इस अनियोजित विकास को सुनियोजित करना संभव नहीं हो पाएगा। क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित की है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जैसा कि मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ कि इसका हम विधिक परीक्षण करवा रहे हैं। इसका प्रस्ताव हम प्रशासनिक स्तर पर तैयार करवायेंगे। इसके पश्चात् इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद् के सामने रखा जायेगा, तभी इस पर कुछ निर्णय हो पायेगा।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो स्थानीय निकाय और पंचायतीराज की व्यवस्था है और उनके नियोजन के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि देहरादून और टिहरी जिले जो कि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है और जिसे दून घाटी के नाम से परिभाषित किया गया है और इसके लिए देहरादून वैली स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके बारे में भी कहा गया कि सभी प्राधिकरणों को समाप्त करने के लिए जनता की ओर से विरोध आया है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के एवोल्यूशन के क्षेत्र में सरकार विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ इस प्राधिकरणों के विषय पर जब तक प्रशासनिक स्तर पर विशेषज्ञों की जानकारी न लें, या विधिक परीक्षण न करा लें, और इसका विधिक परीक्षण हम करा रहे हैं, उसके बाद यह प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद् के सामने आयेगा तभी इस पर कुछ निर्णय हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसके प्रकरण पर जो पूर्व में समिति बनी थी, मैं भी उसमें सदस्य था, उस समिति में जो कार्यवाही सम्पन्न हुई है। उस कार्यवाही को आप मंगवा लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं उसे मंगवा लूंगा।

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण है, इसके द्वारा काफी नोटिसें दी गई हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में बहुत ज्यादा नोटिसें प्राधिकरण द्वारा दी गई हैं, जिससे जनता में इसके खिलाफ बहुत विरोध है, इसके खिलाफ हमने और डोईवाला के माननीय विधायक जी द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था। आज भी प्राधिकरण द्वारा बहुत ज्यादा नोटिसें दी गई हैं, मान्यवर, जो मेरी जानकारी में है, उसके अनुसार जो हमारे पुश्तैनी मकान हैं, उनको तोड़ने की साजिश की जा रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यदि कोई स्पेसिफिक प्रकरण हो तो इसकी जानकारी माननीय सदस्य मुझे दे दें।

प्रदेश के नगर निगम, नगर महापालिका, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों हेतु गठित स्वच्छता समितियों में संशोधन

*13–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के नगर निगम, नगर महापालिका, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के द्वारा सफाई व्यवस्था के प्रति पूर्व सरकार द्वारा स्वच्छता समितियों का गठन कर व्यवस्था किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों में संशोधन किये जाने पर सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं। स्वच्छता समितियों का गठन कर व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी आदेश में संशोधन शासन के विचाराधीन नहीं है।

इस सम्बन्ध में अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो नगर पालिकाओं के बाहर के क्षेत्र की बात कर रहा था, अब मैं नगर पालिकाओं के अन्दर की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, पूर्व सरकार द्वारा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सफाई के लिए स्वच्छता समिति बनाने की स्कीम बनाई गई थी। मैं अपनी जानकारी के अनुसार कहना चाहता हूँ कि 50 प्रतिशत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर निकायों में यह समितियां बनी ही नहीं हैं और जहां बनी भी हैं, वहां अधूरी हैं। मान्यवर, कहीं-कहीं तो नगर पालिकाओं के पास सफाई का अधिकार भी नहीं है। नगर पालिकाओं द्वारा बार-बार सरकार के सामने यह बात लायी गयी कि ये स्वच्छता समितियां फेल हो गयी हैं, लेकिन सरकार का ये कहना कि हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिस प्रदेश की इतनी बड़ी समस्या शासन के सामने बार-बार आ रही है, नगर पालिकाएं रख रही हैं, इसके बाद भी सरकार कहे कि हमें इसकी जानकारी नहीं है और यह कहे कि हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शेम-शेम कहा गया) सरकार की जानकारी में है कि यह योजना फेल हो गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। मोहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा पूर्व में श्रीमन्, उत्तराखण्ड के नगरीय क्षेत्रों में जो मोहल्ले हैं, उनकी सफाई व्यवस्था का काम देखा जाता था। नगरीय क्षेत्र बढ़ने से इनकी सीमा में भी विस्तार हुआ है। वर्तमान में जो सफाई व्यवस्था है इसमें मोहल्ला स्वच्छता समिति गठित करते हुए इसके माध्यम से सफाई व्यवस्था बनायी जाये ऐसा शासनादेश 3 जुलाई, 2003 को जारी किया गया। इसके अन्तर्गत स्वच्छता समिति का गठन, सफाई कर्मियों को कार्य पर रखना, सफाई उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का निदेश दिया गया। इसके तहत उत्तराखण्ड के स्थानीय निकायों में मोहल्ला स्वच्छता समिति का गठन का प्रस्ताव किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार मोहल्ला स्वच्छता समितियों की संख्या-1358 है और नगर निकायों में (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, यह तो मेरा प्रश्न ही नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, ये मोहल्ला स्वच्छता समितियां अपने मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक-एक सफाई कर्मी अंशकालिक रूप में तैनात करें, जिसके माध्यम से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। वर्तमान में ये समितियां अनेक जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कई जगहों पर फेल भी हुई हैं। मोहल्ला स्वच्छता समितियों द्वारा अपने मोहल्ले की सफाई व्यवस्था में इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि अपेक्षित है। वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में ये सुव्यवस्थित रूप से चल रही हैं और इस प्रकार का कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

*श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में निदेश दिये हैं कि सफाई कर्मियों को सारे के सारे उपकरण उपलब्ध कराये जायें। मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ। कोई भी नगर पालिका इसके प्रति गम्भीर नहीं है। अन्य जगहों पर ठेके पर ढाई, तीन हजार पर सफाई कर्मियों को रखा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन सफाई कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पूर्व में जब यह प्रक्रिया संचालित की गयी थी तब उसमें विचार किया गया था कि इसमें 1500 रुपये नगर निकायों को उपलब्ध कराया है। बाकी की धनराशि श्रम कानून के अन्तर्गत कराया जाना चाहिए, और वह मोहल्ला समिति के माध्यम से दिया जाना चाहिए था। प्रत्येक मोहल्ला समिति के लिए एकमुश्त धनराशि रखे जाने का प्रावधान उस समय किया गया था। चूँकि जितनी धनराशि नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध हो रही है और प्रक्रिया के तहत उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसके कारण यह दिक्कत सामने आई। नगर निगम पूरी तरह सक्षम है, यह उसकी जिम्मेदारी है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, यह वेतन नहीं दे पा रहे हैं। जबकि हाउस टैक्स, पानी का बिल भी दे रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह मोहल्ला समिति ने व्यवस्था की और एक ऐसा गूमेंट बनाने का विचार था। मोहल्ले में पूरी तरह निस्तारण का काम सफाई कर्मी का है, यह जनजागरण अभियान है।

*डॉ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, क्या नगर पंचायत, नगर निगम में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सफाई ई0ओ0 की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जो स्वच्छता समिति, मोहल्ला समिति का गठन आदि का कार्य नगर पालिका स्थानीय निकाय अधिनियम एक्ट के तहत संचालित होती है वह उनकी जिम्मेदारी

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती है, वह पूरी तरह नगर निगम के क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था देखे। मान्यवर, सफाई कर्मी रिटायर्ड होते जा रहे हैं वहाँ पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति के आदेश नहीं किये गये हैं। मसूरी में 334 सफाई कर्मी हैं, वहाँ पर लगभग 35–40 सफाई कर्मी रिटायर्ड होने से पद रिक्त हैं। वहाँ पर 40 सफाई कर्मियों की नियुक्ति होनी है। नगर निकायों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और कूड़े का स्वरूप भी बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि वहाँ पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और निकायों में उनके मानकों के अनुरूप दी जायें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के पृष्ठ–22 के नियम–37 में कहा गया है कि "मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न का स्थगन विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सम्बद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में तद्‌विषयक प्रार्थना किये जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे।"

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मंत्रि–परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी गयी है और संसदीय कार्य मंत्री प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं चूंकि माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी सरकार के प्रति रहती है।

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के अन्तर्गत नियम–41 में स्पष्ट लिखा गया है कि जब अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न के बारे में, जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर अभिप्रेत है, पुकारे जा चुके हैं, तब अध्यक्ष, यदि समय हो, किसी प्रश्न को पुनः पुकार सकेंगे जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम में वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वे उनके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों या यदि अन्य कोई सदस्य उस प्रश्न में अभिरुचि रखते हों।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है इसलिए अब प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–13 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*14–श्री ओम गोपाल–

चतुर्थ सोमवार के तारांकित 03 में स्था0।

उत्तराखण्ड में सेब बागवानों को समर्थन मूल्य देने पर विचार

*15–श्री राजेश जुवांठा–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी, पुरोला व नौगांव में अधिकांश सेब की बागवानी की जाती है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा बागवानों को सी ग्रेड या ओलावृष्टि आदि आपदाओं से क्षतिग्रस्त सेब की फसल का समर्थन मूल्य लगभग 5 रुपये प्रति किलोग्राम बगीचे में देती है ?

यदि हाँ, तो क्या उत्तराखण्ड में भी सरकार हिमाचल प्रदेश के बागवानों के समान समर्थन मूल्य देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत औसत गुणवत्ता वाले सेब की फसल हेतु वर्ष, 2006 के लिए समर्थन मूल्य रुपये 4.25 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था।

उत्तराखण्ड में भी सेब उत्पादक बागवानों से सी–ग्रेड सेब फलों के क्रय हेतु समर्थन मूल्य वर्ष 2005–06 से ही दिया जा रहा है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

दिनांक 5–11–2006 को उत्तरकाशी के पुरोला स्थित आराकोट त्रिवां मोटर मार्ग दुर्घटना में मृत तथा घायलों को घोषणानुरूप मुआवजा

*16–श्री राजेश जुवांठा–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दिनांक 05–11–2006 को आराकोट त्रिवां मोटर मार्ग टी0जी0एम0ओ0 की बस सं0 यू0ए0 10/4707 दुर्घटना होने से बस चालक एवं एक व्यक्ति ईसरु पुत्र हरदास निवासी ग्राम दुबाणू की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी ?

क्या यह सत्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस बस दुर्घटना में मृतक लोगों के आश्रितों हेतु एक-एक लाख रुपये तथा सभी घायलों के लिए बीस हजार प्रति घायल के हिसाब से मुआवजा राशि स्वीकृत की गयी ?

क्या यह सत्य है कि चुनाव आचार संहिता लगने के कारण स्वीकृत धनराशि के आवंटन पर रोक लग गयी ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे सरकार गठन के चार माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि मृतक परिवारों के आश्रितों को वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त धनराशि का वितरण शीघ्र करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि निरस्त किये जाने के कारण वितरित नहीं की गयी।

प्रकरण पर जिलाधिकारी से स्पष्ट आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

गरुड़ चट्टी में गंगा नदी पर दो लेन के मोटर पुल निर्माण में विलम्ब के कारण

*17–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लक्ष्मण झूला काण्डी मोटर मार्ग के स्थान गरुड़ चट्टी में गंगा नदी पर दो लेन के मोटर पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

क्या सन् 2007 में पुल द्वारा वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

निविदा के विरुद्ध समय पर प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

जी नहीं।

कार्य के विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण।

राष्ट्रीय मार्ग हेतु आवंटित धन को राज्य मार्ग मद में व्यय की स्वीकृति

*18–श्री खजान दास–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विगत वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय मार्ग में आवंटित धन को राज्य मार्ग मद में व्यय किया गया है ?

यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा इस तरह का प्रस्ताव करने तथा स्वीकृत करने के लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी है ?

क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन का ढांचा तथा पद व रिक्त पदों की स्थिति

*19–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन का ढांचा क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कारपोरेशन में उप महाप्रबंधक के पद से मुख्य प्रबंधक निदेशक तक के कुल कितने पद हैं तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ किस प्रक्रियान्तर्गत कब–कब की गयी है ?

वर्तमान में अधिकारी संवर्ग में कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन पर भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 का ढांचा संलग्नक–"अ" * के अनुसार है।

मुख्य प्रबंधक निदेशक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। उप महाप्रबंधक से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक के कुल 42 पद स्वीकृत हैं।

विवरण संलग्नक "ब" * के रूप में प्रस्तुत है।

अधिकारी संवर्ग के कुल 72 पद रिक्त हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में पदवार स्थिति संलग्नक "स" * के रूप में प्रस्तुत है।

---

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 173–176 पर)

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम में संशोधन

*20–श्री प्रणव सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (सं0 27/1993) की धारा 9(2) के अनुरूप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित संस्तुति को लागू करेगी ?

क्या यह सत्य है कि उक्त का उल्लेख उत्तरांचल राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 में नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को राज्य सरकार पर लागू करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजय टम्टा–

जी नहीं।

जी हाँ।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार के ग्राम शाहपुर से ग्राम निरंजनपुर–रायसी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुन: निर्माण

1–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जिला हरिद्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लालढांग के ग्राम शाहपुर शीतलखेड़ा क्षेत्र से ग्राम भोगपुर, ग्राम भिक्कमपुर, ग्राम निरंजनपुर से रायसी तक लगभग 20 किमी0 मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुन: निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र

प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री हरभजन सिंह चीमा–

तृतीय बुधवार के अतारांकित–1 में स्था0।

ऊधमसिंह नगर के काशीपुर अन्तर्गत लक्ष्मीपुर पट्टी में मल्टीकॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल निर्माण हेतु धन का आवंटन

3–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर की नगर पालिका काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 15.37 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीकॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जाना स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो क्या इस उक्त प्रस्ताव हेतु शासन द्वारा धन अवमुक्त कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं। मल्टीकॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल (बहु–उद्देशीय भवन) मुरादाबाद रोड पर ग्राम सरबरखेड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

उक्त बहु–उद्देशीय भवन पी0पी0पी0 मोड में बनाये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत है, जिस पर अभी शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

4–श्री ओम गोपाल–

चतुर्थ सोमवार के अता0–5 में स्था0।

विधान सभा लालढांग अन्तर्गत कतिपय मार्गों का डामरीकरण तथा बेगम रौपर पुल की निर्माण की योजना

5–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम बादशाहपुर अबीरन (हरिद्वार–लक्सार रोड) से ग्राम गूर्जर बस्ती पथरी तक आबादी भाग में लगभग 1500 मीटर सी0सी0 मार्ग और नाला व आबादी से बाहर तीन कि0मी0 डामरी मार्ग का निर्माण और बेगम रौपर पुल का निर्माण कार्य कराने का कष्ट करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर के मोहल्ला बगड़ आदि ग्रामों के जीर्ण–शीर्ण विद्युत तारों को बदलने की कार्यवाही

6–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर के मोहल्ला बड़ा बगड़, सराय, बहादरपुरजट इक्कड़ आदि ग्रामों में विद्युत तारों के जर्जर जीर्ण–शीर्ण विद्युत लाईन के तारों को बदलने की कार्यवाही करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

ग्राम सराय, बहादुरपुरजट एवं इक्कड़ में जर्जर जीर्ण–शीर्ण विद्युत लाईन के तारों को बदलने का कार्य वर्ष 2006–07 में पूर्ण कर दिया गया है। आदमपुर के मोहल्ला बड़ा बगड़ के जर्जर तारों को बदलने का कार्य वर्ष 2007–08 में प्रस्तावित है।

आदमपुर के मोहल्ला बड़ा बगड़ के जर्जर तारों को माह मार्च 2008 तक बदल दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विद्युत की नियमित आपूर्ति

7–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में बिजली की भारी समस्या है तथा जहाँ पूर्व से बिजली की लाईन बनी है, वहाँ विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं है ?

क्या यह सत्य है कि बिजली विभाग में स्टाफ की कमी के कारण उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि इस विधान सभा क्षेत्र के कुछ राजस्व गांव के मजरे अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस ओर कोई सकारात्मक कदम उठा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं। दिनांक 8–5–2007 को भारी चक्रवाती तूफान के कारण 33/11 के0वी0 फीडरों के लाईनों में अवरोध उत्पन्न हुए तथा विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, जिसे दिनांक 16–6–2007 तक ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल की गयी है।

जी नहीं। उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति यथा सम्भव सुनिश्चित की जाती है। सर्वेक्षण करने पर 17 मजरे विद्युतीकरण हेतु अवशेष पाये गये।

उक्त मजरों का विद्युतीकरण वर्ष 2008–09 की कार्य योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के खाईघाटी नौगांव में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की कार्यवाही

8–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खाईघाटी नौगांव के नाम से पूर्व सरकार द्वारा एक अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि अभी तक उक्त केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

फायर स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु दो स्थानों पर भूमि का चयन किया गया था, किन्तु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के वैज्ञानिक द्वारा चयनित भूमि को अनुपयुक्त बताया गया। इसके पश्चात्, नौगांव में ग्राम मुंगरा पुरोला मार्ग पर यमुना नदी के पुल के निकट चयनित 12 नाली बंजर भूमि का भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया गया है। भूमि निरीक्षण की आख्या प्राप्त होने तथा भूमि उपयुक्त पाये जाने पर उसके हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

प्रदेश में, भारत सरकार के वन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित स्वीकृत मोटर व हल्का वाहन मार्गों का निराकरण

9–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में तथा उसके अलावा पूरे प्रदेश में कुल ऐसे कितने स्वीकृत मोटर मार्ग/हल्का वाहन मार्ग हैं, जो भारत सरकार के वन मंत्रालय में निर्माण आरम्भ किये जाने की स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं ?

क्या मुख्यमंत्री जी भारत सरकार में स्वीकृति के लिए लम्बित मोटर मार्गों–हल्का वाहन मार्ग का शीघ्र निराकरण करवाने के लिए उच्च स्तर की समन्वय समिति बनाने पर विचार करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में 8, शेष पूरे प्रदेश में 205, अर्थात कुल 213।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के चकराता अन्तर्गत चातरी खड्ड पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति

10–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता में लूनी कोटी मोरी मोटर मार्ग के चातरी खड्ड पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति कब हुई ?

क्या उक्त पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माह 12/2002 में।

जी हाँ। एप्रोच रोड छोड़कर।

सेतु कार्य वित्तीय वर्ष 2006–07 में पूर्ण हो चुका है।

एप्रोच रोड का निर्माण शेष है।

देहरादून के डिमोऊ–लेल्टा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण तथा स्वीकृत धनराशि

11–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के डिमोऊ–लेल्टा सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण व डामरीकरण हेतु कब व कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

क्या कार्य की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप पाई गई है ?

यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

शासनादेश दिनांक 20–08–2005 के द्वारा रु0 96.00 लाख की योजना स्वीकृत हुई।

जी नहीं।

पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण न होने के कारण। मार्च/2009।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

दि0 1 अप्रैल, 05 से 28 फरवरी, 07 तक सरकारी विज्ञापन पर आवंटित धनराशि का विवरण

12–श्री ओम गोपाल–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 01 अप्रैल, 2005 से 28 फरवरी, 2007 तक पूरे प्रदेश को जनपदवार सरकारी विज्ञापन किन–किन दैनिक समाचार–पत्रों, साप्ताहिक समाचार–पत्रों, मासिक पत्रिकाओं, पाक्षिक पत्रिकाओं एवं साप्ताहिक मैग्जीनों को कितनी–कितनी धनराशि के विज्ञापन जारी किये गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 01–04–2005 से 28 फरवरी, 2007 तक कुल कितनी धनराशि विज्ञापनों पर खर्च की गयी ?

क्या विज्ञापनों हेतु वितरित की गयी धनराशि मानकों के अनुरूप है ?

क्या सरकार विज्ञापन आवंटन समान रूप से करने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सूची संलग्न है।*

दिनांक 01–04–2005 से 28 फरवरी, 2007 तक कुल रु0 14,46,23,095.00 (रु0 चौदह करोड़ छियालीस लाख तेईस हजार पिचानवे) मात्र की धनराशि विज्ञापनों पर व्यय की गयी।

जी हाँ।

औचित्य के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के कालसी सहिया चकराता मोटर मार्ग डामरीकरण हेतु धन की स्वीकृति/मद की जानकारी

13–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के कालसी सहिया चकराता मोटर मार्ग के रख–रखाव व डामरीकरण हेतु धन की स्वीकृति कब तथा किस मद से हुई ?

क्या निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

यह मार्ग ए0डी0बी0 योजना के फेज–1 में अनुमोदित है। वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय स्वीकृति के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के सहिया–क्वानू–मीनस मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्माण की स्थिति

14–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहिया–क्वानू–मीनस मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया है ?

---

*(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 177–196 पर)

क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

स्वीकृत लागत रु0 949.72 लाख के विरुद्ध रु0 543.41 लाख।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य प्रगति पर है।

मार्च, 2009।

कृत निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के क्वासी–खबऊ को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु धन की उपलब्धता

15–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के क्वासी–खबऊ हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने व डामरीकरण हेतु विभाग को कब धन उपलब्ध कराया गया ?

क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

2003–04 से 2006–07 तक।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य प्रगति पर।

कृत कार्य विशिष्टि के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी में करैखाल से ग्राम गोदी तक निर्माणाधीन मोटर मार्ग हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

16–श्री खजान दास–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी में करैखाल से ग्राम गोदी (बड़ी) तक निर्माणाधीन मोटर मार्ग हेतु अधिगृहीत कृषकों की भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो किस–किस काश्तकार को उनके किस नम्बर के खेत का एवं कितना मुआवजा भुगतान किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

18 काश्तकारों को रु0 1,84,420.76 के मुआवजे का भुगतान किया गया। (सूची संलग्न) *

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के खबड़ू से कोटा मोटर मार्ग निर्माण विषयक

17–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के क्वासी–खबड़ू–कोटा मोटर मार्ग में खबड़ू से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं ?

क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी नहीं।

निविदा निस्तारण न होने के कारण। निविदा निस्तारण के पश्चात्।

---

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या 197–200 पर)

देहरादून के कोटी–ईछाड़ी–क्वानू मोटर मार्ग डामरीकरण हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्माण की स्थिति

18–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के कोटी–ईछाड़ी–क्वानू मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कब धन उपलब्ध कराया गया है ?

क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य प्रगति पर।

देहरादून के साहिया से पाटन–डामटा मोटर मार्ग डामरीकरण हेतु आवंटित धनराशि तथा निर्माण की स्थिति

19–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के साहिया से पाटन–समाल्टा–डामटा मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कब धन उपलब्ध कराया गया ?

क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो निर्माण कब तक पूर्ण होगा ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

देहरादून के चकराता–सावड़ा मोटर मार्ग निर्माण की स्थिति

20–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता–सावड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कितनी धनराशि कब उपलब्ध करायी गयी ?

क्या उक्त मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2006–07 तक रु0 428.40 लाख धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

जी नहीं।

माह जून/2009 तक पूर्ण होना लक्षित है।

देहरादून के दारागाड़–केराड़ मोटर मार्ग डामरीकरण हेतु आवंटित धनराशि तथा निर्माण की स्थिति

21–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के दारागाड़–केराड़ मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु कितना धन कब उपलब्ध कराया गया ?

क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्ष 2006–07 तक रु0 113.80 लाख उपलब्ध कराया गया है।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में पूर्ण करना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के समरजेन्स मोटर मार्ग का निर्माण कार्य विषयक

22–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के समरजेन्स मोटर मार्ग की स्वीकृति कब हुई ?

क्या निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

30 मार्च, 2005 में।

जी हाँ। कार्य प्रगति के अनुसार।

जी नहीं।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद देहरादून के कोटी, डिमोऊ, डांडा एवं देसेऊ मोटर मार्ग डामरीकरण हेतु धन की स्वीकृति तथा निर्माण की स्थिति

23–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के कोटी, डिमोऊ, डांडा एवं देसेऊ मोटर मार्ग निर्माण व डामरीकरण हेतु धन कब स्वीकृत हुआ ?

क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

दि0 29/8/2005 में।

जी नहीं।

निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण। वर्ष 2009 तक कार्य पूर्ण करना लक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग पर कार्य आरम्भ न किए जाने के कारण

24–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी पुरोला विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत मोटर मार्गों पर कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या यह सत्य है कि कई पुराने मोटर मार्गों पर मलबा आदि आने से यातायात व्यवस्था ठप पड़ी हुई है ?

यदि हाँ, तो यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से आरम्भ करवाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जिन मार्गों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उनमें समरेखण विवाद होने, सर्वेक्षण न हो पाना, मार्ग का गोविन्द पशु विहार में पड़ना तथा वनभूमि हस्तान्तरण न हो पाना मुख्य कारण है।

जी हाँ, कुछ मार्गों पर।

मलबा आदि आने पर मार्ग को यातायात हेतु खोले जाने की व्यवस्था पूर्व से ही है।

वि0स0 क्षेत्र पुरोला स्थित स्व0 बरफिया लाल जुवाँठा राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं कला संकाय की कक्षा आरम्भ किये जाने की योजना

25–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत स्व0 बरफिया लाल जुवाँठा राजकीय महाविद्यालय क्षेत्र का मात्र एक ही महाविद्यालय है जहाँ दूर–दराज से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं ?

यदि हाँ, तो इस महाविद्यालय में वाणिज्य एवं कला संकाय की कक्षा आरम्भ करवाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गाला नामे तोक में मोटर पुल निर्माण की योजना

26–श्री राजेश जुवाँठा–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड मोरी में निर्माणाधीन खूनीगाड–देवती–सरास मोटर मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए गाला नामे तोक में मोटर पुल की आवश्यकता है ?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर पुल की स्वीकृति हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

योजना स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरिद्वार में जनवरी, 2006 से जून, 2007 तक पंजीकृत मुकदमों का विवरण

27–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में जनवरी, 2006 से जून, 2007 तक कितने लूट, डकैती, हत्यायें, चोरी, बलात्कार, दलित उत्पीड़न एवं अन्य घटनायें जनपद के थानों में पंजीकृत हुई हैं तथा पंजीकृत अपराधों में से कितने अभियोजन दायर किये गये हैं तथा कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गई है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जनपद हरिद्वार में जनवरी, 2006 से जून, 2007 तक लूट, डकैती, हत्यायें, चोरी,

बलात्कार, दलित उत्पीड़न एवं अन्य घटनाओं से सम्बन्धित कुल 3241 मुकदमें पंजीकृत हुए हैं, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नवत है :–

शीर्षक	पंजीकृत अभियोग की संख्या	जिनमें आरोप पत्र भेजा गया	जिनमें अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई	विवेचनाधीन
लूट	73	37	14	22
डकैती	15	07	06	02
हत्या	73	43	11	19
चोरी	696	223	309	164
बलात्कार	42	38	01	03
दलित उत्पीड़न	48	22	13	13
कुल मा0द0वि0	3241	1871	676	694

जनपद हरिद्वार में थाना भगवानपुर एवं चौकी पिरान कलियर का उच्चीकरण

28–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में थाना भगवानपुर एवं चौकी पिरान कलियर का उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वर्तमान में जनपद हरिद्वार मे थाना भगवानपुर एवं चौकी पिरान कलियर के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में नियुक्त समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के कार्मिकों के मूल निवास सम्बन्धी जानकारी

29–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय विकास भवन लखनऊ में नियुक्त समूह "ग" व "घ" श्रेणी के कुल कितने कार्मिक उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं तथा कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नहीं हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें से कितने कार्मिक 9 नवम्बर, 2000 के बाद किन–किन विभागों में भर्ती हुए, तथा इन कार्मिकों को लखनऊ तैनात किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में तैनात समूह "ग" व "घ" श्रेणी के कुल 12 कार्मिकों में से 04 कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हैं तथा शेष 08 कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी नहीं हैं।

09 नवम्बर, 2000 के पश्चात् उक्त 12 कार्मिकों में से 03 कार्मिकों को तदर्थ आधार पर सचिवालय प्रशासन विभाग में टंकक के पद पर नियुक्त किया गया है। शेष 09 में से 07 कार्मिक विभिन्न विभागों से सम्बद्ध सचिवालय प्रशासन विभाग में संविलियनित कार्मिक हैं, जबकि 02 कार्मिक राज्य सम्पत्ति विभाग के हैं।

पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्मिकों को तैनात किया गया है।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री गगन सिंह, श्री गोपाल सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल तथा श्री शैलेन्द्र सिंह रावत की कुल 09 सूचना प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गगन सिंह, श्री गोपाल सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बी0पी0एल0 राशन कार्डों का पुनः सर्वे कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत जो बी0पी0एल0 राशन कार्ड की सर्वे हुई है, उसमें भारी विसंगतियां पायी गयी हैं, जो पात्र वास्तव में बी0पी0एल0 की श्रेणी में आने चाहिए, वह वंचित रह गये।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0 राशन कार्ड का पुनः सर्वे किया जाए, जिससे कि पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।

राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तरकाशी में फार्मेसी डिप्लोमा संचालित किए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में एक मात्र राजकीय पॉलीटेक्निक 1975–76 से संचालित है जिसमें इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें से फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1999–2000 में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के द्वारा मान्यता प्रदान न किए जाने के फलस्वरूप छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिए जाने बन्द कर दिए गये थे तथा तत्कालिक समय में फार्मेसी स्टॉफ को अन्यत्र संस्थाओं में स्थानान्तरित एवं सम्बद्ध कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक फार्मेसी स्टॉफ की नियुक्तियां एवं सम्बद्धता निरस्त नहीं की गई है। फार्मेसी ट्रेड बन्द किए जाने से इस सीमान्त जनपद के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जनपद के नौजवानों को फार्मेसी डिप्लोमा हेतु अन्य जनपदों में जाना पड़ रहा है जिससे जनपदवासियों में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है।

जनपद के छात्र–छात्राओं के हित में राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी में फार्मेसी पाठ्यक्रम शीघ्र संचालित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक व लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

बीरोंखाल वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत रसिया महादेव–ललितपुर क्षेत्र वासियों को पेयजल सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत–

[महोदय, बीरोंखाल विधान सभा क्षेत्र में बीरोंखाल ब्लॉक के अन्तर्गत रसिया महादेव–ललितपुर क्षेत्र में लगभग 35 गांव हैं जो कि पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझ रहे हैं। उक्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसे केवल प्राकृतिक स्रोतों से ही पीने हेतु जल उपलब्ध होता था जो कि प्रायः सूख चुके हैं। पानी के अभाव में पशुओं का भी जीना दूभर हो गया है। क्षेत्रवासियों में अत्यन्त भय एवं आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र की जनता काफी लम्बे समय से पेयजल की समस्या से निजात पाने हेतु खटलगड नदी से पम्पिंग सेट लगाकर ललितपुर के उच्च स्थान पर टैंक बनाकर लगाये जाने की लम्बे समय से मांग करती आ रही है, परन्तु विभाग की निष्क्रियता के कारण आज तक उक्त कार्यवाही को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

अतः मैं मा0 सदन से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम–300 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद टिहरी अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 जौनपुर के पर्यटन क्षेत्र कैम्पटी में 03 पटवारी पुलिस क्षेत्र को समाप्त किए जाने से उत्पन्न कठिनाईयों के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री खजान दास-

महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी एवं टिहरी जिले की तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर के पर्यटक क्षेत्र कैम्पटी में 03 पटवारी पुलिस क्षेत्रों को समाप्त करके पुलिस चौकी का सृजन किया है। जबकि जनहित में 03 पटवारी क्षेत्रों को समाप्त नही किया जाना था, पुलिस चौकी सृजित होने से पटवारियों द्वारा मूल निवास-प्रमाण, चरित्र-प्रमाण पत्र, जाति-प्रमाण पत्र व लोक महत्व के अनेक कार्य बन्द कर दिये गये है। पुलिस द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिससे क्षेत्र की जनता में बड़ा आक्रोश है, जनता आन्दोलित व गुस्साई हुई है। धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं, उक्त प्रमाण-पत्र व लोक महत्व के कार्य न होने से 03 पटवारी क्षेत्रों की जनता व बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकारमय व चौपट हो गया है, इस विषय को सरकार को कई बार अवगत करवा चुका हूँ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तुरन्त कार्यवाही कर अनुरोध करते हुए मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करते हुए चाहूँगा कि पर्यटक स्थल कैम्पटी फॉल को छोड़ तीनों पटवारी क्षेत्रों को पूर्व की भांति यथावत् पटवारियों के नियंत्रण में रखा जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सुरेन्द्र राकेश जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरिदास-

मान्यवर, यह गलती से हुआ कि नियम-310 की जगह 300 हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-310 और नियम-300 में बड़ा अन्तर है।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में नदी के कटाव के कारण बर्बाद हो रही उपजाऊ भूमि की सुरक्षा के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र राकेश-

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक भगवानपुर है। जिसमें अधिकतम क्षेत्र नदी, नालों से घिरा हुआ है। नदी के कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही है। कुछ गांव की दशा तो ऐसी है कि इस बरसात में नदी कटाव करके

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गांव में घुस कर जान-माल का नुकसान कर सकती है। इन ग्रामों की उपजाऊ भूमि के कटाव तथा गांव की आबादी की सुरक्षा के लिए तत्काल तटबन्द बनाये जाने बहुत ही अनिवार्य हैं। अन्यथा बहुत नुकसान एवं परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए निम्नलिखित गांव की भूमि कटाव (हसनपुर, मदनपुर, खेड़ीशिकोपुर, हसनावाला, मानकमजरा, शाहपुर, उंगामजरी, मजाहदपुर सतीवाला, बन्दरजूड, लालवाला खालसा, लामग्रन्ट, नोकरग्रन्ट हकीमपुर तुर्रा, शहीदवालाग्रान्ट) जिनका सर्वे भी सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है। यदि तटबन्द शीघ्र ना लगाये गये तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अतः इस तात्कालिक, अविलम्बनीय, लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यानाकर्षित कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वि०स० क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नालीखाल बनचूरी भरपूर क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत नालीखाल बनचूरी भरपूर मोटर मार्ग विगत कई वर्षों से बन्द है। इस क्षेत्र के लगभग 25-30 गांवों की जनता को यातायात की सुविधा मिलती रहती। यदि इस मार्ग की मरम्मत समय पर कर दी जाती। लेकिन लगभग चार वर्षों से उक्त मोटर मार्ग में जगह-जगह मलबा एवं एक बड़ा पुस्ता गिरने के कारण यातायात नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर एवं सम्मानित सदन के माध्यम से इस मार्ग की महत्ता एवं क्षतिग्रस्त होने का संज्ञान दिया गया था। लेकिन लगभग चार वर्षों के पश्चात् भी इस क्षेत्र की जनता को कई किलोमीटर पैदल चल कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है।

अतः इस तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से इस सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी का नाम पुकारे जाने पर वे अपनी सूचना उपस्थित करने हेतु खड़े नहीं हुए)

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री चन्द्रशेखर एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य स्व० श्री गोपाल राम दास के निधन पर शोकोद्‌गार

*मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द खण्डूड़ी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम दो नेताओं के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री चन्द्रशेखर जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी थे। उनका निधन 80 वर्ष की उम्र में कल दिल्ली में हुआ। चन्द्रशेखर जी का जीवन एक संघर्षशील और एक युवा जिसमें बहुत अधिक उत्साह हो, जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता हो, देश और समाज की सेवा सच्चे मन से करना चाहता हो। इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था। बहुत युवावस्था में जब वे कांग्रेस में थे अपनी इस क्षमता की किसी भी स्थान पर अगर जनता के हित में कोई बात हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

आप लोगों में शायद कुछ लोगों को याद हो कि वे अपने जमाने में "यंग तुर्क" के नाम से जाने जाते थे। जब देश के अन्दर बहुत बड़े-बड़े नेता उपस्थित थे, मंत्री हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो तब भी उन्होंने अपना प्रेशर बनाकर रखा था। चाहे वे पॉलिटिक्स में हो या बाहर हो वे अपनी आवाज उठाते रहते थे। उन्होंने अपना जीवन सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया फिर कांग्रेस में रहे और जब इमरजेंसी घोषित हुई उसके बाद जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। वे शायद अकेले ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो बिना मंत्री रहते हुए सीधे-सीधे प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उनके प्रधानमंत्री का काल बहुत थोड़ा था।

मान्यवर, लेकिन अपने आप में तो हमारे इतिहास में लैण्डमार्क वाला काल था, उनके पास 52 सदस्य थे, 545 के हाऊस में और उन्होंने अपने इतने छोटे दल का नेता होने के बावजूद कभी भी प्रधानमंत्री के पद को इस प्रकार नीचा नहीं होने दिया, जैसे किसी दूसरे के दबाव में काबू में या सलाह में बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मजबूती से शासन चलाया और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में पहला ऐसा उदाहरण होगा कोई आदमी जो सत्ता में हो और थोड़ा सा मतभेद होने के कारण, जो पार्टी उनको समर्थन दे रही थी उसको अलग करके इस्तीफा दे दिया, छोटी सी घटना थी। मान्यवर, कांग्रेस के नेता ने उस समय यह कहा था कि उनके घर पर दो हरियाणा के कांस्टेबल हैं और उनकी जासूसी उनके ऊपर कर रहे हैं, इस बात को उठाया गया और उन्होंने कहा कि जाँच हो और उसको सजा मिले तो हम इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ अगर मेरे ऊपर आरोप हो, अपने आप में इस प्रकार की बात करना बहुत साहस की बात है और इस प्रकार का साहस उन्होंने दिखाया, उसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बराबर लोकसभा में उन्हें देखता रहता था, मैं भी उसी हाउस में था और अनेकों बार उनकी विशेष बात यह थी कि वे चाहे किसी भी पार्टी के हों या न हों, बीच में बैठते थे जहाँ स्वतंत्र लोग बैठते थे, किसी भी विषय पर हो, कोई भी सरकार हो वे अपने मन की बात को खुले दिल से कहते थे, साफ कहते थे, झिझकते नहीं थे और हाउस में कोई बात करने की कोशिश की तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमेशा उनको प्राथमिकता दी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह अनुभव रहा है उनके साथ, इस समय की कभी परवाह नहीं की कि सत्ता पक्ष में कौन है मेरे मित्र पक्ष या मेरे साथ के लोग हैं, हमेशा सीधे तरीके से सच्ची बात कही चाहे किसी को पसन्द आये या न आये

और इसीलिए उनकी बात को चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों गम्भीरता से लेते थे, बहुत आदर से उनकी बात को सुनते थे और उनकी बात से प्रभावित होते थे और जो उन्होंने सुझाव दिया है तुरन्त उनके सुझाव का पालन किया जाता था और उत्तराखण्ड के प्रति उनका कैसा विचार था तो उत्तराखण्ड के लिए उनकी बहुत अच्छी राय थी। मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ हुआ था, हाउस में वर्ष 1999 में जब चर्चा चल रही थी कि छोटा राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए मैं सामान्य सदस्य था हाउस का और पूर्व प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने अनेक बातों का विश्लेषण करते हुए कहा कि हम आज ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि छोटा राज्य बने। मान्यवर, मैं पीछे बैठा था आखिरी लाईनों में तो मैं तुरन्त खड़ा हुआ और इतना बड़ा नेता उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, मैंने कहा आप रीड करेंगे वह तुरन्त बैठ गये, अक्सर ऐसा बहुत कम होता है, इतना बड़ा नेता है और जब पीछे बैठे फर्स्ट, सेकेण्ड, थर्ड टर्मिनल में बैठा है। और कोई पूछता नहीं, तो मैंने कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं यह अच्छी नहीं है, कृपया आप समझिए हम लोग पृथकवादी नहीं हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारी परिस्थिति जानते हैं कि पहाड़ों में कितना कठिन जीवन है, और उत्तर प्रदेश के साथ रहकर हमको न्याय नहीं मिल रहा है और मैंने अपनी थोड़ी बात कही, उनका इतना बड़ा नेतृत्व है। मान्यवर, आपके प्रदेश की आवश्यकता है और आपके प्रदेश के लिए जो कमियां हैं वे पहले दूर होनी चाहिए और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, उन्होंने अपनी बात को काटते हुए हमारी बात को माना, यह उसका एक उदाहरण है। मान्यवर, एक महीने पहले जब मैं उनके घर पर किसी कार्यक्रम में गया था, उनका स्वास्थ्य उस समय कुछ ठीक था और ऐसा लग रहा था वे ठीक हो जायेंगे, लेकिन अचानक स्थिति खराब हो गयी, जैसा मैंने कहा उनका निधन हो गया। मान्यवर, स्व0 चन्द्रशेखर जी ने जितने बड़े-बड़े काम किये उनका एक बहुत बड़ा ग्राफ है। ऐसे बड़े नेता को आज हम सभी ने खोया है। स्व0 चन्द्रशेखर के दो पुत्र हैं। मैं इनके परिवार के लोगों को आपकी तरफ से अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और उनके परिवार को दुःख सहने की शक्ति दे।

मान्यवर, एक और हमारे पूर्व सदस्य श्री गोपाल राम दास जी का निधन 04 जून को हुआ है। इन्होंने 12 वर्ष से अधिक समय तक बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। मान्यवर, करीब 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इन्होंने समाज की, देश की, प्रदेश की और अपने क्षेत्र की सेवा की। इनके परिवार को आपकी तरफ से अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुःख सहने की शक्ति दे।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानतीय अध्यक्ष जी, देश के और प्रदेश के दो नेताओं के निधन पर अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि देने के लिए आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो विचार देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री चन्द्रशेखर जी के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित किये हैं, उससे मैं अपने आपको और अपने दल को समर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय नेता सदन ने भी कहा है कि माननीय चन्द्रशेखर जी को हिन्दुस्तान की राजनीति में "युवा तुर्क" के नाम से सम्बोधित किया जाता था। मान्यवर, जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था उस दौर में स्व0 चन्द्रशेखर जी एकाएक हिन्दुस्तान की राजनीति में एक मजबूत केन्द्र बिन्दु के रूप में उभरे। मान्यवर, वर्ष 1977 में जब जनता पार्टी राजनीतिक उफान पर थी तो उस समय स्व0 चन्द्रशेखर जी उस पार्टी के अध्यक्ष थे और हिन्दुस्तान में उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। मान्यवर, यह किसी युवा तुर्क नेता के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

मान्यवर, जिस पार्टी की देश में सरकार हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्थापित हुए। मुझे उनके गाँव जाने का भी अवसर मिला है और उस महाविद्यालय में भी जाने का अवसर मिला है, जिस महाविद्यालय में उन्होंने शिक्षा–दीक्षा ग्रहण की, साकेत महाविद्यालय, बलिया। गढ़वाल महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए वाद–विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं साकेत महाविद्यालय गया था। वाद–विवाद का विषय था "राजनीतिक भ्रष्टाचार देश के पतन के लिए उत्तरदायी।" मुझे साकेत महाविद्यालय और बलिया के उन स्थानों में भी अपनी रुचि से जाने का अवसर मिला, मेरी रुचि इसलिए भी ज्यादा थी कि देश के बहुत बड़े नेता की यह जन्म भूमि है, कर्म भूमि है और मैंने देखा है कि चाहे साकेत महाविद्यालय बलिया हो, चाहे उनका गांव हो, वहां के युवाओं में, वहां के किसानों में उनके प्रति जो सम्मान था, वह निश्चय ही आज के तमाम राजनेताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।

जैसा कि माननीय नेता सदन ने भी कहा कि वह न किसी प्रदेश सरकार में, न केन्द्र सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री रहे। ऐसा बहुत कम हुआ है। इसे हिन्दुस्तान के इतिहास में अपवाद, एक्सेप्शन कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति सीधे देश का प्रधानमंत्री बना हो। 1991 में जब मैं विधान सभा चुनाव के दौरान कल्जीखाल के गांव में चुनाव प्रचार करते हुए ठहरा था तो, स्वर्गीय चन्द्रशेखर का अन्तिम संदेश देश के नाम आ रहा था। गांव की महिलाएं भी बैठी थीं, उनका जो अन्तिम संदेश देश के नाम था, उसको सुनते हुए एकाएक महिलाओं के मुँह से निकला कि यह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और साथ ही गाँव के लोगों को ऐसा लगता था कि यह प्रधानमंत्री नहीं, हमारे बीच का कोई आम नागरिक हो, आम किसान हो। उनकी सरल सूरत से भी और उनका जो बोलने का स्पष्ट अन्दाज था, उससे भी लोगों को लगता था कि आम हिन्दुस्तान

का आम जन उनके करीब है। आम जन उनमें अपना वजूद ढूंढता था। यह किसी राजनेता के लिए अपने आप में एक उपलब्धि है कि आम हिन्दुस्तान का आम जन, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, अपने नेता में अपने वजूद को ढूंढे यह निश्चित रूप से एक उपलब्धि है। उन्होंने अपना व्यक्तित्व इस तरह से निखारा था, बनाया था कि आम हिन्दुस्तान का व्यक्ति उनमें अपने आप को पाता था। मैं समझता हूं कि किसी जनप्रिय नेता के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर आदमी उनको बहुत नजदीक से समझता था। हरियाणा के उनके आश्रम में भी सतपाल महाराज जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला। मैंने उनके आश्रम में भी उनकी सादगी को महसूस किया है। मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता सदन ने भी कहा कि किसी विषय पर निष्पक्षता और निडरता से अपनी बात कहने का साहस बहुत कम राजनेताओं में होता है। जब भी सदन के अन्दर ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जब उन्होंने सत्ता पक्ष का समर्थन करते हुए भी अपने आप को निष्पक्षता से रखा है। आज हमारे बीच से निश्चित रूप से देश का एक महानायक चला गया, आजादी की पूर्व पीढ़ी के जननायक को हमने आज खो दिया है। सामाजिक परिवर्तन में उनकी एक अहम भूमिका रही है, लोकसभा का चुनाव वह एक ही बार हारे हैं और लगातार जीतते रहे हैं। ऐसा अक्सर हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने अपना प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं उतारा है। ऐसा लोकतांत्रिक परम्पराओं में बहुत कम होता है लेकिन यह उनका बड़प्पन ही था, उनके व्यक्तित्व की विराटता ही थी कि उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े राजनीतिक दलों ने उनके सम्मान में अपना प्रत्याशी ही चुनाव में नहीं उतारा था। मैं उनको अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी श्रद्धांजलि और हमारी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, दूसरी विभूति स्वर्गीय गोपाल राम दास जी, जैसा कि माननीय नेता सदन ने उनके सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशेष योगदान की बात की थी और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए और विशेष रूप से उत्तराखण्ड के लिए जो उनकी भूमिका रही है, उसका उल्लेख किया था। माननीय गोपाल राम दास जी अनेक बार एम०एल०ए० रहे हैं, 1929 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। किसी दलित व्यक्ति के लिए, किस दलित युवा के लिए यह उस समय निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वर्ष 1980 से 1985 तक वह उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री रहे और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में सामाजिक समरसता और विकास के अनेक कार्य किये। गरीब, पिछड़ों, विकलांगों, दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उन्होंने बहुत योजनायें अपने मंत्रित्व काल में बनाईं। उनके निधन से मात्र बागेश्वर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने सामाजिक समरसता के एक मजबूत स्तम्भ को खो दिया है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और सदन की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी श्रद्धांजलि और संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दी जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने दल की भावनाओं को माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से सम्बद्ध करता हूँ।

मान्यवर, स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर का जन्म 1 जुलाई, 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सदानन्द सिंह तथा माता का नाम श्रीमती दुरपई देवी था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम०ए० की शिक्षा प्राप्त की। छठे दशक के मध्य में युवा तुर्क के रूप में उनकी छवि उभरी। वे एक कृषक, कुशल राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे वर्ष 1959 से 1962 तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। वर्ष 1967 में महासचिव, कांग्रेस संसदीय दल, 1977–78 में अध्यक्ष, जनता पार्टी तथा वर्ष 1999 से लोक सभा में समाजवादी जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता रहे। मान्यवर, वे वर्ष 1962 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये। श्री चन्द्रशेखर सर्वप्रथम वर्ष 1977 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् वर्ष 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में वे लोक सभा के सदस्य चुने गये। वर्ष 1990–91 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तथा रक्षा, गृह, परमाणु, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महानगर विकास, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, इलैक्ट्रॉनिकी, अन्तरिक्ष, सूचना और प्रसारण, उद्योग, श्रम एवं कल्याण, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल संसाधन और जल–भूतल परिवहन मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी भी रहे। आपने सदैव उत्कृष्ट संसदीय शिष्टाचार एवं अनुशासन का पालन किया। वर्ष 1995 में आपको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे "यंग इंडियन" के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड के संस्थापक, सम्पादक और चेयरमैन रहे। उन्होंने 'मेरी जेल डायरी' तथा डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज नामक दो पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने 6 जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 तक लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कन्याकुमारी से राजघाट, नई दिल्ली तक 4,260 किलोमीटर की पदयात्रा की तथा जन–शिक्षा और आधारभूत कार्य के लिए सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न राज्यों में 15 'भारत यात्रा केन्द्र' स्थापित किये। उनकी पत्नी का नाम द्विजा देवी था। श्री चन्द्रशेखर का 8 जुलाई, 2007 को निधन हो गया। उनके दो पुत्र हैं उनके निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है।

दूसरा मान्यवर, स्व० श्री गोपाल राम दास का जन्म 13 अक्टूबर, 1929 को ग्राम बहुली, तहसील व जनपद बागेश्वर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गुलाब राम था। उन्होंने बी०ए० तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे सर्वप्रथम 19–03–1967 से 15–04–1968 तक भारतीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के

सदस्य चुने गये तथा पुनः 9–6–1980 से 9–3–1985, 10–3–1985 से 28–11–1989 तक वे बागेश्वर से ही उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार उन्होंने 12 वर्ष से अधिक समय तक बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1980 से 1985 में उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन में समाज कल्याण राज्य मंत्रीपद के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेकों विकासोन्मुख कार्य सम्पन्न कराए। वे समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु सदैव प्रयासरत रहे। वर्तमान में श्री गोपाल राम दास ग्राम मलसी बगवाड़ा, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में परिवार सहित निवास कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती गोविन्दी देवी था। श्री गोपाल राम दास का 4 जून, 2007 को उनके निवास स्थान ग्राम मलसी में निधन हो गया। उनके तीन पुत्र एवं एक पुत्री हैं। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। दलित समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए सदैव उनका नाम लिया जायेगा। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चन्द्रशेखर जी एवं स्व0 श्री गोपाल राम दास जी को श्रद्धांजलि देता हूँ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में आज दो महान नेताओं के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया है। मैं उनको यथा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल ने उनके बारे में जो कहा उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, माननीय चन्द्रशेखर जी के बहुत नजदीक जाने का अवसर तो मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे एक घटना याद है कि जब हम 1994 में उत्तराखण्ड आन्दोलन के संदर्भ में तमाम शीर्ष नेताओं से मिला करते थे तो हमें उनसे भी मिलने का अवसर मिला। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के थे कि उनके सामने जा करके हम बात करना ही चाहते थे कि उससे पहले ही वह कह देते थे, इस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे, वह महानायक थे। मैं सारी बातों को न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्तित्व जिसने किसी दल के पीछे न जा करके किसी व्यक्ति के पीछे न जाकर भारत की राजनीति में अपने आपको इतना स्थापित कर दिया हो जिसको आज हर बच्चा याद करे, वह विशेषतायें उनके अन्दर थी। मान्यवर, जब 1976–77 में इमरजेंसी लगी थी उस समय देश के अनेक नेताओं के बारे में जो विरोध में थे उसमें चन्द्रशेखर जी भी कहीं न कहीं खड़े थे, उनको सारे देश के अन्दर ख्याति प्राप्त थी। उन्होंने भी वीरता के साथ इमरजेंसी के विरोध में अपने आपको खड़ा किया और नये विचार को जन्म दिया। स्व0 जयप्रकाश जी के साथ मिलकरके इसे आगे बढ़ाया। जैसा कि उनके जीवन परिचय में साफ दिख रहा है। भारत के अन्दर कई नेता एक चुनाव के बाद अपना क्षेत्र बदल देता है उन्होंने अपने क्षेत्र को कभी नहीं बदला वह सात बार वहाँ से जीते। ऐसे व्यक्तित्व के धनी स्व0 चन्द्रशेखर जी को मैं अपने दल के साथियों की ओर से उनकी आत्मा को शान्ति मिले और हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुँचे, इतना कहते हुए उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ।

मान्यवर, जहाँ तक गोपाल राम दास जी का प्रश्न है वह उत्तराखण्ड के महान विभूतियों में से एक थे उनके साथ उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान बार-बार मिलना होता था वह बहुत सरल स्वभाव के धनी थे लेकिन वास्तविकता से अपने आप को दूर नहीं रखते थे, कई बार आन्दोलन के लिए उन्होंने हमें इतना तक प्रोत्साहित किया कि आवश्यकता पड़ी तो हम आपके साथ आयेंगे, आन्दोलन मे उनका मूक-समर्थन हमको मिलता था, वह आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे भी हमारा आग्रह है कि हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुँचे, यह आप व्यवस्था करें। मैं इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष डा० हरक सिंह, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी और माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल द्वारा व्यक्त भावनाओं से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए कि श्री चन्द्रशेखर जी अब हमारे बीच नहीं रहे और यह सम्पूर्ण भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 01 जुलाई, 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी नामक ग्राम में जन्मे श्री चन्द्रशेखर एक ऐसे राजनेता थे जो राजनीति के वृहद समुदाय में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। उनका व्यक्तित्व अनूठा था। उन्हें छठे दशक के मध्य में युवा तुर्क की उपाधि मिली थी। वे एक शाश्वत विद्रोही थे। किसी भी विषय पर अपनी बात बेधड़क होकर कह देना उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग था। वे सदैव आत्म प्रचार से परहेज करते थे तथा अपने आदर्शों के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। अपनी राजनैतिक यात्रा में वे सदैव एक विरत यात्री रहे। उन्होंने कभी किसी पद के प्रति लोभ नहीं दिखाया। वर्ष 1959 से 1962 तक वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। वर्ष 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव, 1977-78 में जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा वर्ष 1999 में लोक सभा में समाजवादी जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता रहे। वर्ष 1962 में राज्य सभा की सदस्यता से प्रारम्भ होकर उनका एक लम्बा संसदीय जीवन रहा। वे वर्तमान लोक सभा को मिलाकर 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुँच कर उन्होंने उसे मंजिल नहीं, वरन एक पड़ाव ही समझा। संसदीय परम्पराओं की उन्हें बेजोड़ समझ व जानकारी थी जिसको उन्होंने अपने दैनिक संसदीय जीवन में आत्मसात किया। इसी कारण वर्ष 1995 में उन्हें सर्वोत्तम सांसद का सम्मान प्राप्त हुआ। संसदीय आचार व्यवहार में उनकी उत्कृष्टता को देखते हुए वर्ष 2000-2001 में उन्हें आचार समिति का सभापति बनाया गया। यह कहना उचित ही होगा कि जो भी पद अथवा सम्मान श्री चन्द्रशेखर जी को प्राप्त हुए, उन्हें पाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया अपितु उसके लिए उन्होंने स्वयं को सुपात्र बनाया। उन्होंने जन सम्पर्क करने तथा जन समस्याओं को समझने के लिए कन्याकुमारी से राजघाट तक 4,260 किमी० की पदयात्रा की जो उनके जमीन से जुड़े नेता होने का स्पष्ट प्रमाण है।

उनकी संगठनात्मक क्षमता अद्वितीय थी। वे भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने मंत्रीपद के अनुभव के बिना सीधे ही भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व कुशलतापूर्वक सम्भाला। श्री चन्द्रशेखर की पठन-पाठन एवं लेखन में विशेष रुचि थी। विशेषकर उन्होंने प्रेमचन्द, भारतेन्दु, मोहन राकेश, डा0 रामविलास शर्मा जैसे प्रखर साहित्यकारों की कृतियों का गहन अध्ययन किया था। उनकी कृति 'मेरी जेल डायरी' के विषय में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नामवर सिंह ने लिखा है, चन्द्रशेखर की "जेल डायरी" का एक पहलू अपनी भाषा से जोड़ता है, साहित्यिक परम्परा से जोड़ता है, अपनी जनता से जोड़ता है। दूसरा मानवीय पहलू भी है और उस मानवीयता में पारदर्शिता है, पाखंड कहीं नहीं है। साहित्य में झूठ नहीं चल सकता। पूरी डायरी में प्रामाणिकता और ईमानदारी ही चन्द्रशेखर की पूंजी है। श्री चन्द्रशेखर महात्मा गांधी, आचार्य नरेन्द्र देव व जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों से प्रभावित नेताओं में से एक थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार वाले नेता थे। उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे। इसी वजह से व्यक्तिगत तौर पर उनकी मित्रता विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से थी। उनके बारे में जो भी कहा जाए वह कम है। ऐसे महान व्यक्ति के निधन पर मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ।

इसी के साथ एक हमारे अन्य सदस्य श्री गोपाल राम दास जी के निधन से उत्तराखण्ड का एक कुशल नेता हमारे बीच नहीं रहा। उन्होंने अत्यधिक जिम्मेदारी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। बागेश्वर में उनके द्वारा सम्पन्न कराए गए विकास कार्यों को आज भी वहाँ की जनता याद करती है उन्होंने बारह वर्षों से अधिक एक लम्बे समय तक बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र का उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। वे सदैव समाज के गरीब एवं दलित वर्ग के विकास हेतु प्रयत्नशील रहे। उन्होंने सदैव उत्तर प्रदेश विधान सभा में पहाड़ के लोगों की समस्याओं को अत्यन्त प्रभावी तरीके से उठाया। मैं उनके निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और सदन एवं प्रदेश वासियों की भावनाओं को इन दोनों के परिवारजनों तक भेज दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब हम दो मिनट का मौन रखते हैं।

(तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

आज जो जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में मो0 शहजाद, हरिदास की सूचना नियम-300 में प्राप्त हुई है। उक्त सूचना 11:05 बजे पर प्राप्त हुई है मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया कल इस सूचना को नियम-58 में सुन लेंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, थोड़ी सी कमी रह गयी है। केवल सरकार का वक्तव्य आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

कल आप इसकी सूचना दीजिए हम इसको नियम–58 में हम सुन लेंगे।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली डा0 हरक सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री केदार सिंह रावत, दूसरी श्री बलबीर सिंह नेगी, तीसरी श्री गोपाल सिंह राणा, श्री यशपाल आर्य, श्री प्रीतम सिंह, श्री किशोर उपाध्याय, चौथी डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री तिलक राज बेहड़, पाँचवी काजी मौ0 निजामुद्दीन, छठीं श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा सातवीं श्री प्रेमानन्द महाजन जी की कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली डा0 हरक सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत एवं श्री केदार सिंह रावत, दूसरी श्री बलबीर सिंह नेगी तथा तीसरी काजी मौ0 निजामुद्दीन जी की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आप तीन सूचनायें लेते हैं और आज दो ही सूचना ली है। मान्यवर, मेरी भी सूचना ले लें यह बहुत गहन मामला है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तीन सूचनायें स्वीकार की हैं। डा0 हरक सिंह रावत जी, आप बोलें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे विषय पर जो कि पिछले तीन महीनों से प्रदेश की राजनीतिक–सामाजिक गतिविधियों को आंदोलित करता रहा है, ऐसे विषय पर अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, 24 अप्रैल, 2007 को हरिद्वार की एक युवती जिसका नाम नीलम शर्मा है उसकी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, इस युवती के दो छोटे–छोटे बच्चे हैं। मान्यवर, यह केवल हरिद्वार की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में उस दिन से उबाल आ गया है। हरिद्वार महिला संगठनों ने इस संदिग्ध मौत के लिए प्रदेश सरकार से सी0बी0आई0 से जाँच की मांग की है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तराखण्ड की राजनीति में ऐसे अनेक अवसर आये हैं, स्वयं इस सदन के सामने जब मैं मंत्री था और एक विषय आया था। मान्यवर, और हमारे चरित्र पर जब उंगली उठी

थी तो मैंने इसी सदन के सामने इस पीठ से अपनी बात को रखने का बार-बार अवसर मांगा था और यह मांग की थी कि सदन में मैं सम्मानित सदस्य हूं और मंत्रिपरिषद् का सदस्य भी हूं। इतना ही नही अगर मंत्रिपरिषद् का सदस्य और सदन का सदस्य न भी होता तो भी इस प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुझे अनेक अधिकार भी है और यही नेचुरल जस्टिस भी कहता है कि दोनों पक्षों को सुने बिना किसी को न्याय नही दिया जा सकता। मान्यवर, यही न्याय का तकाजा भी है। मान्यवर, मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने इस सदन के सामने सफाई देते हुए कहा था- "व्यक्ति को ईमानदार होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। व्यक्ति को चरित्रवान होना ही नही चाहिए, वह दिखना भी चाहिए।" मान्यवर, मैं ईमानदार हूं और चरित्रवान हूं, लेकिन मेरे चरित्र पर उंगली उठी है।

*सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)-

मान्यवर, आप किस विषय पर बात रख रहे है।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर अपनी बात रखें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, बात बहुत गम्भीर है मैं उसी विषय को रख रहा हूं। मैं उसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मान्यवर, भगवान रामचन्द्र जी की पत्नी सीता के चरित्र पर उंगली नहीं उठी थी, लेकिन अयोध्या के एक नागरिक ने सीता के चरित्र पर आरोप लगाया तो भगवान राम को सीता माता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। मान्यवर, हिन्दुस्तान की राजनीति में आरोप लगते हैं और लोग न्यायपालिका की दुहाई देते हुए अपने पदों पर बने रहते हैं। मान्यवर, हिन्दुस्तान की राजनीति और उत्तराखण्ड की राजनीति में हमने एक रास्ता प्रस्तुत किया है। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में हमें चुनकर भेजती है कि हमारा हर कार्य प्रदेश की जनता के लिए प्रेरणा बनेगा। ....

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आयें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, विषय पर ही आ रहा हूं, जब हमारे चरित्र पर, हमारे किसी कदम पर, हमारे कहने पर, हमारे कुछ करने पर कोई उंगली उठाता है तो हमें प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत के सदस्य के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। मान्यवर, आज फिर उसी तरह का प्रकरण सदन के सामने पुनः आया है। मान्यवर, एक युवती की हत्या हुई है, मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। तरह-तरह की चर्चाएं अखबारों ने सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण लोगों के और कार्यकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया है, इसलिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि जब इस युवती की मौत के साथ सरकार से जुड़े हुए लोगों के नाम की चर्चा है तो निश्चित रूप से मौत चाहे दिल्ली में हुई हो, चाहे उत्तराखण्ड में। यह सरकार के लिए भी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी युवती की मौत संदिग्ध हो और उससे सरकार से जुड़े लोगों के नाम अगर जब अखबारों में या चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो उसमें उजागर होते हो तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है हम मांग करें या न करें, बिना हमारी मांग किये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उच्च स्तरीय जांच करती।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। जिस घटना का इस राज्य से कोई सम्बन्ध न हो, श्रीमन्, मैं आपसे इसके बारे में संरक्षण चाहता हूँ, आपका मार्ग दर्शन चाहूँगा। जिस घटना का इस प्रदेश से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध न हो, उसके बारे में इस प्रदेश की सरकार क्या कर सकती है, क्या निर्णय ले सकती है, क्या जांच–पड़ताल कर सकती है ? इस प्रकार से सिवाय चरित्र हनन का आरोप लगाने के प्रयास के और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कदापि नहीं करने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सहमत होंगे कि मात्र अखबारों के आधार पर इतनी बड़ी बात कहना उचित नहीं है। (व्यवधान) अगर आप ग्राह्यता पर कुछ कहना चाहें तो कहें।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत कहा है कि घटना इस राज्य की नहीं है। मान्यवर, इसी सदन के अन्दर जब मेरे विरुद्ध भी मामला आया था, तो वह घटना भी उत्तराखण्ड प्रदेश की नहीं थी।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर
घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, फिर से व्यवस्था का प्रश्न है। पूर्व में घटित घटना पर कोई चर्चा इस सदन के अन्दर नहीं उठाई जा सकती।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर
(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन रहे हैं, माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, पुलिस की अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है, न्यायालय की अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है। जहां का मामला है, वहां के न्यायालय की अपनी ज्यूरिस्डिक्शन है। किस प्रकार से उत्तरांचल राज्य की पुलिस इस जांच में दखल दे सकती है ? किस प्रकार से उत्तरांचल राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को निर्देशित कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य पीठ को निर्देशित करने का काम कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों, तब माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिए। माननीय सदस्य बहुत विद्वान और बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए कहा, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

यह सदन इनकी [***] नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय किशोर उपाध्याय जी को और माननीय दिनेश अग्रवाल जी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या आपने इन लोगों को अनुमति दी थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [***] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले भी कहा है कि विषय बहुत गम्भीर है, इसमें सम्मानित सदन के किसी सदस्य के होने की बात भी आपके द्वारा की गई है।

(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, मैंने सरकार के किसी सदस्य की बात की है और व्यवस्था के नाम पर सत्ता पक्ष वाले व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर अपने विचार रखें, लेकिन मात्र अखबारों के आधार पर इसे नही माना जा सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, पहले मेरी बात तो सुन ली जाय, इस पर आपका विनिश्चय तो आ ही जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर अपनी बात को सीमित करें।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, ग्राह्यता के क्या मानदंड होंगे, ऐसे तो .... ।

श्री अध्यक्ष--

मात्र अखबारों की बात पर तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, आप ग्राह्यता पर अपनी बात को सीमित करते हुए अपनी बात रखें।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, हमारे प्रदेश की एक युवती की, जो मुझे अल्प जानकारी है, उसके आधार पर बताना चाहता हूँ कि और मान्यवर, यदि हमारे प्रदेश की किसी युवती की शादी हरियाणा में हो जाती है और वह वहां दहेज उत्पीड़न का शिकार होती है तो क्या वह अपने मायके में आकर क्या यहां अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकती है, मान्यवर, मैं तो कानून का सवाल उठा रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा कानून है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)--

मान्यवर, आखिर वह किस प्रकरण में चर्चा हो रही है, यही स्पष्ट नही हो रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नीलम शर्मा हत्याकांड पर बात हो रही है, और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया, आप ग्राह्यता पर अपने विचार रखिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा तो निर्देशित नहीं होंगे। आपका मत तो लास्ट में आयेगा ही।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर सीमित करें, इधर–उधर की बातों का क्या लाभ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जो हमारी मातायें बहनें हैं, वे क्या सीता हैं, क्या हम सब लोग राम हैं ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हों, आप लोग बीच में न बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हों तो हम बीच में नहीं बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश दे दिये हैं, अब आप अपनी बात रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विपक्ष की ओर से तो ऐसा अक्सर होता है और आपके निर्देश भी कई बार आते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर व्यवधान होता है, बार–बार यदि यह रिपीट होगा तो यह ठीक परम्परा नहीं होगी।

मान्यवर, नीलम शर्मा जो हरिद्वार की निवासी थी, उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई।

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोग सहमत हों तो इसे भोजनावकाश के बाद ले लिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसे जारी रखा जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसे जारी रख दें, इसके बाद भोजनावकाश हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं तो राय जानना चाह रहा था, आप अपनी बात जारी रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उस युवती की संदिग्ध हालात में मौत होती है तो पूरे प्रदेश की जनता अपने प्रदेश की युवती की मौत पर आक्रोशित है, उसकी संदिग्ध हालत में मौत होने पर उसकी हत्या की आशंका की वजह पैदा होती है। इस सम्बन्ध में हमने स्वयं लगातार प्रदेश सरकार से सी0बी0आई0 जांच की मांग की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मैंने इसके सम्बन्ध में ज्ञापन दिये, हरिद्वार में लगातार धरना प्रदर्शन करके और इस बात की मांग की। मान्यवर, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाये क्योंकि प्रदेश सरकार की किसी जांच एजेंसी पर हमको भरोसा इसलिए नहीं है। मान्यवर, क्योंकि इससे एक संदेश जायेगा कि प्रदेश की जांच एजेंसी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यह सरकार के लिए भी उचित होगा और पूरे प्रदेश की नजरें इस सदन पर लगी हुई हैं कि इस पर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत क्या निर्णय लेती है। इसलिए नीलम शर्मा की जो संदिग्ध मौत है, प्रदेश हित में, महिलाओं के हित में कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। उसके दो छोटे–छोटे अबोध बच्चे हैं, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, उनके सामने जीवन का पूरा संकट पैदा हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि ऐसे अनेक तथ्य हैं कि जब युवती की मौत होती है उसके मोबाईल से साढ़े सात बजे अगर उसकी मौत हुई है और चार कॉल उसके मोबाईल से किस व्यक्ति ने की है, किन लोगों के साथ वह दिल्ली गयी और उसका किन–किन लोगों के साथ उठना–बैठना था, उसके मोबाईल पर कौन लोग कॉल करते थे, वह किनको कॉल करती थी, उसे दिल्ली तक कौन लेकर गया, नीलम शर्मा दिल्ली किसके साथ गई ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज पूरे प्रदेश की जनता को आन्दोलित किये हुए हैं और पूरे प्रदेश की जनता की नजरें आज इस सदन की ओर लगी हैं। इसी तरह के एक प्रकरण में इस सदन ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेरी आंखों में आँसू दिये थे तब मैंने रोते हुए कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दोनों को जोड़कर क्यों चला जा रहा है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह मांग करता हूँ कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए आज इस पर चर्चा करा ली जाये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप हमारी चर्चा की मांग को स्वीकार कर लें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपसे दो टूक यहां पर बात करना चाहती हूँ। यह महिला हरिद्वार की निवासी थी। यह हम सब उत्तराखण्ड की महिलाओं का दायित्व बनता है कि अगर किसी भी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो यह हमारी सरकार का दायित्व है, उसका यह कर्तव्य बनता है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाये इस केस की सी0बी0आई0 से जांच कराई जाये। यह मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाये।

मान्यवर, क्योंकि हमारी हरिद्वार नगरी एक धार्मिक स्थल है। सम्पूर्ण भारत वर्ष से प्रति दिन यहाँ हजारों करोड़ों लोग जब उत्तराखण्ड में प्रवेश करते हैं वह हरिद्वार के द्वारा ही उत्तराखण्ड में प्रवेश करते हैं, इसलिए हरिद्वार को हरि का द्वार भी कहा जाता है। मान्यवर, यहाँ पर उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, यह उत्तराखण्ड के लिए अपमानजनक बात है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसकी सी0बी0आई0 जाँच होनी चाहिए। मान्यवर, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे सम्मानित मंत्री के ऊपर समाचार–पत्रों द्वारा आरोप लगाया गया था। हमारे मंत्री जी ने नैतिकता के आधार पर तत्काल अपना इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि जो केस बन रहा है, समाचार–पत्रों के माध्यम से जिक्र होता है और उसमें किसी मंत्री का नाम आता है तो उसको भी अपनी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा प्रस्तुत करना चाहिए। मान्यवर, समाचार–पत्रों के माध्यम से कई नेताओं की डिमान्ड आई है कि वह इस्तीफा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बात आ गई है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मान्यवर, यह घटना 24 अप्रैल, 2007 रात्रि 7.50 बजे की है। इस घटना की पृष्ठभूमि है, वह सारी पृष्ठभूमि हरिद्वार में तैयार होती है और हरिद्वार में

ही सारी बात समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में चर्चा चल रही है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सामने आ रही है। हरिद्वार के लोगों के द्वारा उसे दिल्ली पहुँचाया गया पूरी तरह सारे तथ्य गम्भीर घटना की ओर इशारा करते हैं जिसमें हमारी सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसको बड़ी गम्भीरता से लेते हुए इसकी सी०बी०आई० जांच करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप कह रहे थे कि तथ्य दे रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–58 के तहत जिस विषय को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सम्मानित सदन के सम्मुख जो विषय उपस्थित किया गया, जो नोटिस आपकी है उसको उद्धृत करना चाहूँगा। हरिद्वार की निवासी एक महिला श्रीमती नीलम शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को मृत्यु हो गई। इस संदिग्ध मृत्यु के सम्बन्ध में हत्या की आशंका व्यक्त की गई किन्तु औपचारिकता को पूर्ण किए बिना मृतका का दाह–संस्कार कर दिया गया। इस सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के विरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस संदिग्ध मृत्यु की स्वतन्त्र एजेन्सी से विवेचना नहीं करायी जा रही है जिस कारण हरिद्वार की जनता में भारी आक्रोश है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो बिन्दु उठाये गये, पहला बिन्दु इसकी औपचारिकता किए बिना मृतका का दाह–संस्कार कर दिया गया, इसके सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही जो जानकारी उपलब्ध हुई है कि इस महिला की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, मृतका के शव का पंचायतनामा थाना मानसरोवर पार्क, दिल्ली पुलिस द्वारा भरा गया और पोस्टमार्टम गुरू तेगबहादुर अस्पताल, दिल्ली में कराया गया है।

मान्यवर, श्रीमती नीलम शर्मा की दिल्ली में दिनांक 25–04–2007 को मृत्यु हुई थी। मृतका के शव का पंचायतनामा थाना मानसरोवर पार्क, दिल्ली पुलिस द्वारा भरा गया है एवं पोस्टमार्टम गुरू तेगबहादुर अस्पताल, दिल्ली में कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण ज्ञात न होने पर बिसरा जाँच हेतु केन्द्रीय फोरेन्सिक लैबोरेटरी, हैदराबाद भेजा गया है। श्रीमन्, इस प्रकरण की जाँच थाना मानसरोवर, दिल्ली पुलिस द्वारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत की जा रही है। मान्यवर, यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है जो माननीय सदस्य द्वारा सदन के सम्मुख रखी है और जो घटना है वह हमारे राज्य के अन्तर्गत नहीं आती है दिल्ली राज्य के अन्तर्गत घटना घटी और दिल्ली सरकार ने इस घटना का मुकदमा भी दर्ज कराया जो पंचायतनामा थाना मानसरोवर पार्क, दिल्ली पुलिस के विवेचन में है। दिल्ली में हुई घटना की जाँच को उत्तराखण्ड के राज्य में किया जाना सम्भव नहीं है और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया और न ही एफ०आई०आर० ही लिखित रूप मे दर्ज हुई है। मान्यवर, वास्तव में ये जो घटना हुई है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

इसकी जाँच राज्य सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि यह दूसरे राज्य की घटना है। जनपद हरिद्वार में श्रीमती नीलम शर्मा के परिजनो द्वारा उसकी कथित मृत्यु के सम्बन्ध मे कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है, अतः जनपद स्तर पर कोई जाँच प्रचलित नहीं हो सकती है। आज दिल्ली सरकार को पूरी जानकारी उपलब्ध है और दिल्ली सरकार उस पर कार्यवाही भी कर रही है। यदि दिल्ली सरकार चाहे तो राज्य सरकार सहयोग करने को तैयार है। मान्यवर, दिल्ली में जो सरकार है वह कांग्रेस की ही है वह इस हत्या काण्ड मे जो जाँच करवाना चाहे वह कर सकती है चाहे सी0बी0आई0 जाँच और कोई अन्य जाँच करे। यदि हमसे जो भी मदद मांगेंगे तो हम सहयोग करने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों को एवं माननीय मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति (उ0प्र0) यूनाईटेड प्रोवेन्शियल अधिनियम की धारा–16, 1939 एवं उत्तराखण्ड संशोधित अधिनियम की धारा–18, 2002 के अन्तर्गत गठित एक संवैधानिक समिति है जो कि अपने नियमों एवं उप–नियमों के तहत संचालित होती है। मंदिर समिति अधिनियम की धारा–8 के तहत मंदिर समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान समिति का गठन 26 नवम्बर, 2005 को किया गया था। जिसका कार्यकाल 25 नवम्बर, 2008 के बाद समाप्त होने जा रहा है। समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राजनैतिक द्वेष भावना के कारण इस वैधानिक समिति को नियमों के विरुद्ध भंग करने की नीयत से फर्जी शिकायती पत्र जो कि बिना नाम व पते तथा हस्ताक्षर का है, संज्ञान लेते हुए विधि के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। इस सम्बन्ध मे मैं सदन का संज्ञान लाना चाहता हूँ कि पत्र संख्या–419/4/2007–112(4)2007 दिनांक 18 मई, 2007 सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के माध्यम से मंदिर समिति को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में जो आरोप लगाए गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह ऐसे शिकायती पत्र से लिए गए हैं जिसका शीर्षक दिया है "केदारनाथ धाम में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नोट" और इस शिकायती पत्र में न किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही नाम है और न पता है। यह आश्चर्य का विषय है। एक तरफ इस तरह के गुमनाम पत्र का संज्ञान लेते हुए एक संवैधानिक संस्था को नोटिस जारी किया जाता है। दूसरी तरफ पंचायतों और नगर निकायों में शिकायतें स्वीकार करने के लिए शिकायतकर्ता से स्टाम्प पेपर पर एफेडेविट लिए जा रहे हैं। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत समाचार पत्रों में बाकायदा एक प्रोफार्मा प्रकाशित किया गया कि शिकायतकर्ता उक्त प्रोफार्मा में पूर्ण विवरण के साथ अपने नाम पते और हस्ताक्षर के साथ ही शिकायत भेजेगा तभी वह जांच हेतु संज्ञान लिया जायेगा। मान्यवर, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि एक संवैधानिक संस्था को राजनैतिक द्वेष भावना के तहत भंग किए जाने की सरकार की मंशा है। मंदिर समिति अधिनियम, 1939 की धारा–8 में स्पष्ट उल्लेख है कि मंदिर समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वर्तमान मंदिर समिति का गठन 26 नवम्बर, 2005 में हुआ था। जिसका कार्यकाल 25 नवम्बर, 2008 के बाद समाप्त होने जा रहा है, तब कांग्रेस सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अतः मंदिर समिति को जो नोटिस जारी किया गया है वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और मंदिर समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही यह सरकार मंदिर समिति को भंग करके अपने चहेतों को समिति में बिठाना चाहती है। मान्यवर, आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि डेढ़ वर्ष से मंदिर समिति के खिलाफ एक भी आरोप नहीं हैं अगर है तो सरकार बताए ? सरकार बदलते ही मंदिर समिति पर मनगढ़न्त आरोप गढ़े जाते थे और आरोप भी ऐसे जिसमें शिकायतकर्ता का कोई अता–पता नहीं है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य घनसाली द्वारा जिस विषय की ग्राह्यता पर बोलते हुए अपने विचार यहाँ पर रखे गये, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति का गठन बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम, 1939 की धारा–5 के अधीन हुआ और समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त अधिनियम की धारा–8 के तहत अतिरिक्त उपबन्धों से आच्छादित है और अब वर्तमान में जो समिति गठित है उसमें 26 फरवरी, 2005 को अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और 22 मार्च, 2006 को उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और इस तरह से अन्य सदस्यगणों की नियुक्ति हुई थी इस समिति में विगत दिनों माननीय सदस्य द्वारा समिति के माध्यम से जो चन्दन क्रय किया गया है उसमें अनियमितता की शिकायत की गई और एक शिकायत जो अधोहस्ताक्षरित नोटिस के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें लगभग इस प्रकार की कुछ और अनियमितताओं की शिकायत करते हुए शासन के संज्ञान में लाई गई।

श्रीमन्, चूँकि यह दोनों शिकायत चन्दन क्रय में अनियमितता और मंदिर में आ रहे चढ़ावे और दान की धनराशि में की गई अनियमितता से सम्बन्धित थी और विशेष रूप से पूजा हवन सामग्री की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और जब यह शिकायत शासन के संज्ञान में आयी तो शासन ने इन आरोपों को गम्भीरता से दृष्टिगत रखते हुए मंदिर समिति से जाँच की आख्या मंगाई और यह आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन द्वारा किया गया और माननीय सदस्य द्वारा यह कहा जाना कि यह राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया गया है तो यह सरासर सत्य से परे है, इस जाँच के प्रकरण में कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष शामिल नहीं है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ इस सम्मानित सदन को कि विधिक व्यवस्था के विपरीत कोई भी कार्य यह सरकार नहीं करेगी और न ही वर्तमान में इस समिति को भंग किये जाने का कोई निर्णय लिया गया है, इसलिए जब कोई निर्णय लिया ही नहीं गया और न विधिक व्यवस्था के विपरीत कोई कार्य करने की मंशा सरकार की है तो ऐसी स्थिति में एक कपोलकल्पित तथ्य की आशंका से कोई विषय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए यह सूचना ग्राह्य योग्य नहीं है, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इसे अग्राह्य करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, वर्तमान में चन्दन क्रय करने की प्रक्रिया जो काफी जटिल है, 25 अप्रैल, 2005 से हुई थी, वर्ष 2007 मई में क्रय की गई और मान्यवर, दोनों अधिष्ठानों में श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ समिति, चन्दन का स्टॉक समाप्ति की ओर था। मान्यवर, जटिल प्रक्रियाओं को देखते हुए मंदिर समिति ने 07 सितम्बर, 2006 को सर्वसम्मति से जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अवगत कराया। (व्यवधान) मान्यवर, 08 नवम्बर, 2006 की मंदिर समिति की बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की गयी थी तथा 19 मार्च, 2007 को बजट बैठक में 10 कुंतल चन्दन की लकड़ी खरीदने की अनुशंसा की गयी थी। ...... (व्यवधान) मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि जिस पत्र में किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, उसके बावजूद भी जांच का संज्ञान लिया गया है, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए ऐसी मैं मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मंदिर समिति खुद जांच कर रही है, ये सारे तथ्य जांच समिति के सम्मुख लाये जांय।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, इसमें मूल प्रश्न यह है कि ...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें सभी बिन्दु आ गये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कार्यवाही किस सूचना के आधार पर हुई है, हस्ताक्षर वाली सूचना पर या बिना हस्ताक्षर वाली सूचना पर।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें दो शिकायतें आयी थी, एक में माननीय सदस्य के हस्ताक्षर थे और दूसरी बिना हस्ताक्षर के थी। तो जिसमें हस्ताक्षर नहीं थे, उसमें गम्भीर आरोप लगाये गये थे। ...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सम्मुख रख रहा हूँ। गंगा नदी जिसके बारे में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे कि इसे सिर्फ गंगा नदी कहा जाय, लेकिन वे इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। मान्यवर, अगली बार शायद वे इधर आ जायेंगे। मान्यवर, गंगा नदी की आस्था हिन्दुस्तान में दुनियां में करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ी हुई है। मान्यवर, महाराजा भागीरथ स्वयं स्वर्ग से लेकर गंगा को धरती पर उतार लाये। आज बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है, जिस गंगा की वजह से इस पूरे इलाके में खुशहाली है, यहां के रहने वाले हों या यहां से लेकर कलकत्ता तक के सभी लोग इससे फायदा उठाते हैं, चाहे वह फायदा खेती के तौर पर हो या उससे अलग हटकर। इससे हिन्दुस्तान की एक संस्कृति जुड़ी हुई है। बड़ी तकलीफ महसूस होती है जब हरिद्वार जाये तो गंगा में उसके आस–पास से सीवर की गन्दगी देखने को मिलती है, जिसमें हजारों लोगों का मलमूत्र मिला होता है, वह गंगा जी से प्रवाहित किया जाता है। जिस पवित्र गंगा जी का पानी का इस्तेमाल धार्मिक तौर पर किया जाता हो, उसमें यह गन्दगी नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, जब किसी इंसान का आखिरी समय होता है, यदि उस समय उसके मुंह में गंगा का पानी डाल दिया जाय तो कहा जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यवर, घरों में भी अलग–अलग स्थानों पर शुद्धिकरण के लिए गंगा जी का जल प्रयोग किया जाता है।

मान्यवर, बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जिस जल का प्रयोग हम भावनाओं के तहत करते हैं, उस जल को खुद अपने हाथ से प्रदूषित कर रहे हैं। मान्यवर, संस्कृति की बात कहने वाले जो लोग आज सरकार में बैठे हैं, लोकल एम0एल0ए0 सरकार में बैठे हैं, उनकी निगाह शायद इस ओर नहीं गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री भी हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने कह दिया है कि सरकार में बैठे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ महसूस होती है। मान्यवर, मैं आपके सामने एक छोटा सा बिन्दु रखना चाहता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि केवल हिन्दुओं की भावनाएं ही गंगा जी से जुड़ी हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मौलाना कासिम साहब, जिन्होंने दारुल उलूम देवबन्द की नींव रखी थी, उनके दिमाग में यह सवाल आया कि गंगा जी पवित्र क्यों हैं ? वे गंगा जी के किनारे–किनारे गंगोत्री तक गये। वहां पर जाकर उन्होंने इबादत, जिसे तपस्या कहते हैं, की। मुसलमानों की मान्यता है कि वहां जाकर कासिम साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ। गंगा जी जन्नत से निकली हैं। नबी की मजार से निकली हैं ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म की आस्था गंगा जी से जुड़ी हुई है। हमारी भी आस्था गंगा जी से जुड़ी हुई है। आप लोग सरकार में हैं, इसलिए खास तौर से उम्मीद रहेगी कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। यह अविलम्बनीय विषय है, इससे तात्कालिक विषय हो ही नहीं सकता। भावनाओं से जुड़े लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गंगा जी में स्नान करने आते हैं और गंगा जल घर लेकर जाते हैं। शायद उन्हें पता नहीं होता कि वे कितना प्रदूषित जल लेकर जा रहे हैं। इसकी भावनात्मक वैल्यू है। प्रदूषण के लिहाज से देखें तो बहुत प्रदूषित पानी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आज सदन का सारा कार्य रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन जी को बधाई देता हूँ कि आपने जनहित का प्रश्न उठाया। साथ ही मेरा यह कहना है कि गंगा का जल निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप ही चर्चा के लिए स्वीकार कर लीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मेरी बात तो सुनिये।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, गंगा जी के बारे में जो कहेंगे, दिल से कहेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सरकार गंगा के पानी को पवित्र रखने के लिए वचनबद्ध है और गंगा कार्यकारी योजना के प्रथम चरण में हरिद्वार में जगजीतपुर में 18 एम0एल0डी0 का टैंक

सीवरेज शोधन व्यवस्था के लिए बनाया गया है। ज्वालापुर में 4 एम0एल0डी0 का और ऋषिकेश में 0.32 एम0एल0डी0 का फिल्टर प्लांट लगाया गया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, ये प्लांट क्या काम कर रहे हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ये पानी को शुद्ध करते हैं। जो सीवरेज का, नाले का गंदा पानी होता है, उसको शुद्ध करते हैं। ऋषिकेश में 6 एम0एल0डी0 का टैंक बनाया गया है। बद्रीनाथ में सेप्टिक टैंक बनाया गया है। उत्तरकाशी में सेप्टिक टैंक बनाया गया है। गंगा कार्यकारी योजना प्रथम चरण में यह सारे काम हुए हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इनसे गंगा कितनी शुद्ध हुई है ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो मैं बताऊँगा कि कितनी शुद्ध हुई है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जो प्रस्तावित कार्य हैं, वह इस प्रकार है, हरिद्वार में 27 एम0एल0डी0 का पानी शुद्ध करने का यंत्र प्रस्तावित है, ज्वालापुर में 4 एम0एल0डी0 का जल शोधन यंत्र लगाने की योजना है, किन्तु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऋषिकेश में 3 एम0एल0डी0 का पानी को शुद्ध करने का यंत्र लगाया जाएगा। बद्रीनाथ में 3 एम0एल0डी0, श्रीनगर में 3.5 एम0एल0डी0 का जल शोधन यंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है। उत्तरकाशी में 2 एम0एल0डी0 का ट्रीटमेंट प्लांट काम करना शुरू करने वाला है। श्रीनगर में यदि जमीन मिल गयी होती तो वहां पर भी लग जाता।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जगजीतपुर में काम कर रहा है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जी हाँ। इसी तरीके से ज्वालापुर सराय में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अगर वहां पर भूमि उपलब्ध हो जायेगी तो वहां पर प्लांट लग जायेगा। गंगा का पानी पवित्र रहे, यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए बहुत ही सजग है, जहां तक आपने कहा कि गंगा का जल, तो इसकी प्रतिवर्ष जांच होती है। यह भारत सरकार की जो राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण निदेशालय है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय में यह आता है, उसकी पी0सी0आर0आई0, जो कि बी0एच0ई0एल0 की संस्था है, उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है, इनकी रिपोर्ट को

मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें डिसोल्व आक्सीजन, डी0ओ0डी0 मोर दैन फाइव एम0जी0 होना चाहिए। ऋषिकेश में यह पाया गया है, 8.3, अर्थात वहां पर प्योर है, हरिद्वार में यह पाया गया है 8.00 अर्थात प्योर है। दूसरा बायो कैमिकल ऑक्सीजन, यह डी0ओ0डी0 अब आया है, यह लैस दैन 3 होना चाहिए। रिपोर्ट में लिखा है कि यह ऋषिकेश में 1 है, लैस दैन 3 है, यह हरिद्वार में 1.3 है अर्थात प्योर है। तो यह रिपोर्ट में लिखा है कि गंगा का जल पवित्र है। यह मेरा रिकार्ड नहीं है बल्कि जो भारत सरकार की जिस संस्था द्वारा कार्य कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, थोड़े से रिकार्ड मेरे पास भी हैं, अफसोस की बात यह है कि माननीय मंत्री ने भारतीय संस्कृति से परिचित होते हुए भी यह बात कह दी कि वहां पर पानी पवित्र है। मान्यवर, यह पवित्र चीजें हैं और पवित्र चीजों को हम कितना भी अपवित्र कर दें, वह पवित्र ही रहती हैं। मान्यवर, गीता हो, कुरान हो, गुरु ग्रन्थ साहिब हो या बाईबल हो, कोई भी हिन्दुस्तानी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि इनकी तरफ पैर करके बैठ जाय या इनकी तरफ पीठ कर दे। इससे उनका असम्मान तो नहीं होता है, लेकिन हमारी भावनायें उससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम उनकी तरफ पीठ और पैर नहीं करते हैं। जिस जगजीतपुर प्लांट की बात आप कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको यह पत्र पढ़कर बताना चाहता हूँ, यह 15–5–2007 का पत्र है और परियोजना प्रबन्धक श्री प्रभात कुमार के हस्ताक्षर इसमें है और इसमें लिखा है कि जगजीतपुर से रोज 10 एम0एल0डी0 सीवरेज गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है। मान्यवर, यह पत्र मैं आपके पास भेज रहा हूँ।

(पत्र की प्रति माननीय अध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई।)

मान्यवर, आप जिस ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बता रहे हैं उसी से गंगा नदी में सीवरेज डाला जा रहा है, इसका रिकार्ड मैंने अध्यक्ष जी को उपलब्ध करा दिया है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार हरिद्वार नगर में कम से कम 100 एम0एल0डी0 गन्दा पानी रोज गंगा नदी में जा रहा है। यह पानी ऐसी जगह से निकला होता है जो कि गंगा के पानी को सिर्फ प्रदूषित करता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे दोबारा मांग करूंगा कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे वह पहले लगे थे और सघन बस्तियां धीरे–धीरे बढ़ रही हैं। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि हम नये ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। जमीन मिल जायेगी तो वहां पर प्लांट लग जायेंगे। तो गंगा के पानी को और भी सही करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, सरकार का पूरा प्रयास होगा कि गंगा को पवित्र रखा जाये।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो सीवर का पानी है। प्लांट लगाना तो लम्बी–चौड़ी बात है। पहले आप जमीन अधिग्रहीत करेंगे, फिर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और इस काम में सालों लगेंगे लेकिन तीर्थयात्री लगातार आते रहेंगे। हरिद्वार, बनारस आदि तीर्थ स्थलों पर तीर्थयात्री आते रहेंगे, गंगा जल का प्रयोग होता रहेगा। जो भी इस तरह के नाले हैं, सीवर हैं, किसान इस पानी को लेने के लिए तैयार हैं और वे इसके लिए आपको कुछ रॉयल्टी भी देंगे। तो क्या सरकार किसानों को यह पानी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, इसका आप परीक्षण करवा लें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके साथ जाकर वहां सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, आप माननीय सदस्य को साथ ले लें। माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

विधान सभा समितियों के गठन हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने

के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे, को स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी हेतु मा0 सदस्य नामित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित की धारा-10, उपधारा (छ) के अनुसरण में यह सदन गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में दो सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित की धारा-10, उपधारा (छ) के अनुसरण में यह सदन गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में दो सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे, को स्वीकार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2265049 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ पचास लाख उनचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2 मण्डल एवं 13 जनपद, 78 तहसील, 6 उप-तहसीलें विद्यमान हैं। विभागीय ढाँचों के अन्तर्गत मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय देहरादून में है और दो सर्किट पौड़ी एवं नैनीताल में स्थापित है। राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य लोगों के भूस्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा, भू-अभिलेखों का संरक्षण एवं अद्यावधिक किया जाना तथा भू-राजस्व संग्रहण द्वारा राज्य की आय में वृद्धि करना है। राजस्व वादों का निस्तारण, दाखिल खारिज, राजस्व देयकों की वसूली, निर्धन वर्गों के लिए आवास स्थल आवंटन, अतिरिक्त सीलिंग का आवंटन पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था का कार्य, चकबन्दी भू-अभिलेखों का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य, विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के लिए भूमि अध्याप्ति का कार्य राजस्व विभाग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। मुख्य राजस्व आयुक्त, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी के स्तर पर उपरोक्त कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व विभाग को आधुनिक एवं चुस्त-दुरुस्त तथा उत्तराखण्ड की जनता की आशाओं के अनुरूप बनाये जाने हेतु अब तक विभिन्न कार्य किये गये हैं। राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत राजस्व पुलिस को 46 जिप्सी वाहन, 50 वायरलैस सैट, 100 मोबाईल हैण्ड सैट उपलब्ध कराये गये हैं और राजस्व पुलिस के सहायतार्थ प्रत्येक ग्राम के हिसाब से 6287 ग्राम प्रहरियों की तैनाती की गयी है और मुख्य राजस्व आयुक्त को पदेन मुख्य संचालक राजस्व पुलिस एवं दोनों मण्डलायुक्तों को अपर मुख्य संचालक राजस्व पुलिस बनाया गया है। कुल 1215 पटवारी चौकियों के विरुद्ध वर्तमान में 1186 पटवारी चौकियां नई बन चुकी हैं। अब 29 पटवारी चौकियां निर्माण हेतु अवशेष है। इस योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में 63 करोड़ का प्राविधान था। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष के अवशेष माह हेतु 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। द्वितीय चरण में 131 कानूनगो चौकियों का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए नयी माँग के माध्यम से रुपया 760 लाख की धनराशि का प्राविधान कराया गया है। मान्यवर, जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर कलेक्ट्रेट के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत की गई थी। अवशेष कार्यों के लिए धनराशि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत की गयी। इन जनपद मुख्यालयों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। नवसृजित जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु समस्त धनराशि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा ही निर्गत की गयी है। यह धनराशि 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी।

काज़ी मौ0 निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है कि माननीय मंत्री जी सदन में पढ़कर विभागीय उत्तर का जवाब नहीं दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, सदन में आकड़ों की मदद ली जा सकती है। माननीय मंत्री जी द्वारा आकड़े पढ़े जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, ठीक है यह परम्परा नहीं है कि सदन में उत्तर पढ़कर नहीं दिया जा सकता है।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006–07 के राजस्व लेखा में आयोजनागत मद में 26672 का प्राविधान किया है तथा इसी मद में आयोजनेत्तर मद में 667352 रु0 का प्राविधान किया है। मान्यवर, राजस्व लेखा जिला प्रशासन के आयोजनेत्तर मे 406741 रु0 का प्राविधान किया है।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज पटवारी चौकी के बारे में कोई नई नीति तैयार नहीं की गयी है चूंकि पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत पटवारी चौकी का अवशेष निर्माण रह गया था। सरकार ने किस प्रकार से पटवारी चौकी का निर्माण किया जायेगा इसका स्पष्ट उल्लेख अपनी नीति में प्राविधान नहीं किया है और न ही एस0एन0डी0 के अन्तर्गत पटवारी चौकी के निर्माण हेतु भी कोई प्राविधान किया गया है। इतनी ही नहीं मान्यवर, एस0एन0डी0 में पटवारी चौकी को किस कानून के अन्तर्गत रखा जायेगा इसका भी जिक्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मान्यवर, जो पटवारी चौकियॉं परिषद् के अन्तर्गत आती है क्या उनका निर्माण भी अलग रूप में किया जायेगा या उन पटवारी चौकी को परिषद् में ही रखा जायेगा ? सरकार ने इसका भी जिक्र इस वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक में नहीं किया है। मान्यवर, इस बजट में राजस्व पुलिस हेतु वाहन के नाम पर वर्तमान सरकार द्वारा अधिक पैसा खर्च किया गया है। एक ओर जहां सरकार सुरक्षा आयोग गठित कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह पुलिस के अधीन रहेगा या नहीं इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, जो राजस्व पुलिस के लिए वाहन भी उपलब्ध कराये गये थे, पटवारियों

के लिए। अब उनका उपयोग जिलाधिकारी और उप-जिलाधिकारी के स्तर पर किया जा रहा है उसमें व्यवस्था करने का कोई खुलासा नहीं किया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग जो चल रहा है इसमें कौन से महत्वपूर्ण सुझाव है, कितनी अवधि मे गतिमान और उसका कार्यकाल कब तक पूरा हो जायेगा इसका भी जिक्र नही किया गया है इस बजट में कहीं कुछ भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। चकबन्दी जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि इस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन चकबन्दी व्यवस्था के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नही किया गया है और न ही नई मदों में इसको रखा गया है। इसी तरह राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए ओ०टी०एस० स्कीम की ओर कोई ध्यान नही दिया गया है जिससे कि जो राजस्व वसूली पेन्डिंग है उसमें ओ०टी०एस० लागू किया जाना चाहिए। जिससे राजस्व वसूली बढ़ सकती है। राजस्व वसूली को ये जो ग्रामीण रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना है इनके साथ जोड़ना होगा ताकि अनावश्यक रेवेन्यू रिकवरी के माध्यम से जो काश्तकार है, जो ऋणी है उसमें सेटलमेण्ट कर सके। रोजगार गारण्टी योजना से रेवेन्यू रिकवरी को जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्व वादों के बारे में यह जो आयुक्त होते हैं, मण्डलों में बैठते हैं उनको प्रत्येक जिलों में कैम्प करना चाहिए जिससे उस जिले के मामले वहीं पर निपट सकें और जनता को परेशानी न हो और आने जाने में समय बच सके। वर्ष 1991 से पूर्व यह व्यवस्था तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में की गयी थी कैम्प कोर्टस की व्यवस्था। जिसमें आयुक्त प्रत्येक जिले में जाकर वहाँ के मामले सुनता था जिससे लोगों को दूर से आने में सुविधा मिलती थी और अपीलों की सुनवाई होती थी।

मान्यवर, यह जो सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित पेपर पी०यू०सी० इनके बारे में मंत्री स्तर से माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक समीक्षा होनी चाहिए कि कितने आज तक कितने प्रकरण लम्बित है और कितनों का निस्तारण किया जा चुका है। होता यह है कि जिन विधायकों का पत्र माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए जाता है तो वह सचिव से लेकर नीचे तक फिर नीचे से सचिव, सात टेबलों पर जाकर फिर मंत्री तक जाता है इस प्रक्रिया से मान्यवर, उनके पत्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण अपने स्तर पर कम से कम प्रथम दृष्टया देकर उसका विवरण करें, यदि कोई कार्य होना है तो नोट बनायें ताकि इतना लम्बा प्रकरण न हो, तत्काल समाधान हो सके। मान्यवर, प्रमुख जनप्रतिनिधियों के पत्रों की यह हालत है तो हम समझ सकते हैं कि प्रदेश के आम आदमी के शिकायत प्रकोष्ठ का क्या होगा ? अन्य प्रकार का पत्राचार करके थोड़ी वाहवाही ले लें, लेकिन प्रभावी कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा, जबकि वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जाती तो मेरा सुझाव है कि वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, लोकायुक्त में कितने बिन्दुओं पर कार्यवाही

की गई, कितने विचाराधीन हैं, लोक सेवा अधिकरण है, अन्य अधिकरण, विद्युत सेवा प्राधिकरण में कोई नोटिफिकेशन हुए हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है, जबकि खुलासा किया जाना चाहिए था और इस तरह से जो सूचना आयोग का अधिकार अधिनियम के तहत है अभी तक यह लगता है कि मात्र एक ही व्यक्ति वहाँ पर ऑल इन ऑल बने हुए हैं, उसके अनुसार कोई विधिवत् गठन नहीं किया जा रहा है और इसका माननीय मंत्री जी के भाषण में या बजट के प्राविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, कभी-कभी इसका विधिवत् गठन कर लिया जाए। मान्यवर, होमगार्ड, सिविल, डिफेन्स का कोई पर्याप्त प्राविधान नहीं किया गया और मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि प्रशासन को और भी जनता के नजदीक ले जाने के लिए नये जिलों की मांग चल रही है, जैसे उत्तरकाशी में यमुनोत्री घाटी क्षेत्र, कोटद्वार, रानीखेत, लैंसडाउन की मांग है। इनको नये जिलों के सृजन करने के लिए कोई भी बात बजट में नहीं की गई है, इसके लिए एस0एन0डी0 मदों में भी प्राविधान किया जाना चाहिए था। मान्यवर, इसी तरह से जो पुरानी तहसील स्थापित की गई है, पिछली सरकार के समय में उन तहसील मुख्यालयों में उप-जिलाधिकारियों का कार्यालय नहीं है, उनके स्टाफ के बैठने की व्यवस्था नहीं है और न ही इस बजट में कोई इस प्रकार का प्राविधान किया गया है, जिससे उनका औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है। मान्यवर, बहुत संक्षेप में कहूँगा, आपदा प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और पूरे उत्तरांचल जोन 4-5 के अन्तर्गत आता है, लेकिन आपदा प्रबन्धन से उत्पन्न होने वाली स्थिति चाहे पुनर्वास की हो, सहायता की हो उसमें कोई भी मदों का प्राविधान बजट में नहीं किया गया है और न ही एस0एन0डी0 की मद बनाई गई है और न ही प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसी तरह से ओलावृष्टि, सूखा राहत की जो तात्कालिक कठिनाई होती है उसके लिए आपदा प्रबन्धन के तहत, राजस्व के तहत कोई भी राहत का प्राविधान नहीं किया गया है और कोई नई मद नहीं बनाई गई है।

मान्यवर, इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो हमारा सी0आर0एफ0 है, इसके तहत जो राहत मिलती है चाहे वह ओलावृष्टि के तहत हो, सूखा राहत के तहत हो या आपदा प्रबन्धन के तहत, वह बहुत ही कम है। मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने पर खेतों में पानी भरा रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पानी सूख जाने के बाद खेत अपने ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा खेत स्वाहा हो जाता है। मान्यवर, सी0आर0एफ0 में इस मद में मात्र 50 रुपये प्रति नाली की व्यवस्था है। मान्यवर, इससे जनता में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। मान्यवर, इस मद में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई प्राविधान किया गया है, जोकि बहुत बड़ी

स्वामी है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कटौती के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन जो मांग की राशि है वह घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, राजस्व पुलिस अधिग्रहण के लिए व्यवस्था कर रखी है, इसके तहत हमने 46 जिप्सी वाहन, 50 वायरलैस सैट, 100 मोबाइल हैण्ड सैट उपलब्ध कराये हैं और राजस्व पुलिस के सहायतार्थ प्रत्येक ग्राम सभा के हिसाब से 6287 ग्राम प्रहरियों की तैनाती की गयी है और मुख्य राजस्व आयुक्त को पदेन मुख्य संचालक राजस्व पुलिस एवं दोनों मण्डलायुक्तों को अपर मुख्य संचालक राजस्व पुलिस बनाया गया है। कुल 1215 पटवारी चौकियों के विरुद्ध वर्तमान में 1186 पटवारी चौकियां नई बन चुकी हैं अब 29 पटवारी चौकियां निर्माण हेतु अवशेष हैं। इस योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में 3.00 करोड़ का प्राविधान था। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष अवशेष माह हेतु 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। द्वितीय चरण में 131 कानूनगो चौकियों का निर्माण प्रस्तावित है।.......

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(माननीय मंत्री का भाषण पढ़ा हुआ माना जाय।)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, पूर्व सरकार के द्वारा राजस्व के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गयी थी उन योजनाओं के प्रति पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई जगहों पर तहसीलों, उप तहसीलों का एलान तो किया लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किये होने के कारण वे सारी की सारी योजनाएं ठण्डे बस्ते में चली गयी थी।

मान्यवर, इस सरकार के द्वारा जहां उन कार्य योजनाओं को अपनी प्रोग्रामिंग में लिया गया है, वहीं बहुत सारे राजस्व से सम्बन्धित जो हमारे प्रदेश के किसानों की समस्याएं खड़ी हैं, उनको भी प्रकाशवान किया गया है। बड़ी खुशी की बात है। हम आभारी हैं, इस सरकार के कि उन्होंने पिछली सरकार के समय में किसानों की वर्ग चार की जो ज्वलंत समस्या थी, उस समस्या को एक तरह से छूमन्तर बना कर दिखा दिया

है। किसानों आओ इकट्ठे हो जाओ, वर्ग चार की समस्या का समाधान होने लगा है, बाजार में जिस तरह से मदारी डुगडुगी बजाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार पिछली सरकार ने वर्ग चार के निर्णय के अन्दर इसे लागू किया। वर्ग चार के निर्णय में जब मुठ्ठी हटकर निकली तो ऐसी निकली कि एक परसेंट किसान भी वर्ग चार की जमीन का नियमितीकरण नहीं करा पाया। सारी की सारी योजना वैसे ही पड़ी रह गयी। किसानों के ऊपर इतना राजस्व थोप दिया गया कि किसान सोच भी नहीं सकता था कि इतना राजस्व हमारे ऊपर लगाया जाएगा। ऊपर से उनको नोटिस दिया गया कि जो किसान 30 जून तक इसका विनियमितीकरण नहीं करायेंगे, उनको जो वर्ग चार के अधिकार बीसियों साल से प्राप्त हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। यह एक नया इनाम उत्तरांचल के किसानों को देने का विचार किया गया। हमारी सरकार ने पिछली सरकार का जो पुलिन्दा था, 30 जून की जो सीमा बांधी थी, इसको 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे किसानों की सांस में सांस आयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे प्रदेश में, विशेषकर मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जो खेती योग्य भूमि है, वहां पर चकबन्दी की, बन्दोबस्त की, थारू-बुक्सा जनजाति की, अनुसूचित जाति की जमीन के बिक्री के अधिकार की समस्या है और किसान आज तक तहसील का गुलाम होकर रहा है। तहसील के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, वह हमारे उत्तरांचल राज्य के किसानों के बटाईदार बनकर रह रहे हैं न कि कर्मचारी और अधिकारी बन कर। हर साल किसानों की जो खेती आती है, उसमें पटवारी का, तहसीलदार का हिस्सा बंधा है। पटवारी को इतना देना है, तहसीलदार को इतना देना है, आगे इतना देना है, सब पहले से तय होता है।

मान्यवर, पिछली सरकार ने कम्प्यूटरीकरण करने की जो योजना हवा में छोड़ दी थी, उसे हमारी सरकार ने कामयाब किया है। इसके लिए बजट कहां से आएगा, इसकी परवाह पिछली सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार ने इसकी परवाह करके बजट में इसके लिए व्यवस्था की है। जिससे किसानों की सांस में सांस आयी है। पटवारियों और अधिकारियों के चंगुल से छूटकर अब हम भी अपने हक और खसरा-खतौनी की नकल घर बैठे ही प्राप्त कर पायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 13 पटवारी चौकियों का निर्माण कराये जाने के लिए 7.60 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है। हमें आशा है कि ये चौकियां समय से बन जायेंगी। मान्यवर, कलेक्ट्रेट में जहां पिछली सरकार ईंट रख कर चली गयी, आगे का कार्य कैसे होगा, बजट का प्राविधान कैसे होगा ? इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके लिए हमारी सरकार ने 3 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। सरकार ने इस बात की व्यवस्था बनाई है कि जो हमारी पहले की योजनायें हैं और जो बाद की योजनायें होंगी उसके लिए माकूल बजट की व्यवस्था बनाई। इतना ही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सत्ता पक्ष वालों ने विपक्ष के ऊपर यह ततैया छोड़ी है, कहीं यह आप तक भी न पहुंच जाये। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

आपका धन्यवाद कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं अभी माननीय सदस्य श्री चीमा जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने इस बजट की बड़ी तारीफ की है। वर्ग चार की भी बात को उन्होंने कहा तो मैं यह कहना चाहता हूँ और सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पहली सरकार ने जिस वर्ग चार की भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया की थी, तो क्या उसमें कोई कमी थी या उसमें कोई छेद था, तो क्या इसका सरलीकरण किया जायेगा ? दूसरी बात जो राजस्व से जुड़ी हुई है, एस्कार्ट फार्म के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही की गई थी और भूमि को मुक्त कराया गया था। इसमें 450 एकड़ भूमि को किसानों को वापस दे दिया गया है, लेकिन कुछ किसानों की जमीनें छूट गई हैं। पिछली बार विपक्ष में रहे हमारे साथी जो अब सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा आन्दोलन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और इस सदन के सदस्य श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और अरविन्द पांडे जी, माननीय चीमा जी ने एस्कार्ट फार्म कूच किया था और वहां पर गिरफ्तारी भी दी थी। इसके लिए बड़े स्तर पर अकाली दल ने, पंजाब से लेकर दिल्ली के नेताओं ने, पार्लियामेंट के सदस्यों ने एस्कार्ट कूच भी किया था। लेकिन आज जब बजट आया है, मेरा मानना था कि माननीय चीमा जी इस पर जरूर कुछ बोलेंगे। जिसे लेकर वह आज भी कहते हैं कि मेरी बात को कोई नहीं सुनता है, मैं पीड़ित हूँ। तो क्या वहां पर जिन किसानों की जमीन छूट गई है, उसे वापस करने के लिए सरकार विचार कर रही है, क्या जिन किसानों की जमीन छूटी है, सरकार क्या उन्हें वापस देगी ? मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि दोबारा से चकबंदी की जायेगी, मान्यवर, चकबंदी तो पहले हो चुकी है, अब क्या दोबारा होगी तो कहां पर होगी, जहां छूटी है, वहीं होगी या सब जगह होगी ? इस बात पर मुझे तब की याद आती है, जब मैं छोटा था तो उस समय एस्कार्ट का ट्रैक्टर होता था तो लोग कहते थे कि जिसके घर में एस्कार्ट का ट्रैक्टर होगा, उसके घर में चोरी नहीं होगी, क्योंकि उसे गरीब समझा जाता था। फिर हमारे तराई में मैटाडोर आई तो लोग कहते थे कि जिसके घर में पीतल के बर्तन नहीं होंगे, उसके घर में चोरी नहीं होगी

क्योंकि वह पीतल के बर्तन इस मैटाडोर के चक्कर में बेच देंगे और उन्हें बेच-बेच कर ही काम चलायेंगे। फिर आई चकबंदी तो लोग कहते थे कि जहां चकबन्दी हो जायेगी, वहां 10 साल तक चोरी नहीं होगी क्योंकि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चकबन्दी दोबारा होगी तो यह क्या सभी जिलों में होगी या जो जिले बच गये हैं, उन्ही में होगी। इसके साथ ही इसके जो बंदोबस्त के बस्ते आज भी तहसीलों में पड़े हुए हैं, उन पर प्रक्रिया अधूरी है, उन पर क्या शीघ्र कार्यवाही होगी ? मेरा यह सवाल है मैं चाहता हूँ कि इन पर सरकार अपना स्पष्ट जवाब दें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं श्री केदार सिंह रावत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

मान्यवर, मैं एक-दो छोटी बातें जानना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हमारे साथी माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने भी चकबन्दी के बारे में कहा, मुझे यह बता दिया कि हमारे यहां चकबन्दी कब खत्म होगी ? मेरे दादा जी के समय में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और वे यह बस्ता मेरे पिता जी के हाथ में थमा कर चले गये और फिर मेरे पिता जी ने मुझे यह बस्ता थमा दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं भी अपनी औलाद के हाथ में यह बस्ता दूंगा ? मान्यवर, चकबन्दी की प्रक्रिया इतने पुराने समय से चल रही है। मान्यवर, आज तक चल रही है। लगभग 40-45 वर्षों से चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है। माननीय राजस्व मंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से जवाब आये। करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो रहा है चकबन्दी अधिकारियों की तनख्वाह पर। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई अध्यादेश आदि लाने का इरादा है ? लगातार हमारे यहां यह बना रहता है। राजस्व मंत्री जी कोई व्यवस्था करने वाले हैं जैसे कश्मीर में। एक तरफ तो भाजपा की सरकार यहां पर विद्यमान है। इनका खास तौर से मुद्दा यही है कि कश्मीर से धारा-371 खत्म किया जाये और देश के दूसरे स्टेट में जहां इनकी सरकार है वहां इससे मिलती-जुलती धारा लगाने का इरादा ये रखते हैं।

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, जहां तक चकबन्दी का सवाल है। हरिद्वार में चकबन्दी चल रही है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, कृपया माइक खोल लें।

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, आप तो मेरी आवाज वैसे भी सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार सिंह रावत जी, आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि पहले माननीय मंत्री जी बजट भाषण देंगे, उसके बाद कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा, फिर यदि कोई सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहे तो वो चर्चा में भाग लेंगे, उसके बाद जिसने कटौती का प्रस्ताव रखा है वो यदि कुछ और तथ्य रखना चाहे तो रख सकते हैं। और उसके बाद माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, एक–दो बिन्दु मैं और रखना चाहता हूँ जो कम्प्यूटराईजेशन रेवेन्यू रिकार्ड का हुआ है, उसके ऑन लाईन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि टिहरी और उत्तरकाशी में स्वैच्छिक चकबंदी की जा रही है। पहले यह आश्वासन आ चुका है कि स्वैच्छिक चकबंदी को मॉडल बनाया जायेगा। तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में या तो पीठ से ही निदेश आये कि यह कब तक प्रारम्भ की जायेगी और बजट में इसके लिए प्राविधान किया जायेगा या नहीं ? मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ कि इसकी मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाये।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, उत्तरकाशी में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा का जवाब दे दें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, स्वैच्छिक चकबन्दी उत्तरकाशी के दो गांवों में चल रही है जब वह कार्य पूर्ण हो जायेगा तो पूरे टिहरी के सभी गांवों में (व्यवधान)

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, चकबन्दी तो वहां चल ही रही है। इसमें सरकार को कार्यवाही करनी है।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हरिद्वार में चकबन्दी चल रही है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जहाँ तक भू-बन्दोबस्त की बात है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सभी माननीय सदस्यों की राय ली जायेगी और इसको सामान्य रूप से सब की सहमति से करेंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, एक भी उत्तर नहीं आया।

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, भू-लेखों का कम्प्यूटरीकरण पुराने खतौनी के सम्बन्ध पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक जनपद की खतौनी को वेबसाइड में डाला जा चुका है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं उनका संज्ञान लिया जायेगा और सरकार विचार करेगी।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, आप लोगों ने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो एस्कार्ट की सारी जमीन वापस करेंगे। अभी तक सरकार 100 डेढ़ सौ की भी जमीन वापस नहीं कर पायी है। मान्यवर, वर्ग-4 की बात आई है उसके सरलीकरण की भी बात आ जाये।

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, जहाँ तक इसका सवाल है सरलीकरण किया जा रहा है, एस्कोर्ट के मामले में जो कुछ कमियाँ हैं उस पर सरकार विचार कर रही है, जो भी कमियाँ होगी उसका सरलीकरण किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी ने कह दिया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, 20-30 साल से बन्दोबस्त चल रहा है, हम लोग परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर रख दिया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत,सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2265049 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ पचास लाख उनचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग

श्री अध्यक्ष–

मानीनीय मंत्री जी,

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 340070 हजार (चौंतीस करोड़ सत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ने की परम्परा की बात की जा रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1957–1958 उत्तर प्रदेश विधान सभा की जो ये किताब है, उसमें यह बात उल्लेखित की गयी है कि यदि किसी भी प्रकरण के बारे में विभागीय बात रखनी हो तो उसको पढ़कर भी उल्लिखित किया जाता है और एक बात और स्पष्ट की गयी है कि समय–समय पर ऐसी व्यवस्था बदली भी जाती है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस किताब में भी एक व्यवस्था दी गयी है कि सदन में कोई भी माननीय मंत्री अपने विभाग का उत्तर पढ़कर जवाब नहीं दे सकता है लेकिन यदि आवश्यकता हो तो उस प्रश्न के समस्या का निराकरण हेतु केवल किताब का संज्ञान ले सकता है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को पांच साल तक चलना है लेकिन सरकार किस प्रकार से चल पायेगी।

श्री दिवाकर भट्ट–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए अनुदान संख्या–25 के अधीन आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग, राज्य आयोग/जिला फोरमों, उपभोक्ता फोरमों के अधिष्ठान व्यय एवं गोदाम निर्माण/भूमि क्रय तथा खाद्यान्न क्रय योजना के सफल संचालन के लिए खाद्य विभाग के विभिन्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में मतदेय रु0 143857 हजार (रुपये चौदह करोड़ अड़तीस लाख सत्तावन हजार मात्र) तथा आयोजनागत पक्ष में मतदेय रु0 270990 हजार (रुपये सत्ताईस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार मात्र) का आय–व्ययक विधान–मण्डल से पारित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, सरकार द्वारा खाद्य के सम्बन्ध में बड़ी–बड़ी बातें की गयी हैं और कहा जा रहा है कि हमने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं तो इस सम्बन्ध में हम सबसे पहले मिट्टी के तेल की बात कर रहे हैं जो गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही अहम बात है। मान्यवर, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की जा रही है मिट्टी का तेल गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है वह पेट्रोल पम्पों पर बेचा जा रहा है राशन की दुकानों पर लिख दिया जाता है कि जारी कर दिया गया है और इसके साथ जो माफिया हैं, जो मिट्टी के तेल का काम करते हैं उनके हाथों में यह बेचा जा रहा है, गरीबों के पास तक मिट्टी का तेल नहीं पहुँच पा रहा है। अभी जिस तरह से सरकार ने कहा है कि हम गरीबों के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब सरकार मिट्टी के तेल की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो गैस कनेक्शन की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। मान्यवर, मिट्टी का तेल राशन की दुकानों पर जाने से पहले गायब हो जाता है और राशन की दुकानों पर यह दिखा दिया जाता है कि जारी कर दिया गया है।

इसी तरह से राशन की व्यवस्था के बारे में जो बी0पी0एल0 की योजना है इस बजट में ऐसा कुछ नहीं जिक्र किया गया है। इस बजट में सरकार द्वारा जो अन्त्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि पर आंकड़े दिये गये हैं वह लाभार्थी तक इस योजनाओं का कोई लाभ पहुँच नहीं पा रहा है। मान्यवर, राशन कार्ड की बात करें तो आज नये राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उत्तराखण्ड के गरीब लोग जिला पूर्ति कार्यालय के चक्कर

काट रहे हैं लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है। फर्जी राशन कार्ड लोगों के बने हुए हैं उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। अगर आज राशन कार्ड के हिसाब से जनसंख्या की गिनती कर ली जाए तो यहाँ की जनसंख्या दुगुनी, तिगुनी होगी। सरकार ने कोई भी योजना बी0पी0एल0 परिवारों के लिए नहीं बनाई है और न ही कोई व्यवस्था इनके लिए सोची है। मान्यवर, एक ओर तो आंकडे दिए जा रहे हैं लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। राशन कार्डों के बनाने में अनियमितता हो रही है गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

मान्यवर, उत्तरकाशी में होता, कहीं होता, कहीं भी गोदाम बनाने का जिक्र नहीं है। मान्यवर, पहाड़ों में कैसे और किस तरह से गोदाम होंगे, कितनी मात्रा होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, गेहूँ खरीद की बात आई, तो इसकी आगे क्या नीति रहेगी ? विशेष रूप से धान में कहेंगे कि सरकार की धान खरीदने में आगामी योजना क्या होगी, केन्द्रीय अंशदान में कितना चावल खरीदेगा ? बकाया राईस मिल्स को देने का भी जिक्र नहीं है, तो जिस तरह से सरकार ने बजट को तैयार किया है तो इसके अन्दर त्रुटियाँ हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का आम व्यक्ति इस बजट की ओर देख रहा है, खासकर खाद्य विभाग का बजट देख रहा है कि क्या सहूलियत मिलेगी, किस तरह से गरीबों को सहूलियत पहुँचायेंगे। मान्यवर, जब हम चुनाव में गये, क्षेत्र में गये तो लोगों की मांग थी कि राशन कार्ड मिले और सरकार का कोई इरादा नहीं है राशन कार्ड देने का। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से इस पर जवाब देगी। मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, खाद्य आपूर्ति विभाग का जो बजट का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में और माननीय तिलक राज बेहड़ द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमन्, आपूर्ति विभाग का काम प्रदेश के जन साधारण की रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा होता है, हमेशा आपूर्ति विभाग के कार्यकलापों के बारे में चर्चा करते हैं, तो अधिकांश यह बात सुनने को मिलती है कि आपूर्ति विभाग को दिशा-निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होते हैं और केन्द्र सरकार को केवल उन्ही निर्देशों का पालन करके, उसके क्रियान्वयन, उसके इन्फोर्समेण्ट, प्रवर्तन का काम करना होता है। मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार एक संवेदनशील नजरिया बनाते हुए प्रयास किया गया कि वह तमाम सारे लोग, तमाम सारे वर्ग जो समाज के अन्दर हैं, जिनको अपनी रोजमर्रा के चूल्हा-चौका खाना बनाने के लिए दूर-दूर जंगलों में जाकर लकड़ी काटनी पड़ती थी, जलाऊ लकड़ी का ढुलान करना पड़ता है और जैसे हम जानते हैं कि यहाँ चर्चा होती है कि इस प्रदेश में 65 फीसदी जंगल में पड़ा है और जंगलों में

सर्वाधिक दबाव जलाऊ लकड़ी की वजह से आता है, पहली बार सरकार ने प्रयास किया कि जलाऊ लकड़ी के कारण जंगलों के ऊपर दबाव घटे और गरीब लोगों को, बी0पी0एल0 के लोगों को कुकिंग गैस की सुविधा आसान दरों पर सुविधाजनक तरीके से मिल सके, पहली बार इसका प्राविधान किया गया। मान्यवर, 8 करोड़ रुपया इसके लिए रेखांकित अन्डरलाईन किया गया कि बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं के लिए सरकार विशेष तरीके से सुविधायें देकर उनका जीवन सुलभ बनाने का काम करेगी।

मान्यवर, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमन्, इस सदन के अंदर अभी सामान्य बजट के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो तमाम विद्वान साथियों ने इस तरफ चर्चा की कि जो बी0पी0एल0 का सर्वेक्षण होता है उसमें कई तरह की खामियां रहती हैं। जिसका नतीजा होता है वास्तव में बार-बार व्यक्ति छूट जाता है तो हमारे प्रदेश को तमाम सारी योजनाएं और खाद्यान्न जो भारत सरकार से या अन्य स्तरों से प्राप्त होता है, उसका लाभ नही मिल पाता है। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, जैसा कि सामान्य बजट के भाषण में भी कहा गया। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव स्वरूप कहना चाहता हूँ कि यद्यपि बी0पी0एल0 परिवारों का सर्वेक्षण का जो टाईम टेबुल है, वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है और प्रादेशिक सरकारों को उसका अनुपालन करना होता है, फिर भी प्रदेश सरकार के स्तर पर, इस बात का प्रयास होना चाहिए जो खामियां इसमें हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो प्रदेश के गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। मान्यवर, विशेष रूप से मिट्टी के तेल के वितरण को लेकर तमाम तरह की खामियां उजागर होती हैं। मान्यवर, इस बात को निश्चित किया जाना चाहिए कि इसका लाभ जो वाजिब उपभोक्ता हैं उनको मिल सके, और इसका दुरूपयोग न होने पाये। मान्यवर, बड़ी रैपिड शिकायत है तमाम तरह के वाहनों में मिट्टी के तेल का प्रयोग होता है।

मान्यवर, हालांकि जिस तारीख से यह सरकार आयी है, उस तारीख से इन शिकायतों पर अंकुश लगा है। मान्यवर, मिट्टी के तेल के नाम पर केन्द्र सरकार से भारी-भरकम छूट मिलती है। यदि मिट्टी के तेल का सही वितरण हो सके तो जो वाजिब उपभोक्ता हैं, उस तक वह पहुंच सके तो, जो यह तेल न मिलने वाली समस्या है उसका समाधान हो जायेगा और साथ ही साथ छूट की राशि का समायोजन भी दूसरी योजनाओं में किया जा सकता है। मान्यवर, अभी हमारे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो तमाम तरह के खाद्यान्न निगाह के खरीद का कार्यक्रम चलता है, वह चाहे गेहूँ की फसल का समय हो चाहे राईस मिलर से स्टेट पूल का चावल खरीदने का समय हो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा गेहूँ के केन्द्रों पर नहीं हुआ। विशेषकर गेहूँ के केन्द्रों के समय कुछ प्रारम्भिक तैयारियों की आवश्यकता होती है। विशेषकर जब गेहूँ के क्रय का समय आता है उस समय इस तरह की परेशानी होती है कि लम्बी लाईन में किसानों को कई दिनों तक इन्तजार करना होता है, वर्षात के समय में बारदाना का बन्दोबस्त नहीं

होता है। पिछले दिनों गेहूँ के केन्द्रों पर बोरी को खरीदने के लिए बोरी घोटाले को अंजाम दिया, वह जनता के सामने है। मान्यवर, हमारी सरकार आम आदमियों के हितों में काम करेगी। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य बोरा घोटाले की बात कर रहे हैं, आप घोटाले की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि पिछली सरकार में बोरा घोटाला हुआ है। मान्यवर, मैं खुली चुनौती देकर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो तीन महीने के अन्दर क्यों नहीं अपराधी को जेल के अन्दर भेजा गया है ? सरकार द्वारा क्यों नहीं कार्यवाही की गयी है ? हमारी खुली चुनौती है, इस सरकार को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितने घोटाले हुए हैं, उनकी प्रमाणिकता के आधार पर जांच चल रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बार-बार सदन के अन्दर कहा जाता है कि घोटाला हुआ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जांच के परिणाम को जानने के लिए आतुर न होईए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जांच जारी है तो इस तरह के तथ्य नहीं उठाए जाने चाहिए। अगर बोरा घोटाला हुआ है तो सरकार उसको क्यों नहीं खोल रही है ? सरकार के अन्दर हिम्मत है, तो इसका खुलासा करे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, खुलासा होगा। हर एक बात का खुलासा होगा। इस तरह से सदन नहीं चलाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया बैठ जाएं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल नहीं। सदन का समय रोज बर्बाद किया जाता है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन का समय कौन बर्बाद कर रहा है ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि कोई घोटाला हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सरकार को तीन महीने का समय हो गया है। तीन महीने के समय में क्यों नहीं कार्यवाही हुई ? कब तक जांच होगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, कोई भी घोटाला होता है, तो उसमें कुछ प्रारम्भिक तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर कार्यवाही होती है। सरकार बताए कि वह तथ्य क्या है ? क्या बिना सबूतों के कार्यवाही कर रहे हैं ? अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है ? कितनों को जेल भेजा गया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, बोरा घोटाले के बारे में बार–बार पेपरों मे आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अरविन्द पाण्डे जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) यहां पर माननीय सदस्य ने कोई बात रखी है। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया है। माननीय सदस्य से यह बात कही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 3 महीने का समय कम नहीं होता। तीन महीने के समय में क्या यह सरकार जांच नहीं करा पायी ? हम तो कह रहे हैं कि जांच करानी चाहिए। (व्यवधान) बजाय यहां भाषण देने के। हम तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कितने सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा चल रही थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष बार–बार बांह उठा रहे हैं। जांच चल रही है, जल्दी ही रिपोर्ट सामने आएगी, थोड़ा धैर्य रखिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, या तो बार–बार घोटाले की बात नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर इनके अन्दर हिम्मत है तो जांच कराएं। (व्यवधान) मान्यवर, तीन महीने का समय कम नहीं होता। यहां पर उल्लेख तो नहीं करना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने एक घण्टे के अन्दर 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। मान्यवर, हमारी तो खुली चुनौती है कि बजाय नोएडा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जाकर 56 घोटाले हुए कहने के, उनकी जांच कराकर तथ्य सामने लाये।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने घोटाला किया था और उत्तराखण्ड में नेताओं ने घोटाला किया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3 दिन के अन्दर जांच होगी तो क्या 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज सरकार को 3 महीने हो गये हैं और तथ्य सामने नहीं लाये जा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, जनता के हितों में यह जांच होनी चाहिए, जनता को तो आप यही बता रहे हैं कि अभी जांच हो रही है और जब तक जांच नहीं हो जाती आगे काम कैसे होगा, तो हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, दूध तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं, अब तो पानी ही पानी रह गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम कितना दूध लेकर आये, इसकी जांच आप करवाइये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक सांड कमेटी भी बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आप एक ही चीज को बार–बार रिपीट कर रहे हैं, 50 बार आपने यह बात कह दी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को 50 बार नहीं हजार बार कहूंगा, कि सरकार इनकी जांच कराये और सदन में तथ्यों को लेकर आये। पिछले सत्र में हमने इसलिए कुछ नहीं कहा कि अभी 5–10 दिन ही हुए हैं, लेकिन आज तो तीन महीने हो गये हैं और तीन महीने कम नहीं होते हैं जांच करने के लिए। अब अगला सत्र होगा तो भी आप यही बात कहेंगे कि जांच हो रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इन्होंने जो 55 घोटालों की बात की है, उसकी जांच कराकर तथ्यों को सदन में रखा जाय। आप यह कहकर समय जाया करते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सदन का समय जाया नहीं किया जा रहा है, सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है, इस प्रकार से सदन को अव्यवस्थित करना ठीक नहीं है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ही कहा है कि बिन्दुवार जांच कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत हो रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह जांच कब तक पूरी होगी, कोई समय सीमा तो होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह बात गलत है कि अनावश्यक व्यवधान यहां पर किया जा रहा है, सरकार विपक्ष के दिशा निर्देशों के हिसाब से नही चलेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आप सरकार चलायें सदन क्यों चला रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमें भी अधिकार है, विधायक होने के नाते हमारा भी अधिकार है, आखिर सरकार क्या करना चाहती है ? यह सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्या विषय है, वह ही समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार अनावश्यक जबरदस्ती जांच की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी बात आ गई है, आप कृपया बैठिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने कुछ बात कही है, आपके सदस्य को भी मौका मिलेगा बात कहने का।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब हमारे सदस्य बोलते हैं तब इनकी ओर से टीका–टिप्पणी नहीं होती क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आप अपनी बात को पूरा करें। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने दी जाये तब तो मैं कहूँ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे अनुरोध है कि आज 11 अनुदानों पर चर्चा होनी है, तो कृपया थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिले, तो मैं कहूँ। श्रीमन्, मैं यह आग्रह कर रहा था नागरिक आपूर्ति जैसा विभाग जो जन साधारण से सम्बन्धित है उसमें सरकार के ऊपर खाद्यान्न और नागरिक आपूर्ति से सम्बन्धित चीजों को दूर-दूर तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रदेश के अंदर इस प्रकार से घोटालों की चर्चा हुई, इस प्रदेश में राशन कार्ड छापने में घोटाले की चर्चा हुई। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जहां भी घोटाले की चर्चा हुई उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कुकिंग गैस से जोड़कर कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोलियम कम्पनियां हैं, रसोई गैस को रोड हेड तक पहुँचाने के लिए सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। यदि मैं माननीय दिवाकर भट्ट जी को राज्य आन्दोलन का पर्याय कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने लोगों के दुख-दर्द को करीब से समझा है। इन रोड हेड तक कुकिंग गैस में सब्सिडी देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सभी गांव रोड हेड पर ही नहीं होते हैं। इसलिए मैं सिफारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि दूरस्थ क्षेत्रों में कुकिंग गैस पहुँचाने के लिए सब्सिडी दी जाये तो यह बहुत हितकर होगा। मान्यवर, मिट्टी के तेल आवंटन को लेकर इस प्रदेश में बड़ा घमासान मचा। हमारे उत्तराखण्ड का जो सचिवालय है उसमें तक घमासान की स्थिति बनी। मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती की जा सकती है और इसका कोटा पुनः निर्धारित करने की जरूरत है। मिट्टी के तेल पर जो छूट मिलती है उसको चैनेलाइज किया जा सकता है और मिट्टी तेल की सब्सिडी को रसोई गैस की सब्सिडी में समायोजित करके दूर-दराज के उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सकता है।

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ और खाद्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस प्रकार एक नई सोच के साथ खाद्य का बजट प्रस्तुत किया। मान्यवर, इस तरह के संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने की बात आती है तो श्रीमन्, एक उपन्यास है अरुन्धती राय का, जिसका टाइटिल है गॉड ऑफ स्मार्ट थिंक उसमें भी पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में लिखा है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लिए इन तमाम इंतजामों की जरूरत है जो वहाँ के जन साधारण की रोजमर्रा के जीवन से

सम्बन्ध रखती हैं, इसलिए जब हम किसी महिला द्वारा जलाऊ लकड़ी ढोने की बात करते हैं तो वह महिला के जीवन-यापन के कष्ट का चित्रण करता है। इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और यहां के जीवन-यापन करने वाले लोगों और तमाम नागरिक आपूर्ति के क्षेत्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के अलग-अलग आयाम हैं। मान्यवर, बी0पी0एल0 का राशन और अन्नपूर्णा का राशन जिस प्रकार ग्राम क्षेत्रों, पंचायत क्षेत्रों में काम के बदले राशन है उसकी जिस तरह काला बाजारी हो रही है उस काला बाजारी पर आपकी सरकार नियंत्रण करेगी, ऐसी अपेक्षा करते हैं। खाद्य विभाग में घोटाले का यह सिलसिला बन्द होना चाहिए, किसी को सुनने में अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है। मान्यवर, खाद्य विभाग के ऐसे किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान मांग प्रस्तुत की है, उसका समर्थन करता हूं।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी खाद्यान्न की बात हो रही है जो बी0पी0एल0 के लोग हैं और जहाँ तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि बी0पी0एल0 के 40 प्रतिशत लोगों को आज भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिल रही है। मान्यवर, अभी गैस कनेक्शन देने की बात आई, हमारी महिलाओं को जंगल से लकड़ी ढोने से इससे छुटकारा मिल जाये। जो महिलायें अपना चूल्हा जलाती हैं और लकड़ी से अपना गुजर बसर करती हैं, इन लोगों के पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है उसे कहाँ से गैस कनेक्शन मिल जायेगा। मान्यवर, कनेक्शन भी वही लोग लेंगे जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड है। लेखपाल, ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक हैं उनके द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड जारी किये जाते हैं, ये लोग जिसका चाहे कार्ड बना देते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो उसके पात्र हैं उनको आज तक कार्ड नसीब नहीं हुआ, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और जिन लोगों के कार्ड अवैध बनाये हैं उनकी जाँच की जानी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के अन्तर्गत जो राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है। वह बी0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड सरल रूप में सरकार को उपलब्ध करवाने का प्राविधान करना चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि राशन कार्ड देने की व्यवस्था है उसमें सरकार ने जाँच करवानी चाहिए। मान्यवर, आज भी डीलर कन्ट्रोल की दुकानों में जो सरकारी दर पर राशन आता है उसे अपने मनमाने तरीके से राशन अन्य लोगों का उपलब्ध करवा रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो राशन दुकानदार हैं उन पर राशन को ब्लैक करने के आरोप हैं उन पर भी

अंकुश लगाना चाहिए और जो राशन कार्ड मिल रहे हैं उनकी भी जांच करवानी चाहिए। मान्यवर, मेरा एक सुझाव सरकार से यह भी है कि जो प्रदेश में बी०पी०एल० परिवार के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनको भी राशन कार्ड दिये जाने की प्रक्रिया में सुविधा होनी चाहिए जिससे उन लोगों को भी राशन कार्ड बनाने में परेशानी न हो। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो बी०पी०एल० परिवारों को गैस कनेक्शन मुफ्त दिया जाना चाहिए। जिससे बी०पी०एल० परिवार अपने जीवन की उचित रूप में निर्वहन कर सकते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सदन में श्री मुन्ना चौहान जी जो बहुत ज्ञाता भी हैं यदि मैं उनको ये शब्द से संबोधन करूँ तो वह भी कम है। मान्यवर, मुन्ना सिंह चौहान जी ज्ञाता ही नहीं बल्कि विद्वान भी है, वे संसदीय ज्ञान के मर्मज्ञ भी हैं। मान्यवर, संसदीय पद्धति के बारे में उनके पास ज्ञान का भण्डार भी है। माननीय सदस्य के चुनाव का रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था शायद ये भी मंत्री बन जायेंगे लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया, इतने बड़े विद्वान को तो मंत्रालय मिलना ही चाहिए और इस सरकार के लिए उन्होंने वोट भी मांगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे मूल विषय पर अपनी बात को कहें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यदि इन कार्डों का वितरण सरकार सही ढंग से करती है तो इसका वाजिब फायदा वाजिब लोगों को मिलेगा तो इससे सरकार को भी फायदा होगा।

मान्यवर, मैं यह सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार फर्जी राशन कार्ड जो बन रहे हैं उनके लिए कोई चेकिंग की व्यवस्था की है, क्या कोई छापे की व्यवस्था की है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, माननीय बेहड़ जी ने जो प्रश्न उठाया मिट्टी के तेल के बारे में तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सारी राशन की दुकानों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध है सभी मिट्टी के तेल के डीलरों के पास मिट्टी का तेल उपलब्ध है। खाद्यान्न गोदामों में उपलब्ध है इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। श्री बेहड़ जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ मैं उनका आदर करता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं आपको बता दूँ कि इस समस्या के बारे में हमने अपनी तरफ से सभी माननीय सदस्यों को एक चिट्ठी

लिखी है कि अगर आपके कोई सुझाव हो या जानकारी हो तो हमें बताएं। कहीं किसी भी प्रकार की खाद्यान्न के बारे में कोई कमी हो तो बताएं लेकिन आज तक एक भी सूचना हमारे पास नहीं आई है इस सम्बन्ध में।

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, इस बात के हमारे पास सत्य प्रमाण हैं कि अभी पिछले दिनों माननीय मंत्री जी और मिट्टी के तेल के डीलरों के साथ एक बैठक हुई उसी के बाद मिट्टी का तेल गायब है।

श्री दिवाकर भट्ट-

मान्यवर, मैंने एक चिट्ठी लिखी है सभी माननीय सदस्यों को कि आप लोग सुझाव दें। माननीय पूर्व राजस्व मंत्री जी बैठे हैं मैंने उनसे भी कहा है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया लिखित में सुझाव दे दीजिए।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 340070 हजार (चौंतीस करोड़ सत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग

*आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 33112 हजार (तीन करोड़ इकतीस लाख बारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी तीन दिन पहले मैं माननीय बेहड़ जी के साथ शाम को बैठा था। माननीय बसपा के दो सदस्य भी बैठे थे। मान्यवर, माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने चर्चा की कि हाऊस में कभी भी आबकारी का बजट नहीं आता, मैंने पूछा क्यों नही आता तो कहा कि उस दिन हंगामा हो जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने नियम-58 में चर्चा की थी कि जो प्रभावी लोग हैं, जो माफिया लोग हैं वे चर्चा नहीं होने देते हैं, उनके हिसाब से नीति बनती है और चर्चा होगी तो इधर का उधर न हो जाये। तो यहाँ पर चर्चा भी हो रही है और माफियाओं को फायदा भी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, सम्मानित सदन के सम्मुख वर्ष 2007-08 का कुल बजट 4 करोड़ 88 लाख 56 हजार रुपया का प्रस्तावित है, दस लाख रुपये की धनराशि निर्माण में रखी गई है जो हमारे नान प्लान, तनख्वाह में रखा गया है। मान्यवर, मैं सभी सम्मानित सदस्यों के सामने कहना चाहता हूँ कि जो आबकारी विभाग है इसमें प्रमुख रूप से जो प्रोसेसिंग फीस दो सौ रुपये होती थी वह अब साढ़े सात हजार किया है, यह इसलिए किया कि यह अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम था, हमने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेश का अध्ययन करने के बाद साढ़े सात हजार किया और इसके बाद हमें पिछले वर्ष 1 करोड़ 90 लाख प्राप्त हुए थे और यह इस समय 12 करोड़ 50 लाख रुपये है, जो विभाग को प्राप्त हुआ है, यह बजट की प्रमुख विशेषता है।

मान्यवर, पहले राज्य में एक व्यक्ति चार सौ दुकानों के लिए एप्लाई कर सकता था और वह 13 दुकानें ले सकता था और इस बार की नीति में एक व्यक्ति एक तहसील में एप्लाई कर सकता है और पूरे राज्य में एक ही दुकान ले सकता है। दुकान एक ही लेगा और उससे पहले प्रोसेसिंग फीस देगा और अस्थाई प्रमाण-पत्र भी देना होगा और उसके साथ हैसियत प्रमाण-पत्र भी देना होगा। मान्यवर, हैसियत और चरित्र प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता करने के लिए सबसे बड़ा कारण है कि पहले एक व्यक्ति से हैसियत, चरित्र प्रमाण-पत्र नही मांगा जाता था और वह 4-5 सौ दुकानो के लिए एप्लाई कर लेता था और इससे वह अपना खर्च निकाल लेता था। मान्यवर, इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि जो लाखों लोग एप्लाई करते थे अब उनकी जगह केवल तहसील में गरीब बेरोजगार जो लोग थे उन्होंने इस व्यवसाय में एप्लाई किया और वे सारे लोग व्यवसाय से जुड़े जिनकी इच्छा होती थी। मान्यवर, इसी प्रकार से थोक बिक्री के लिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ थोक बिक्री के लिए 2 करोड़ 38 लाख प्राप्त हुये थे वह इस बार 18 करोड़ रुपया प्राप्त होने की सम्भावना है, हमारे यहाँ थोक के लिए नौ लोग आये थे और आज वह बढ़कर 18 हो गये हैं।

मान्यवर, एक और बड़ गयी है। एफ0एल0-टू की जो व्यवस्था है इसके अन्तर्गत जो मैन्यूफैक्चर है उनको अपना एफ0एल0-टू0 बनाना होगा और अपने गोदाम में निर्धारित मार्ग से ही एफ0एल0-टू तक ले जा सकता है और एफ0एल0-टू से रिटेलर के

लिए मार्ग का निर्धारण किया गया है। मार्गों के निर्धारण के पीछे सरकार की मंशा है कि जो स्मगलिंग को रोकने का प्रयास किया गया है इसमें हमें सफलता भी मिली है। हमारे प्रदेश के अन्दर जो को–आपरेटिव क्षेत्र की आसवानी है यह देश और विदेश में थोड़ा घट गयी है। यह 33 प्रतिशत घटी है। इसमें 16 प्रतिशत न्यूनतम गारंटी बनायी है। मान्यवर, हमने को–आपरेटिव क्षेत्र को चुना है। एफ0एल0–टू को 35 प्रतिशत का घाटा बाहर के केन्द्रों को नहीं किया है। मान्यवर, जो उत्तराखण्ड की आसवनियां हैं उन्हीं के द्वारा बेचा जायेगा। इसके लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया है। मान्यवर, इसी प्रकार से हमने जो मानकों का निर्धारण किया है और आबकारी नीतियों के अनुसार हरिद्वार, ऋषिकेश व नगर पालिका कलियर शरीफ के अन्तर्गत 1.6 किलोमीटर के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया है।

मान्यवर, इसी तरह श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नानकमत्ता, कलियर पिरान आदि पवित्र स्थानों पर पूर्ण मद्य निषेध लागू किया है। मान्यवर, जो दुकानों के खुलने का पुराना समय था, उसमें भी हमने परिवर्तन किया है। अब ये दुकानें प्रातः 11 बजे से सायं 08 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि पहले यह समय सुबह 08 बजे से सायं 11 बजे तक था। मान्यवर, हमारे विपक्ष के साथियों की चिंता थी कि आबकारी नीति बनने के बाद पैसा आयेगा या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं सम्मानित सदस्यों को अँवगत कराना चाहता हूँ कि तीन महीने में पिछले वर्ष 2006–07 में लगभग 115 करोड़ँ रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ था इसके सापेक्ष इस समय 155.71 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। यह राशि लगभग 40 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है। यह अन्तर मात्र तीन महीनों का है। मान्यवर, जहाँ वर्ष 2006–07 में जो दुकानों के टेण्डर में 251 करोड़ रु0 प्राप्त होने की पूरी संभावना थी वहीं इस वर्ष यह राशि लगभग 300 करोड़ प्राप्त होगी। मान्यवर, यह जो अंतर आयेगा वह 45 से 50 करोड़ से अधिक का होगा। मान्यवर, दूसरी ओर हम लोगों ने अवैध शराब को रोकने के लिए समय–समय पर विभाग द्वारा जो कार्यवाही की जाती है, इस सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्ष 2007 में हमने अभी तक 12956 बोतल की शराब 10 वाहनों से पकड़ी है। पिछले वर्ष 5280 बोतल की शराब 08 वाहनों से पकड़ी गयी थी। इस प्रकार हमने 145 प्रतिशत ज्यादा शराब पिछले वर्ष की तुलना में पकड़ी है। मान्यवर, वर्तमान समय में जो आबकारी नीति बनी है।

मान्यवर, इस आबकारी नीति के बनने के बाद जहां प्रदेश के अन्दर, जो सरकार की मंशा थी कि हम आबकारी विभाग को इस आधार पर बनायेंगे कि जो हमारे पवित्र स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनकी पवित्रता भी बनी रहे और राजस्व की हानि भी न हो। मान्यवर, इसमें हमने 417 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा था। मैं निश्चित रूप से सदन के सम्मुख आश्वासन देना चाहता हूँ, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 417 करोड़ रुपये

का जो लक्ष्य है, इस विभाग का, उससे कहीं ज्यादा रुपये प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से हमारी मंशा 417 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के अलावा भी 500 करोड़ रुपये और कमा कर देना है। मैं माननीय सदस्यगण से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे विभाग पर कटौती का प्रस्ताव न लाएं। आपकी कृपा से इसको सर्वसम्मति से पास करा दें।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आपने आबकारी विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में सिर्फ शराबियों की चिंता करने वाली शासन व्यवस्था हावी होती जा रही है। शराब के दरिन्दे राष्ट्र के भाग्य विधाता बन गये हैं। क्या शराब की दुकान खोलना राष्ट्रीय विकास नीति का एक हिस्सा है ? श्रीमन्, उत्तराखण्ड की हमारी सरकार को सामाजिक अनिवार्यताओं और सामाजिक प्राथमिकताओं की तो कोई चिन्ता नहीं है, परन्तु शराब की दुकानों का राज्यव्यापी मायाजाल फैलाने की पूरी-पूरी चिन्ता रहती है। आज हमारे समाज में बाराती का अर्थ है, शराबियों का जमघट। मान्यवर, अगर किसी मजिस्ट्रेट की शराब से दावत हो जाए तो आप मनचाहा फैसला लिखवा सकते हैं। बड़े साहब को शराब की बोतल प्रस्तुत की जाए तो मनचाही जगह पर तैनाती ले सकते हैं। यह शराब की बोतल का जादू ही है कि आपको ठेका दिला सकता है। श्रीमन्, इस प्रदेश में लोगों के पास दो वक्त की रोटी का साधन नहीं है, फिर इतने महंगे नशे के लिए चन्द लोगों के पास इतना अगाध धन कहां से आया ? श्रीमन्, इस अय्याशी पर जो पैसा बहाया जा रहा है, यह खून पीने वालों का दंगल है, आम जन सामान्य की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो, हिन्दू संस्कृति के पैरोकार हैं, ठेकेदार हैं, जो भारतीयता के झण्डाबरदार हैं, हम उनसे और सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनके हिसाब से उनकी सभ्यता में, शराब के व्यवसाय में आरक्षण की कितनी व्यवस्था की गयी है ?

मान्यवर, यह शराब संस्कृति के पैरोकार तर्क देते हैं कि इससे सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, इसलिए सरकार को ठेके देने पड़ते हैं। मान्यवर, जनता की जेब को लूटने के लिए लाइसेंस देकर यह ठेके खोल रखे हैं, श्रीमन्, क्या यही पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा है, क्या यही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। यदि राष्ट्रीय आय के लिए नैतिक और अनैतिक रास्तों को कोई भेद नहीं होगा तो राष्ट्र का आम नागरिक भी धन साधन एक करने के लिए क्या प्रोत्साहित नहीं होंगे ? क्या शराब बेचकर ही राजस्व को बढ़ाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेगी जी, कृपया पढ़िये नहीं।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मान्यवर, मेरे कहने का मकसद यह है कि इससे जो राजस्व मिल रहा है, वह कहा पर खर्च हो रहा है ? आज सब चीजें महंगी हो रही हैं, राशन महंगा हो रहा है, इलाज महंगा हो गया है, यातायात महंगा हो गया है दूसरी तरफ आखिर यह आबकारी से जो पैसा आ रहा है, जो धनराशि राजस्व के रूप में मिल रही है, वह खर्च कहां हो रही है। आज दूर-दराज में स्कूल टूटे पड़े हैं। दैवीय-आपदा आती है, मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अभी 2-3 दिन पहले ही दैवीय-आपदा आयी है, जिससे पूरे बूढ़ाकेदार क्षेत्र में मिलंग, थांजीगाड़ और नैलचामी में यातायात, सिंचाई नहरें और पेयजल भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जिससे वहां पर कृषि कार्य करने वाले लोगों के खेत तबाह हो गये हैं।

मान्यवर, आज बेरोजगार लोग परेशान हैं, युवा पीढ़ी शराब के मद में बहकर और उसमें नहाकर अपने दयनीय जीवन का गम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार ने अपने ही दो उपक्रमों गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम से थोक व्यापार हटाकर शराब के ही उत्पादकों को दे दिया है और इससे शराब माफियाओं को बढ़ावा मिला है और उनका राज्य में घुसने का रास्ता आसान हो गया है। मान्यवर, सरकार ने घोषणा की थी कि थोक व्यापार का काम सिर्फ उत्तराखण्ड के स्थानीय लोगों को दिया जायेगा तो मान्यवर, इस सरकार ने अपनी ही घोषणा का उल्लंघन किया है। आज एफ0एल0-टू के गोदामों को गैर उत्तराखण्डी को सौंपकर इस सरकार ने अपनी ही नीति का उल्लंघन किया है। मान्यवर, एक्स डिस्टलरी प्राइज में वृद्धि के बाद ही बोतल की कीमत पर एक्साईज ड्यूटी लगेगी और फिर 31 प्रतिशत टैक्स, इसके बाद ही बोतल की एम0आर0पी0 तय होगी। तो साफ है कि सरकार ने एक रणनीति के तहत शराब माफियाओं और कम्पनियों को राहत देने के साथ-साथ शराब के शौकीनों की जेब में भी डाका डालने का काम किया है।

मान्यवर, माननीय आबकारी मंत्री जी बैठे हैं, आज उधर सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आज से 5-6 महीने पहले इधर ही बैठा करते थे और बड़ी-बड़ी बातें करते थे और तीसमार खां भी बनते थे। आज वहां पर बैठे हैं और अंग्रेजी शराब की वकालत करते हैं। अंग्रेज बने बैठे हैं तो इस सम्बन्ध में एक कहावत भी याद आ रही है कि "अंग्रेज चले गये और औलाद छोड़ गये।" और इसे हमारा दुर्भाग्य कहा जाय या सौभाग्य कहा जाय कि इनमें से कुछ औलादें इस राज्य में राज कर रही हैं और माननीय मंत्री आबकारी

भी उन्हीं औलादों में से एवं लायक औलादों में से एक हैं। लायक की बात यह है कि "पिता पर पूत, देश पर घोड़ा, नहीं अधिक तो थोड़ा-थोड़ा"। तो माननीय मंत्री जी भी थोड़े-थोड़े अंग्रेज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी संशोधनों पर बल देते हुए अपने कट मोशन पर बल देता हूं।

श्री अरविन्द पाण्डे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जब यह उत्तरांचल प्रदेश बना था तो इसके बनने का उद्देश्य यही था कि यहां के युवाओं को काम मिले क्योंकि इस प्रदेश में बहुत ही छोटे तबके के लोग निवास करते हैं। इस नाते किसी भी विभाग में आप हाथ डालें तो सभी विभागों में घाटा ही है, लेकिन आबकारी ऐसा विभाग है कि इसके पीने के बाद निश्चित ही नशा हो जाता है। माननीय तिलक राज बेहड़ जी पर कुछ कहना था, अब वे यहां हैं नहीं इसलिए नहीं कहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग अपने पर समर्थ है ही, इसने कई विभागों को जीवनदान भी दिया है। चीनी उद्योग इस समय उत्तरांचल में ठप्प है। कई वर्षों से चीनी मिलों में घाटा ही घाटा हो रहा है। बाजपुर में जो चीनी मिल है, उसमें कई वर्षों से घाटा हो रहा है। प्रतिवर्ष 5-7 करोड़ का घाटा हो रहा है। इस चीनी मिल में लगभग-लगभग 1500 कर्मचारी हैं। कई बार तो नौबत यह आ जाती है कि उनका वेतन नहीं मिल पाता है तो उनके बच्चों का स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाता है, लेकिन मान्यवर, आसवानी की यूनिट भी इससे जुड़ी है तो डिस्टलरी के माध्यम से चीनी मिल के कर्मचारियों को वेतन मिलता है। डिस्टलरी की उत्पादन क्षमता एक लाख पेटी प्रति वर्ष थी लेकिन पिछली सरकारों ने आसवानी पर ऐसा ग्रहण लगाया कि वह ठप्प हो गयी और आज तीन महीने के अंदर ही हमारी सरकार ने इसकी क्षमता को एक लाख पेटी प्रति वर्ष किया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, सी0एल0-2 बढ़ा है। सी0एल0-2 की लगभग-लगभग 66 हजार पेटी प्रति वर्ष सप्लाई थी। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़-

पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं चलने को तैयार हूं। मैं ऊधमसिंह नगर में चलकर दिखा सकता हूं कि वहां क्वालिटी नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे-

मान्यवर, आबकारी विभाग से चीनी उद्योग को भी फायदा हुआ है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। पहले जो नीति बनी थी। पिछली सरकार में 5 वर्ष आन्दोलन होते रहे। जबकि इस बार आबकारी नीति बनने पर कोई आन्दोलन नहीं हुआ

है। पहले जो शराब माफिया थे वे दुकानों में कब्जा कर लेते थे। इस सरकार ने 471 दुकानें खोली हैं। पहले इनमें बाहर के लोग काम करते थे, आज इन दुकानों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। मान्यवर, इसके लिए आबकारी मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं बजट के बारे में पूछना चाहता हूँ कि बजट में नीति का कोई प्राविधान नहीं होता है। जैसा कि आबकारी की जो दुकानें हैं दिन में 11 बजे से रात्रि 08 बजे तक खोलने का प्रावधान है, इससे तो ब्लैक मेलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका अगर परीक्षण करा लिया जाये तो निश्चित रूप से रोज एक सस्पेन्ड होगा।

श्री अध्यक्ष–

काजी निजामुद्दीन जी, क्या कह रहे हैं ?

श्री हरिदास–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाते हैं तो तुरन्त लागू हो जाते हैं और अब रेट घट गया है तो अभी तक उसे लागू नहीं किया है, इसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं बलबीर सिंह नेगी जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इत्तेफाक से गन्ने का जिक्र आया, चीनी मिलों का बुरा हाल है। आई0जी0एल0 नाम की एक फैक्ट्री है, उसको फायदा पहुँचा है। मान्यवर, जहाँ शुगर मिल हैं उनको एथोनॉल बनाने की सरकार परमिशन दे। सरकार द्वारा सभी शुगर मिलों को एथोनॉल बनाने का खुलासा अपनी नीति में नहीं किया गया।

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि सीजन टाइम है इस समय सीजन भी है और गर्मी की वजह से लोग बीयर का इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरा इसमें जिक्र करना है कि यहाँ पर बेरोजगार जो लोग हैं प्रत्येक तहसील में एक दुकान की बात माननीय मंत्री जी ने कही, उसमें कहा कि जिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों के परिपत्र लिये गये हैं उसकी जाँच कर ली गई है। क्या इसको थोक व्यापार से अलग करके रोजगार की बात विभाग कर रही है ? मान्यवर, सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिये जाने की आज तक व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, उपसुल, कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम से ये व्यवस्था हटाकर बहुत लोगों को सरकार ने बेरोजगार बना दिया है। सरकार वर्तमान में पर्वतीय अंचलों के ग्रामीणों और मैदानी क्षेत्र को इस व्यवस्था से रोजगार देने की व्यवस्था कर सकती थी लेकिन सरकार ने उपसुल और दोनों विकास निगम से ये व्यवस्था हटाने से प्रदेश के लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मान्यवर, अभी तक की प्राप्ति सीजन टाइम की है इसलिए इसे साल भर की कुल प्राप्ति से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है। मान्यवर, अधिक मामले पकड़े जाने और इसमें अधिकतर मामले पांच या चार बोतलों के साथ पकड़े गये व्यक्तियों के हैं और कुमाऊं मण्डल और गढ़वाल मण्डल तथा उपसुल को थोक से हटा कर माफिया को मदद दी गई है तथा हजारों कर्मचारियों के साथ धोखा है। पूर्व सैनिकों के कल्याण में होने वाले खर्च में कमी आयेगी। मान्यवर, सीमा में चैक पोस्टों के लिए कोई प्राविधान नहीं है जिससे तस्करी बढ़ रही है। प्रदेश में कुल पांच शराब बनाने वाली कम्पनियों में दो लघु उद्योग हैं दोनों का कारोबार ठप्प है अर्थात राज्य में स्थापित चालीस प्रतिशत उद्योग बन्द होने के कारण लघु उद्योगों से भी रू० 41,00,000 की माँग थोक भण्डारागार स्थापना हेतु। मान्यवर, प्रदेश में लघु उद्योग अधिनियम, 2006 के प्राविधानों पर अमल नहीं किया गया। अधिनियम में लघु कम्पनियों को विक्रय वरीयता, संरक्षण तथा प्रोत्साहन में दिया जाना सरकार तथा विभाग का अनिवार्य दायित्व है और लोकप्रिय ब्राण्ड बाजार से गायब है। मान्यवर, ग्रामीण जो बाजार से बहुत दूरी पर बसे हैं माह में मुश्किल से एक बार बाजार तक आ पाते हैं, को पांच और छः बोतल अपने माह भर का कोटा ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर केस चार या पांच बोतल वालों को पकड़ कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाता है। मान्यवर, माफिया से सरकार की सांठ-गांठ है केवल ए०बी० शुगर लिमिटेड, इंडिया ग्लाईकोल लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड को केवल पन्द्रह प्रतिशत का मुनाफे के साथ ब्राण्ड बेचने की अनुमति दी गई है। पर अन्य ब्राण्ड वाली कम्पनियों को तीस प्रतिशत मुनाफे में अपने ब्राण्ड बेचने की इजाजत दी गई है जो साबित करता है कि सरकार कुछ विशेष कम्पनियों को प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। मान्यवर, सरकार ऐसी कम्पनियों को संरक्षण दे रही है मान्यवर, सरकार लघु उद्योगों को ठप्प करने का काम कर रही है यहां पर आबकारी से सम्बन्धित दो लघु उद्योग हमारे प्रदेश में काम कर रहे थे। शराब बनाने में उनको भी जो एक्स पॉवर है उसको भी 41 लाख रुपया कम्पनी को देना है, मजबूर किया गया है और ये प्रदेश में लघु उद्योग अधिनियम

के 2006 के प्राविधानों पर अमल नहीं किया जा रहा है और अधिनियम में कम्पनियों को विक्रय वरीयता संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया जाना सरकार एवं विभाग का अनिवार्य दायित्व है यह कहा गया है लेकिन उसका कहीं भी पालन नहीं किया गया है। उनके लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया है जिससे वे कम्पनियाँ सरवाइव कर सकें। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि वह को-ऑपरेटिव कम्पनियों को फायदा दे रहे हैं लेकिन उन्हें भी यह जो पॉवर शुल्क है, 41 लाख रु० का, जमा करने के लिए बाध्य किया गया है। लघु उद्योगों को छूट दी जानी चाहिए, उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैं बिन्दुवार अपनी बातों को रख रहा हूँ बजट पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–23 में अंकित है कि कोई भी मदिरा की दुकान स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, यात्रा मार्ग के समीप नहीं खोली जाएगी। इनकी दुकानें लगभग इन स्थलों से 300 मीटर की दूरी पर स्थित होने का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, जो आपने इंगित किया है कि दुकानें राजमार्ग, यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मंदिर या पूजा स्थलों से दूर खोली जायेंगी लेकिन इसमें दूरी सम्बन्धी मानक का पालन नहीं किया गया है। मान्यवर, बजट में महापुरुषों की मूर्तियों का उल्लेख हटाया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें फिर से महापुरुषों की मूर्तियों का उल्लेख किया जाए और इन दुकानों की मूर्ति से, पूजा स्थलों से, यात्रा मार्गों से निश्चित दूरी को इंगित किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसका लाभ आप नीचे स्तर के कर्मचारी बचाने के लिए या उन दुकानों के पक्ष में अपना पक्ष रखने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं अपने आपको माननीय सदस्य श्री मेहरा जी से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़–

अभी माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ा। जिसमें उन्होंने आबकारी में राजस्व बढ़ाने की बात कही कि हमारी सरकार ने राजस्व को बढ़ाया है। अभी अरविन्द जी भी इसकी तारीफ कर रहे थे। मान्यवर, यह जो अवैध शराब की बात है तो कई बार तो अरविन्द जी को जाना पड़ता है थाने में लोगों को छुड़ाने के लिए। पुलिस उनको पकड़ती है, पीटती है और फिर छोड़ देती है या फिर महीना फिक्स रहता है तो क्या सरकार इस पर कोई नीति बनाने जा रही है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा कि हमने कहा है कि कोई भी नई दुकान नहीं खोलेंगे तो कोई भी नई दुकान नहीं खोली गई है केवल राजस्व बढ़ाने के लिए जगह–जगह पर दुकानें खोलना हमारी मंशा नहीं है, वर्ष 2007–08 के लिए कोई नई दुकान खोलने का प्राविधान नहीं रखा है। मान्यवर, नीति के अन्तर्गत जो अवैध शराब की तस्करी है उसको रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य था। इस नीति के अन्तर्गत जो किया गया है उससे शराब के व्यवसायियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और राजस्व भी बढ़ेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि शराब की कम्पनी नहीं आ रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट दे दिया है तो मान्यवर, जब कम्पनियाँ नहीं आ रही तो हमने खुला दे दिया तो इसमें दिक्कत क्या है ? एम0आर0पी0 के बारे में तो सारी दुकानों पर रेट लिस्ट उपलब्ध है हमने इसके लिए रेट निर्धारित कर दी है। जैसा कि अभी माननीय हरिदास जी ने कहा कि आठ बजे के बाद भी दुकानें खुली रहती हैं तो इसके लिए हम कार्यवाही करेंगे अगर किसी ने आठ बजे के बाद अपनी दुकान खोली। रेट के बारे में आपने जो बात कही है तो उसके बारे में आप मान्यवर, आप व्यक्तिगत रूप से बता दें मैं समाधान करूँगा। अभी माननीय काजी जी ने एथोनॉल के बारे में कहा तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश शीरे का प्रदेश है इसके लिए अनुमति नहीं दी है, पर इसमें विचार करेंगे। मान्यवर, माननीय मेहरा जी ने एफ0एल0–2 के बारे में कहा कि जो व्यवस्था हम रिटर्न में देते हैं, उसे देखने के लिए जिलाधिकारी के अधिकारी रहते हैं और पहली बार ऐसा होता है कि किसी भी जिले से शिकायत नहीं आई है, जिसने भी एप्लाई किया है उसकी जाँच जिलाधिकारी करता है और जहाँ गलत सूचना होती है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। मान्यवर, आप हमें व्यक्तिगत रूप से अवगत करायेंगे तो हम जाँच करायेंगे। मान्यवर, जुर्माने की बात की तो इसके लिए अलग–अलग धारायें हैं इसमें 5 हजार का जुर्माना होता है या इसका 10 गुना तक भी हो सकता है, 3 साल की सजा का प्राविधान है और यह सब अलग–अलग धाराओं में निर्धारित है। मान्यवर, चेक पोस्ट के लिए दो टीम गढ़वाल मण्डल और कुमाऊं मण्डल की बनाई है और इस विभाग में 105 सिपाही की जो कमी है उसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं और इस साल कोशिश करेंगे या अगले साल करेंगे कि हमें सिपाही मिल सकें, उसको लेने के लिए भी हम प्रयास कर रहे है। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों की जिज्ञासा समाप्त हो गई होगी। मान्यवर, माननीय बलवीर सिंह नेगी जी सीधे सदस्य हैं किसी ने उन्हें उकसाया होगा वरना कटौती का प्रस्ताव नहीं लाते, इसलिए मैं माननीय बलबीर सिंह नेगी जी से कहूँगा कि इसको वापस ले लें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 33112 हजार (तीन करोड़ इकतीस लाख बारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 11639853 हजार (एक हजार एक सौ तिरसठ करोड़ अट्ठानब्बे लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, निश्चित रूप से शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है और हमारी जो बुनियादी आवश्यकता है प्रदेश को आगे बढ़ाने की, चाहे वह विकास की दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, यदि हमारी जो बुनियादी आवश्यकता शिक्षा पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो प्रदेश को आगे बढ़ाने में पिछड़ जायेंगे। मान्यवर, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्राविधान किये हैं। उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक स्थिति में था। मान्यवर, जिस प्रकार की गुणवत्ता की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में थी, जिस प्रकार से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिस प्रकार से मजबूती स्थापित करने की आवश्यकता थी कहीं न कहीं इसमें कमी आयी है। मान्यवर, जब हम विचार करते हैं लगभग 14924 हमारे यहां प्राथमिक विद्यालय हैं, 4086 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 1031 हाई स्कूल हैं, 1232 इण्टर कालेज वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। मान्यवर, इन सभी विद्यालयों में लगभग 23 लाख छात्र, छात्राएं अध्ययनरत् हैं। मांन्यवर, हमारी जो सरकार है वह कृतसंकल्प है कि हम आने वाले वर्षों में जो एक

गुणात्मक शिक्षा है, इसके लिए जो बुनियादी आवश्यकता है, उसको ठीक प्रकार से आगे बढ़ायें, किसी प्रकार से गुणात्मक शिक्षा को प्राप्त करें इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और इसी कारण इस बजट में इसके लिए प्राविधान किया है। मान्यवर, आने वाले पांच वर्षों में जो हमारी शिक्षा का साक्षात्कार का प्रतिशत है यह सरकार का प्रयास होगा कि इसको हम शतप्रतिशत तक ले जायं। आज हम देश के लगभग 14 राज्यों से पीछे हैं।

सरकार का संकल्प है, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ आने वाले पांच वर्षों में हम प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जायेंगे। मान्यवर, सभी विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा हो, सभी विद्यालयों के भवन ठीक हों, इन विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था हो, कम्प्यूटर शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार, आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो यह सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको पांच सालों में दूर करना है और जिनके लिए बजट में प्राविधान भी किया है। प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जो विद्यालय अध्यापक विहीन हैं, उनमें जो अध्यापकों की कमी है, इनमें अध्यापकों को भेजना है। अध्यापकों की जो कमी है, उसे दूर करना है। इसके लिए बजट में प्राविधान किया है और इसमें कहीं न कहीं हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। मान्यवर, हमारे सुगम क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें मानक से अधिक अथवा असंगत विषय के अध्यापक हैं। मान्यवर, दुर्गम और सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में काफी अन्तर था। इसकी संख्या 2000 से भी ज्यादा थी। सुगम क्षेत्र से हटाकर अपने मूल विद्यालय में कैसे भेजे जाएं, इसके लिए सरकार ने विचार किया और विचार करते हुए ऐसा कदम उठाया कि इसमें कहीं न कहीं सफलता भी प्राप्त हुई है।

मान्यवर, गुणवत्ता कम होने का जो कारण है, मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस कारण से हमारा रिजल्ट भी प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों में हमने सी0बी0एस0सी0 पैटर्न को अपनाया है। सी0बी0एस0सी0 पैटर्न को अपनाना, शिक्षा का एकीकरण करना, इतनी तेजी में यह सब किया गया था कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और इसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट कहीं न कहीं परिलक्षित हो रही है। घोषणा तो हमने 800-900 विद्यालय खोलने की कर दी, लेकिन उनमें अध्यापकों की भर्ती कहां से करेंगे ? भवन कहां से लाएंगे ? फर्नीचर कहां से आएगा ? लैबोरेटरी कहां से बनाएंगे ? इन बातों पर कोई विचार नहीं किया गया। हमारी सरकार ने 3 महीने के कार्यकाल में इसको समझा और कहीं न कहीं आगे बढ़ाया। हम पहाड़ों में टीचरों की व्यवस्था करेंगे, भवनों की व्यवस्था करेंगे, लैबोरेटरी की व्यवस्था करेंगे, फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। इस सबको हमने बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्तरांचल का शिक्षा और परीक्षा परिषद्, जिसका कार्यालय रामनगर में है, एन0सी0ई0आर0टी0, जिसका कार्यालय नरेन्द्र नगर में है, उसमें भी कहीं न कहीं

संसाधनों की कमी थी, उस कमी के कारण ही हमारे यहां जो अपनी पुस्तकें लिखना चाहते थे, हमारे प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के महापुरुषों के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए थी, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध न होने के कारण वह नहीं हो पा रही थी। इस कारण एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों में हमें इसको लाना पड़ा। यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इस सरकार ने निर्णय लिया है, अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, मैं नही जानता। पिछले दिनों सुनने को मिला, जैसा कि पूर्व में सरकार ने निर्णय लिया था कि एन0सी0ई0आर0टी0 और एच0आर0डी0 के पाठ्यक्रम में सैक्स एजुकेशन को सम्मिलित किया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे यहां सैक्स एजुकेशन को किसी भी स्तर पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हमारी जो समस्या है, वह यह है कि हमारे जो विद्यालय पहाड़ पर हैं, वह एकल विद्यालय हैं, दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय हैं, उनमें कोई अध्यापक जाना नहीं चाहता है। हमारी सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है। इस प्रकार से स्थानान्तरण नीति बनायी जा रही है कि अध्यापकों को अनिवार्य रूप से जो प्रथम नियुक्ति देंगे, दुर्गम क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, उनमें देंगे, वे 5 साल का कार्यकाल वहां व्यतीत करेंगे। जो सुगम क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे भी अपनी सर्विस का निश्चित समय पहाड़ के विद्यालयों में व्यतीत करेंगे। जिससे पहाड़ के विद्यालयों की गुणवत्ता भी प्रभावित न हो और वे भी अच्छी स्थिति में आएं। मान्यवर, इसी प्रकार जो हमारे यहां लिंग भेद की समस्या है, इसको किस प्रकार से कम किया जाए और इसको न्यूनतम स्तर पर कैसे लाया जाय। इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। इसी तरह से सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में अनेक कार्य किये हैं, पहला काम जो हमारे शिक्षा गारन्टी केन्द्र थे, इन 343 केन्द्रों को हमने प्राइमरी स्कूलों में उच्चीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 211 नवीन प्राथमिक स्कूल/स्कूलों को खोले जाने का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान भी इस बजट में किया जा रहा है। इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2006–07 में जो सर्व शिक्षा अभियान में 160 करोड़ रुपये का वार्षिक कार्ययोजना थी उसे बढ़ाकर 252.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए 98.4 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है, बाकी हम इसे अनुपूरक के माध्यम से लायेंगे। इस वित्तीय वर्ष 2007–08 में हम निश्चित रूप से जो हमारे पिछड़े हुए विकास खण्ड है, उनमें 760 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हैं, उनमें भी मिड–डे मील की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जो कन्वर्जन चार्ज होता है 2.50 रुपये प्रति छात्र। इसके लिए भी 5439 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया गया है। अध्यापकों की तैनाती के लिए जो हमने योजना बनाई कि अध्यापकों की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है।

मान्यवर, इसके लिए हमने लगभग 5000 अध्यापकों की नियुक्ति का, अगर एक्युरेट फीगर देंगे तो वह 4956 है। उसके लिए विशिष्ट बी०टी०सी० के माध्यम से की जा रही है। तीन जिलों में यह प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है और बाकी जिलों में भी यह प्रक्रिया जुलाई माह के अंत तक पूरी हो जायेगी। 5000 अध्यापकों की हमारे यहां कमी थी, जिससे स्थिति बहुत खराब हो गई थी, कई जगह हमारे विद्यालयों में एकल अध्यापक थे और कहीं तो हम सिर्फ शिक्षा मित्रों के ही भरोसे थे तो हमारी सरकार ने मात्र तीन महीने में ही 5 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई है, जिससे हमारे प्रदेश में अध्यापकों की जो बहुत ज्यादा कमी थी, वह दूर हो जायेगी। इसी प्रकार से एल०टी० के जो 4117 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी जुलाई तक कम्प्लीट हो जायेगी। इसी तरह जो प्रवक्ताओं के 1600 पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन होना है और लेक्चर की हमारे पास बहुत कमी है, इसमें कुछ पद प्रमोशन द्वारा भी भरे जाने हैं। हमने निर्णय लिया है कि 1600 पदों पर प्रमोशन करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाय ताकि जो लेक्चरर की समस्या हमारे यहां काफी बड़ी है, उस पर कन्ट्रोल किया जाय। इसी के साथ ही जिन 1500 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास है, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि यदि वहां से देर होती है तो किस प्रकार से सरकार इस कमी को पूरा करे, क्या व्यवस्था इसके लिए सरकार कर सकती है, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी और लेक्चररों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर, संस्कृत विद्यालयों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे यहां 88 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पद तो सृजित थे, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई, जो अध्यापक वहां पर थे उनको रिटायर हुये 10–15 साल हो गये, जैसे वहां पर 8 टीचर थे और 7 रिटायर हो गये तो स्कूल एक ही के भरोसे चल रहा था। इस सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी पद सृजित है, जो पद रिटायर होने के कारण खाली थे, जिसके लिए इसके अधिनियम में अधिकार था उसे उन्हें दे दिया गया है कि वे उन पदों को भर सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत विद्यालयों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण और गम्भीर कदम सरकार ने उठाये हैं। 343 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसके लिए की गई है। अभी काजी जी, यहां पर नहीं हैं, शायद बाहर चले गये हैं, अभी वह कहेंगे। मान्यवर, उर्दू के लिए 267 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 283 उर्दू के पैरा टीचर की नियुक्ति किये जाने के लिए 230 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इसी प्रकार से राज्य के 6 जनपदों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं की जा सकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बचे हुए जिले हैं उनमें इसी वर्ष राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु० 10.50 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 4690.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के निर्धन परिवार की कन्या जो कक्षा–8 पास करके कक्षा–9 में जायेगी उसे रु0 3000 के विशेष अनुदान देने हेतु इस वर्ष एक करोड़ की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय हाईस्कूल व इण्टर कालेजों के भवनहीन, जीर्ण–शीर्ण भवनों के निर्माण हेतु 150 लाख रुपये, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला निर्माण हेतु रु0 780 लाख, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण विस्तार हेतु रु0 800 लाख, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु रु0 100 लाख, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण हेतु रु0 150 लाख एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु रु0 90 लाख का प्राविधान बजट में किया गया है। कम्प्यूटर शिक्षा, पिछली सरकार ने भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। हमारी सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षा को मजबूत करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु रु0 1.95 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सह शिक्षा वाले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के ठहराव को सुनिश्चित करने तथा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बालिका शौचालय एवं कॉमन रूम निर्माण के लिए सहायता दिये जाने हेतु रु0 6.80 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला पुस्तकालयों की स्थापना करने हेतु रु0 30.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। 21वीं सदी की शिक्षा हेतु छात्रों को तैयार करने तथा कम्प्यूटर शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए राज्य के 304 नये राजकीय हाईस्कूलों में कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 608.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। मान्यवर, शिक्षा का उपयोग केवल जन उपयोगी कार्यक्रम के रूप में ही नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने के रूप में भी किया जा सकता है, इससे देश के भविष्य को भी निर्धारित करने का काम किया जा सकता है। मान्यवर, इस सब के अतिरिक्त प्रमुख रूप से जो बात मैं कहना चाहता हूँ।

माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षा–मित्र टोटल 4440 हैं, सरकार ने निर्णय लिया है चूँकि इस समय हम विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से 5 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, चूँकि शिक्षा मित्र के भविष्य का सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, किस प्रकार की इसमें व्यवस्था बनायी जाय। इन पर नियमित टीचर रखने की सरकार ने व्यवस्था की है। शिक्षा–बंधुओं के बारे में यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार राजकीय हाईस्कूलों में हमारे प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। इसमें 91 पद रिक्त हैं, इन 91 पदों की भर्ती निश्चित रूप से कर ली जायेगी।

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत 32 पॉलीटेक्निक, 3 महिला पॉलीटेक्निक, एक राजकीय सहायता प्राप्त, 7 स्ववित पोषित निजी पॉलीटेक्निक, दो राजकीय होटल मैनेजमेंट, 3 सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। मान्यवर, पॉलीटेक्निक के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 7 नये पॉलीटेक्निक के लिए धन की व्यवस्था की है, माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराना है कि अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में ये 7 पॉलीटेक्निकों के लिए धन की व्यवस्था की है, उनके पद आदि भरने के लिए भी व्यवस्था की है, इस वित्तीय वर्ष में इनको प्रारम्भ करेंगे। हमने पॉलीटेक्निक संस्थानों से, कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से एक वर्ष में 600 छात्रों का सलेक्शन हुआ है, वे यहाँ से सीधे नौकरी में गये हैं। इस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से हमारा 2006–07 में 14.76 करोड़ का प्रावधान प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण, संकाय विकास, कनेक्टिविटी, संसाधनों की सहभागिता आदि हेतु इस योजना के अन्तर्गत किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के लिए कुल रुपया 7.72 करोड़, कुमायूँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट के लिए रु0 5.50 करोड़, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर हेतु कुल रु0 4.42 करोड़ तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु कुल रु0 4.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं इसमें हमने सामूहिक रूप से कार्येत्तर काम 2007–08 के लिए एक करोड़ का प्राविधान रखा है।

मान्यवर, इस प्रकार से जो खेल विभाग है खेल विभाग के लिए हमने जो राज्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत कुल 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके लिए हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर रहे हैं। 45 खिलाड़ियों को हमने लाभान्वित किया है उनको किस प्रकार से आर्थिक रूप से हम उनकी मदद कर सकते हैं यह व्यवस्था भी की है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेते हैं उनके लिए हमने निःशुल्क व्यवस्था की है। मान्यवर, प्रदेश के 31 खेल संस्थान हैं उनमें खेलों के उपकरणों के लिए अनुदान की व्यवस्था की है। जो अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हैं उनको पुरस्कृत किया है। मान्यवर, इस प्रकार की प्रत्येक जनपद में राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें 20446 खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं। मान्यवर, हमारा युवा कल्याण और प्रान्तीय रक्षक दल है इसके लिए 2006–07 में कुल व्यवस्था की है वह 148759 हजार रुपये की है। अवमुक्त राशि के आधार पर ग्रामीण खेलकूदों की कुल 712 प्रतियोगितायें आयोजित हुईं। मान्यवर, राज्य के 1744 सक्रिय युवा दलों को प्रोत्साहन सामग्री का वितरण किया गया। विभिन्न ड्यूटियों पर प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को तैनात कर कुल एक लाख पच्चीस

हजार मानव दिवस सृजित हुए। मान्यवर, वर्तमान में निर्मित आठ युवा केन्द्रों की साज–सज्जा तथा मरम्मत की गयी। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 71 क्रीडा स्थलों का निर्माण/विस्तार किया गया। 08 व्यायामशालाओं का जीर्णोद्धार किया गया। राज्य की सांस्कृतिक टीम को राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुणे में सम्मिलित किया गया। जहां टीम द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 14 मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अधीन अनुसूचित जाति के ग्रामीण युवाओं की कुल 109 खेल प्रतियोगिता आयोजित की गयी। मान्यवर, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 04 जिम्नेजिम हाल निर्मित किये गये। अनुसूचित जाति के स्वय सेवकों को ड्यूटियों पर तैनात कर कुल 50000 मानव दिवसों का सृजन हुआ। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में 01 मिनी स्टेडियम बनाया गया। अनुसूचित जनजाति योजना के अधीन 01 मिनी स्टेडियम का निर्माण हुआ तथा स्वयं सेवकों को ड्यूटियों पर तैनात कर कुल 10000 मानव दिवसों का सृजन हुआ। मान्यवर, गत वर्ष के आय–व्ययक के आधार पर अनुदान संख्या–11 हेतु प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष में युवा कल्याण परिषद को अनुदान–2500 हजार, प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष–5000 हजार, युवा दलों को आर्थिक सहायता–5000 सहित कुल 44220 हजार की राशि की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार आयोजनागत पक्ष में युवा छात्रावासों के विकास हेतु 1260 हजार, ग्रामीण मिनी स्टेडियमों के निर्माण–15000 हजार तथा जिला योजना–17000 हजार सहित कुल 35360 की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति क्षेत्र योजना के अन्तर्गत मात्र रु0 3783 हजार की राशि की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य लोक संस्कृति के रूप में अपना एक अलग स्थान रखता है, जिसकी पहचान देश में ही नहीं अपितु दुनियां में है। हरिद्वार में गंगा को देव भूमि के रूप में जाना जाता है, यहां पर हरि की पैड़ी है, जिसका कि अपना एक महत्व है। मान्यवर, प्रदेश को हम धर्म, साहित्य और कला के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं, इसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्राचीन पुरातत्व अभिलेखों के संरक्षण हेतु भी हमारी सरकार कार्य करेगी। मान्यवर, प्राचीन उत्तरांचल की जो धरोहर है उसको भी संरक्षित किया जायेगा।

संस्कृति विभाग द्वारा बद्री–केदार उत्सव, 2007 का आयोजन, राज्य स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश की राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, नई दिल्ली में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सांस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति तथा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्रचलित मेलों, त्योहारों, उत्सवों में जिलाधिकारियों, मेला कमेटियों के माध्यम से सांस्कृतिक दलों को अनुबन्धित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ की

जानी है। इसके अलावा देवभूमि के अनुरूप संस्कृति के अनुरूप आदर्श प्रदेश की स्थापना करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसी क्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के शोध कार्य हेतु सहायता, हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं उन्नयन, जनजाति लोक कला का उन्नयन एवं विकास के लिए ऐसी दस योजनाओं के लिए हमने धन की व्यवस्था की है ऐसी 10 योजनाएँ हैं जिनमें हर के लिए रु0 1 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जो 2007–08 का आय–व्ययक है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, प्रस्तुत किया। मान्यवर, यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है, दायित्व विहीन है, आधारहीन है, दृष्टि विहीन है, गुणवत्ता विहीन, बुनियाद विहीन है, कही कोई सार नही है। शिक्षा जो इस प्रदेश के भविष्य की धरोहर है इसके साथ खिलवाड़ किया गया है। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी आंकड़े दे रहे थे। हमने परसों ही, यह सदन के संज्ञान में आया होगा जो विद्यालय है हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, प्राइमरी, इनमें जब तक बच्चों को पढ़ने के लिए भवन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो यह सरकार बच्चों को क्या पढ़ायेगी ? जो बुनियादी व्यवस्था है बच्चों के भविष्य के लिए। अभी माननीय मंत्री जी ने 1231 विद्यालयों के भवनों की संख्या बताई है तो मान्यवर, इसमें से एक तिहाई से ज्यादा स्कूलों में भवन नही है बच्चे उसमें पढ़ नहीं सकते। कहीं कोई दृष्टि इस बजट में देखने को नहीं मिलती। मान्यवर, हम इस सरकार के लिए क्या कहें कि जो शिक्षक हैं उनके कल्याण के बारे में कहीं एक बात भी इस बजट में नहीं कही गयी है। जिन्होंने इस प्रदेश के भविष्य को संवारना है। इससे इस सरकार का शिक्षा के प्रति कैसा दृष्टिकोण है ? पता चलता है।

मान्यवर, कहा गया है माता शत्रुः पिता बैरी, येन बालोः न पठिताः। माता शत्रु, पिता बैरी हैं जो बच्चों को नही पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से सरकार को माता–पिता भी समझ लें तो जो सरकार किसी तरह की व्यवस्था नही कर रही है तो सरकार के लिए क्या कहा जा सकता है। मान्यवर, लास्ट में हम सारे बजट भाषण का सार समझें तो मेरे

ख्याल से सब को समझ आयेगा कि इतनी रामायण हमारे माननीय मंत्री जी ने पढ़ी और अन्त में पूछेंगे कि सीता किसका बाप था, कितना खर्च तो इतना पैसा खर्च करने के बजाय आप बेसिक शिक्षा पर ध्यान देते, मैं कहता हूँ कि आप पूरे प्रदेश में ध्यान नहीं देते पर आप चार विकास खण्डों में ध्यान देते या आप अपने विधान सभा क्षेत्र में ध्यान देते तो भविष्य में शिक्षा की अच्छी स्थिति होगी, आपने कोई मॉडल नहीं दिया। मान्यवर, यह जो देवभूमि है यह पूरे देश में, पूरे विश्व में उसी तरह से शिक्षा का स्थान प्राप्त कर सके जिस तरीके से गंगा तथा हिमालय का स्थान है। आप तो अलग ही बात करेंगे कि सर्वसम्मति से पास कर दें जब इसमें कुछ नहीं है तो ऐसा क्यों कर दें, मैंने पूरा पढ़ा है आप बतायें कि हमारे जो शिक्षक हैं, कितने कठिन परिस्थितियों में हैं, आपने सुगम-दुर्गम की बात कही, मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जहाँ सुगम होना चाहिए था वहाँ दुर्गम कर दिया। मैं इसके बारे में 10 जगह बता सकता हूँ और जहाँ दुर्गम होना चाहिए था वहाँ सुगम कर दिया। मान्यवर, मैं अभी परसों एक विद्यालय में गया था मैं उस विद्यालय में ले जा सकता हूँ जहाँ 6 टीचर और 5 बच्चे हैं, इससे आप शिक्षा की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार दो क्षेत्रों के दबाव में काम कर रही है, पहली बात तो विशेष संगठन के विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है और दूसरी बात जो पब्लिक स्कूल हैं जिनकी पूरी एक लॉबी है, उस लॉबी के दबाव में सरकारी शिक्षा को समाप्त करने का काम यह सरकार कर रही है। मान्यवर, बजट में कुछ नया नहीं है, जिस तरह की हालत है। आज अध्यापकों के बारे में आप ही बता दें कि जितने इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं उसमें कितने पूर्णकालिक प्रधानाध्यापकों की व्यवस्था की है, यह कोई जवाब नहीं है कि उसमें कई सालों से नहीं है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा में आपकी बुनियाद है, राज्य के जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी ग्रेच्युटी का मसला अधर में है, पिछली सरकार ने पृथक निदेशालय की स्थापना की, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, आप कौन से निदेशालय की बात कर रहे हैं ?

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं पृथक प्राथमिक निदेशालय की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं उदाहरण स्वरूप और नाम लेकर भी बता सकता हूँ। स्थिति यह है कि तीसरी स्टेज में एक अध्यापिका कैंसर से पीड़ित है। उसका ट्रांसफर 150 किलोमीटर दूर कर दिया है। इस तरह की समायोजन नीति इस सरकार द्वारा बना रखी है। मान्यवर, गम्भीर रोगों से

पीड़ित आदमी अगर जिन्दा रहेगा तभी तो वह पढ़ायेगा। मान्यवर, इस तरह की जो विसंगतियां हैं जब अध्यापक खुद ही परेशानी में रहेगा, वह बच्चों को क्या पढ़ायेगा और क्यों विद्यार्थी उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने को जायेंगे। आज जो वस्तु स्थिति है उसी के बारे में कह रहा हूं। मान्यवर, आज पी०टी०ए० शिक्षक भी परेशान हैं। कई जगह प्राथमिक विद्यालयों में स्थिति यह है कि शिक्षक अपनी जगह न होकर किसी दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आपने पहले आबकारी का बजट रखा है और उसके बाद शिक्षा का बजट रखा है। मान्यवर, समझ में नहीं आता है कि आप कब इन चीजों को सुधारेंगे। मान्यवर, जो आपकी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा है, उसका यह हाल है। मान्यवर, मिड–डे भोजन की सबसे बड़ी खराब स्थिति है। शिक्षकों का आधा समय तो भोजन आदि में चला जाता है। शिक्षकों को आज आप हर जगह लगा रहे हैं, कभी जनगणना में, कभी मतदाता सूची में, कभी पल्स पोलियो अभियान में इनकी ड्यूटी लगायी जाती है। मान्यवर, इस तरह से कैसे शिक्षा का स्तर प्रदेश में सुधरेगा। ...... (शोर) मान्यवर, मैं पिछली सरकार की बात भी कर रहा हूं। पिछली सरकार के माननीय मंत्री जी को मैंने एक सुझाव दिया था कि बड़ी कृपा होगी कि इस विभाग को बन्द कर दें। ...... (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपको भी यही सुझाव दे रहा हूं। इस विभाग के लिए बजट में कुछ भी व्यवस्था नहीं की गयी है। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए कहीं आपके प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए भवन नहीं हैं, खेलने के लिए प्रांगण नहीं हैं। इनके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आप कितना समय लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जितना समय आप देंगे। मान्यवर, अंग्रेजी विषय के बारे में कहना चाहता हूं, यह विषय आपने लागू कर दिया है, लेकिन इसके टीचर ही नहीं हैं। जो भावी पीढ़ी है उसको कैसे आप तैयार करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय भी बहुत हो रहा है, यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है, जिसको आठ बजे से पहले जाना है, लेकिन माननीय मंत्रियों को हो सकता हो जाना हो। ...... (व्यवधान) मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें बहुत कम विषय रखे हुए हैं। मान्यवर, इसमें ज्यादा विषय रखने चाहिए थे। सबसे अच्छा शिक्षा का क्षेत्र यही है। इसमें टैक्निकल, रोजगारपरक शिक्षा मिल सकती है। प्राविधिक शिक्षा में टीचर नहीं रखे हैं, भवनों की व्यवस्था नहीं है, लाईट की कोई व्यवस्था नहीं है। नये पॉलीटैक्निक में लैण्ड

की व्यवस्था आपने नहीं की है। नई टिहरी में भी पॉलिटेक्निक स्वीकृत है, सतपुली में भी पॉलीटेकिाक स्वीकृत है, बीरोंखाल में भी पॉलीटेक्निक स्वीकृत है। लेकिन इनका कोई जिक्र इसमें नहीं है। जिस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसमें नहीं दिया गया है। निजी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया गया है। मेरा यह आरोप है, सरकार पर। सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है।

खेल विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में एक भी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम नहीं है। पूरे टिहरी जनपद में एक भी स्टेडियम नहीं है। इसी तरह की हालत अन्य जनपदों की भी है, हर जनपद की है। सबसे ज्यादा दुःख का, कष्ट का विषय यह है कि शरदकालीन खेल जो होने थे, वह स्थगित कर दिये गये हैं। इसके लिए केन्द्र जो 50 करोड़ रुपया दे रहा था, उसका क्या होगा ? यह आप भली-भांति जानते होंगे। युवा कल्याण में जो बजट दिया गया है, उसमें क्रीड़ा स्थलों की कोई व्यवस्था नहीं है। यह समझ से परे बजट है।

संस्कृति विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य की पहचान बिना संस्कृति के हो ही नहीं सकती। संस्कृति विभाग में, लोक-कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी है, उनको संरक्षण देने के लिए कोई योजना नहीं बनायी है। एक साधारण सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। ढोल सागर को संरक्षित रखने के लिए क्या किया है ? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ढोल सागर क्या है ? ढोल सागर ऐसी विधा है, जिसमें, आबकारी से तो देवता आते हैं या नहीं यह तो पता नहीं लेकिन यदि ढोल सही से बजा दें तो आदमी में देवता आ जाते हैं। उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, बजट में इतना तो अवश्य कर दीजिए कि ततैया जो अन्दर घूमने लगी है, इनको बाहर किया जा सके। विधायक निवास में तो बहुत ज्यादा हैं, वहां से तो शायद ही हटा सकेंगे लेकिन यहां पर से जरूर इनको हटाने के लिए बजट में व्यवस्था कर दें।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, लेखकों, कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में कहना चाहता हूँ, अभी-अभी मुझे पता चला कि मंत्रि-परिषद् के एक माननीय सदस्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश गये हैं। यह सब होते हुए भी कला, साहित्य के संवर्धन के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पौड़ी अकादमी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपनी बात पर अडिग हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, मैं भी इस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माहरा जी, मैं आपको भी अवसर दूंगा। माननीय गणेश जोशी जी अपने विचार रखें।

*श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा अभी हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे कि यह बजट दिशाहीन, दृष्टिहीन और उत्साहहीन है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है, हम पांच साल में कुछ भी काम कर दें, इन्हें वह कुछ नहीं लगेगा। मान्यवर, किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति का आंकलन उसकी शिक्षा से ही होता है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि पूरे भारत की साक्षरता 65.38 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश की साक्षरता 71.60 प्रतिशत है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, क्या यह साक्षरता दर चार महीने में ही बढ़ गई।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसका उदाहरण तो यह पुस्तक ही देती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर जी, आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के लिए पिछले वर्ष वार्षिक कार्य योजना 160 करोड़ रुपये की थी, अब इसके आकार को बढ़ाते हुए इस वर्ष 253 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 19 विकास खण्डों के 760 उच्च–प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7 और 8 में अध्ययनरत् लगभग 81,086 छात्रों को भी इस वर्ष से मिड–डे मील योजना से आच्छादित करने की योजना है। इस वित्तीय वर्ष में 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ...... ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गणेश जोशी जी, कोई सुझाव हो तो दीजिये, यह सब तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, अधिकांश शिक्षक जो वर्षों से नौकरी के लिए संघर्षरत थे आज उनको नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, कोई सुझाव हो तो उसे बताइये यह सब तो माननीय मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाने की बजाय अक्सर सचिवालय और विधान सभा के चक्कर काटते रहते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए अगर उनको सुविधायें दी गई हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह विद्यालयों में पढ़ायें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं, जिनका उच्चीकरण तो हो चुका है लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं हैं तो नई भर्ती के माध्यम से जो अध्यापक आयें, उसमें यह संशोधन किया जाये कि जहां पर शिक्षक नहीं हैं वहां पर शिक्षक पहले दिये जांय। मान्यवर, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं को आगे शिक्षा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, मेरा कहना है कि इस योजना के अन्तर्गत सभी गरीब लोगों को लिया जाना चाहिए। मान्यवर, अगर माता शिक्षित होती है तो समाज शिक्षित होता है, इसलिए इस अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार से पॉलीटेक्निक की स्थिति जो आज है, उसमें सीटें काफी कम हैं, मेरा अनुरोध है कि पॉलीटेक्निक की सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। इसी बात के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ, मैं इस पर ज्यादा न बोलते हुए 2–3 बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा। इन बातों पर हमारे

विद्वान माननीय शिक्षा मंत्री जी और महाचतुर मंत्री जी का ध्यान चाहूँगा, माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। जो भी बजट यहां पर आया है इसमें आपने स्थानान्तरण नीति में कहीं पारदर्शिता नहीं बरती है और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि पर्वतीय अंचलों का भ्रमण आपने पूरा नहीं किया, केवल हरिद्वार तक ही सीमित रहे हैं। आपने दुर्गम, अति दुर्गम की बात की है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन तो आपको नहीं होगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कि जब आप पिथौरागढ से चलते हैं, अपने मूल निवास में जाते हैं तो वह स्थान सुगम हो जाता है और जहां पर इस समय माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी विराजमान हैं वहां से एक, डेढ किलोमीटर में कोई स्कूल है तो वह दुर्गम हो जाता है। मैं इसलिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज ऐसी दशा शिक्षकों की कर दी है, मैं इस फोरम से कहना चाहता हूँ कि उनमें आक्रोश पैदा हो रहा है। आप नीति में और इस बजट में स्थानान्तरण नीति की पारदर्शिता को देखते हुए पुनः सोच लें। 5 साल, 10 साल पहले जब यह नीति बनी होगी, तब कोई आक्रोश नहीं था। हरिद्वार से जब आप चलते हैं डेढ, दो किलोमीटर में कोई गांव है तो वह दुर्गम हो जाता है। तो इस नीति पर आपको पुनः सोचना होगा। दूसरा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आपने सारे अध्यापकों के प्रमोशन रोक दिये हैं। होना तो यह चाहिए कि पहले नियुक्ति इण्टर कालेज में हो, दूसरे एल0टी0 में हो, तीसरे लेक्चरर में हो और चौथा प्राईमरी में हो। आज यह हालत है कि एम0एस0सी0 या बी0ए0, बी0एड0 पास पहले प्राईमरी में चला जाता है, फिर इण्टर कालेज में चला जाता है। इससे सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। आज प्रमोशन लिस्ट क्यों बंद कर दी गयी, सरकार प्रमोशन क्यो नहीं कर रही है ?

शिक्षा मित्र की आपने व्यवस्था की। पिछली सरकार ने इन शिक्षा मित्रों का वेतन छः गुना करने का शासनादेश कर दिया था। आज 13, 14, 16, 17 माह हो चुके हैं, उनको नये शासनादेश के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, तीन महीने तो आचार संहिता थी। मैं आपको चैलेंज नही कर रहा हूँ। मान्यवर, न मैं आपकी व्यवस्था को चैलेन्ज कर रहा हूँ। तत्कालीन सरकार ने उनके भविष्य को देखकर 3 हजार से 6 हजार का शासनादेश किया। आज तीन महीने हो चुके है, अगर यह उपलब्धि आपके 100 दिन में शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। मैं कल भी इसे आपके संज्ञान में लाया था, हमारे जनपद में विज्ञप्ति जारी होने के तीन या चार दिन के बाद रिजल्ट निकला किसी का मध्य प्रदेश में किसी का कहीं अन्य प्रदेश में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद चम्पावत में 100 पद खाली हैं। 23 पहली सूची में थे, अनुसूचित जाति और पिछड़ी

जाति के इन लड़कों को बाहर कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन 23 लड़कों को उसमें शामिल कर लें। मान्यवर, पी0टी0ए0 शिक्षकों की बात है वह जिस तनख्वाह में पहले थे आज भी वही है, एक ओर हम शिक्षकों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको भी संज्ञान में ले लें। मान्यवर, विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की बात आई जिस प्रकार से एल0टी0 शिक्षकों को सत्र का लाभ देते हैं, प्राथमिक शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसी के साथ युवा कल्याण की बात थी जहाँ पुलिस कर्मियों की कमी है, कमी इसलिए खलती है कि कई चीजें एक साथ हो जाती हैं, आज जितना काम पी0आर0डी0 के जवान इस प्रदेश में कर रहे हैं जहाँ भी जायेंगे दो–चार पी0आर0डी0 के जवान नजर आयेंगे। पी0आर0डी0 के जवानों को सिविल पुलिस का दर्जा दिये जाने हेतु इस सरकार का कोई विचार है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ऊपर जो अभी सरकार के कार्यक्रमों के बारे में माननीय मंत्री जी ने विवरण प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से वह सराहनीय है और यह अनुदान मांग प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। मान्यवर, वास्तव में शिक्षा इतना विस्तृत विषय है कि उसको किसी एक विभाग के रूप में, एक कार्यक्रम विशेष के रूप में देखना या संक्षिप्त समय के अन्दर चर्चा करना कदाचित सम्भव नहीं है। जैसा कि पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा, वास्तव में यह ऐसा विषय नहीं है कि राजनीति के कारण टिप्पणी करने से कोई बात बनती हो यह बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य का यह सौभाग्य है क्या देश की जो साक्षरता की दर है उससे हम आगे हैं ? मान्यवर, जिस प्रकार से साक्षरता की बात की जा रही है प्रदेश में एकमात्र मानव संसाधन विकास ही शिक्षा को अधिक बढ़ावा दे सकती है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन के माध्यम से इस प्रदेश की शिक्षा को आमदनी शिक्षा का नाम दिया जा रहा है। मान्यवर, मानव संसाधन से जो धनराशि मिल रही है उसका सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। शिक्षा के विषय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना होगा। उत्तराखण्ड का पूरे देश में शिक्षा के प्रति एक विशिष्ट स्थान है और हमें यह भी सोचना होगा तथा ध्यान देना होगा कि शिक्षा में या साहित्य में जो विगत वर्ष से केवल राजनीति की जा रही है वह कदम इस प्रदेश के लिए बहुत ही गलत माना जा सकता है।

मान्यवर, आज प्रदेश में शिक्षा के नाम पर गलियों और मोहल्लों में विद्यालय खोले जा रहे हैं जो अच्छा संकेत नहीं है और न ही प्रदेश के हित में होगा, स्कूलों की एक बाढ़ जैसी आ गयी है। मान्यवर, शिक्षा के नाम पर जो गांव और पंचायत में स्कूल

खोले जा रहे हैं वह अपने बच्चों को धोखा ही दे रहे हैं क्योंकि मान्यवर, इन विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन कर दिये गये किन्तु बच्चों को शिक्षा देने के लिए योग्य अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। मान्यवर, उत्तरांचल में जो पर्वतीय क्षेत्र में स्कूल खोले गये हैं आज उनकी स्थिति बदतर हो चुकी है जिससे हमारे बच्चों का जीवन इन विद्यालयों में पढ़ने से अंधकारमय हो चुका है। श्रीमन्, प्रदेश में विद्यालय खोलने के मानक पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में अलग-अलग होने चाहिए क्योंकि मान्यवर, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक दबाव रहता है शासन द्वारा स्कूल खोलने के लिए जो दूरी के मानक रखे गये हैं वह भी भिन्न होने चाहिए। शहरों में आवश्यकता से अधिक दबाव होने पर स्कूलों का नजदीक होना जरूरी है। मान्यवर, यह बात भी कही जाती है कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है और उनका तर्क यह रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा हो सकता है। मान्यवर, यदि हम प्रत्येक ग्रामीण और पंचायत क्षेत्र में स्कूल खोलने की कार्यवाही करना आवश्यक समझते हैं तो मान्यवर, इससे बच्चों की शिक्षा में बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ऐसे विद्यालयों में बच्चों की संख्या भी नगण्य होने से अध्यापकों का न होना सबसे बड़ा कारण रहता है। मान्यवर, सदन के माध्यम से एक बात और रखनी होगी। लेकिन कहा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों के विद्यालय नजदीक न होने से बच्चों को बारिश और धूप में जाना पड़ता है इस प्रकार के तर्क भी दिये जाते रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार से प्रदेश को शिक्षा के रूप में राजकोषीय घाटे का भी दबाव रहेगा। मान्यवर, अलग-अलग मानक से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के लिए बच्चों की संख्या के हिसाब से स्कूल खोलें तो राज्य में राजकोषीय दबाव भी कम रहेगा। जिस प्रकार से देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और हरिद्वार में कालेज का प्रचार-प्रसार बहुत बढ़ा है और उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मान्यवर, माननीय माहरा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रदेश सरकार को विशेष रूप में करनी चाहिए।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि एजूकेशन जो टेन प्लस टू की है वह वोकेशनल होनी चाहिए उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए जिससे वे स्वरोजगार की स्थिति में हों। मान्यवर, मेरा मानना है कि हायर एजूकेशन वही लोग पाए जो उस स्तर का स्किल रखते हों इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे जो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज हैं हम उसमें रिओरियन्टेड की तरह हैं जैसाकि इस सदन में सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास हुआ है, उद्योगों में पूंजी निवेश हुई परन्तु स्थानीय बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार नहीं मिला है लेकिन अगर हम इसकी हकीकत में जाए तो पता चलेगा कि जिस तरह के इन उद्योगों में रोजगार है वे लोग

हमारे यहाँ उपलब्ध ही नहीं हैं, हमारे सामने यह बड़ा प्रश्न है। मान्यवर, हमारे बच्चों के पास तकनीकी शिक्षा नहीं है। इसमें शिक्षा विभाग को यह प्रयास करना चाहिए कि नीड बेस एजूकेशन दिया जाना चाहिए और एजूकेशन और इण्डस्ट्री के बीच इण्टरफेसिंग करके यह तय करना चाहिए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए और हम बच्चों को तकनीकी शिक्षा देकर ट्रेण्ड कर सकते हैं जिससे जो डिमाण्ड है उद्योगों में उसकी पूर्ति हो सके। आज उत्तराखण्ड राज्य की जो संस्कृति है, भौगोलिक परिवेश है, पर्यावरण, हेरिटेज है। हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है, एन0सी0आर0टी0 के तर्ज पर है, उसको उत्तराखण्ड का जो मौलिक अध्ययन है, इकोलॉजी है, कल्चर है, पर्यावरण है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तरांचल से सम्बन्धित, कल्चर से सम्बन्धित, महापुरुषों से सम्बन्धित विषय हो, इकोलॉजी हो इन सबका पाठ्यक्रमों में अधिक से अधिक समावेश किया जाना चाहिए। मान्यवर, खेल विभाग के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जसपाल राणा जैसे प्रतिभाशाली जो देश में ही नहीं दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। यह उत्तराखण्ड के लिए एक सम्मान की बात है लेकिन हमें कभी-कभी लगता है कि देश के दूसरे प्रदेशों में नजर डाले तो यह लगता है कि दूसरे प्रदेशों ने अपने यहाँ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए हैं हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरे प्रदेशों ने इन खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं दी हैं। हमारे यहाँ भी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। जिससे लोग जसपाल राणा जैसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर इस प्रदेश का नाम रोशन करें। मान्यवर, अभी शिक्षा की बात आई तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले पांच सालों में शिक्षा को ट्रांसफर उद्योग बनाकर रख दिया गया था। अनुकम्पा के आधार पर लगभग पांच हजार शिक्षकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है लेकिन हमने कहा है निश्चित रूप से इस प्रकार के स्थानान्तरण उद्योग पर विराम लगना चाहिए। शिक्षा विभाग केवल एक रोजगार का विभाग नहीं है बल्कि उनके ऊपर हजारों बच्चों के भविष्य संवारने का कार्य है। मान्यवर, सुविधाजनक स्थानों पर जहाँ 5 अध्यापकों की जरूरत है वहाँ 16 अध्यापक हैं, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है, इन सारे दृष्टिकोण में जिस दृढ़ता का परिचय दिया और तमाम दबावों के बावजूद सुनिश्चित किया कि दबावों के आगे कोई नीति निर्धारित नहीं की जायेगी, जिससे हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो सके। मान्यवर, अन्तिम सुझाव देकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। श्रीमन्, यह सोचने का विषय है कि हमारी सरकार विद्यालयों में जहाँ 15-20 हजार रुपया तन्ख्वाह अपने अध्यापकों को देती है और उस विद्यालय में

छात्र पढ़ने को तैयार नहीं हैं। मान्यवर, उधर बैठे लोग मेरे सुझाव में टोका–टाकी करेंगे तो कैसे होगा ? मान्यवर, मुझे जसपाल भट्टी का कार्यक्रम उलट–पलट याद आता है उसमें है कि जो जिस पुल को बनाये उस पर न जाये, जो जिस गाड़ी को बनाये उसमें न बैठे तो यहाँ पर भी यही है कि जो जिस विद्यालय को बनाये उसमें अपने बच्चों को न पढ़ाये। मान्यवर, हम 16–20 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं और वहाँ अध्यापक मक्खी मारते हैं वहाँ पढ़ने के लिए अपने भी बच्चे नहीं जाते और जहाँ तनख्वाह कम मिलती है अर्थात् पब्लिक स्कूलों में वहाँ पर सिफारिश लगाने के लिए सभी खड़े होते हैं, इतने संसाधन शिक्षा के नाम पर बरबाद हो रहे हैं यह इसका ही रीसोर्स मोबिलाइजेसन कर रहे हैं, तो इसमें विचार होना चाहिए, हमारे स्कूलों का स्तर वही बने जो पब्लिक स्कूलों का है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने सी0बी0एस0सी0 पैटर्न पर गिरते परीक्षा परिणाम की बात की, तो मैं जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले सत्र में क्या सी0बी0एस0सी0 पैटर्न रहेगा, बच्चे क्या पढ़ें यह उनको नहीं पता, न ही इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहूँगा और दूसरा जो अशासकीय सहायता बोर्डों में नियुक्तियाँ हो रही थी वह रोक दी गई हैं और सत्र चालू है, तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो यह आवश्यक है। तीसरा जो सरकारी स्कूल हैं उसमें देखा जा रहा है कि जो भी अध्यापक जाते हैं उनका आधा समय मोबाईल पर बात करने में बीत जाता है तो मैं निवेदन करूँगा कि जब अध्यापक विद्यालय में जायें तो अपना मोबाईल प्रधानाचार्य को दे दें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र जसपुर में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे क्लास रूम के बाहर बरामदे में बैठते हैं कुछ क्लास रूम में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी नये विद्यालयों की घोषणा करें।

*श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, शिक्षा के बारे में जो व्यवस्था है। मान्यवर, वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जो दशा प्रदेश की है, जब उत्तराखण्ड आंदोलन हुआ था, तब भी शिक्षा एक अहम मुद्दा था। मान्यवर, उस समय पर्वतीय क्षेत्रों में भवन थे तो बच्चे नहीं थे, कहीं पर बच्चे थे तो अध्यापक नहीं थे। मान्यवर, अब इन सब अव्यवस्थाओं को सरकार द्वारा दूर किया जाना चाहिए। मान्यवर, ये विद्यालय गरीब बच्चों के विद्यालय हैं इनमें ग्रामीण लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं ये भी गरीब लोगों के विद्यालय हैं, क्योंकि इन संस्थानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भी ग्रामीण परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं। मान्यवर, हमें एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। विपक्ष के सभी माननीय साथियों से प्रार्थना है कि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यदि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति करेंगे तो विकास की दौड़ में हमारा राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ जायेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरांचल प्रारम्भ से ही अनमैच्योर रहा है। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निवेश सरकार के द्वारा यहां पर इनवाईट किया जा सकता है, जिस ओर हम सभी लोगों का ध्यान चला जायेगा। कम से कम शिक्षा की जो दुर्दशा इस प्रदेश में हो गयी है, इसमें मूल प्रश्न यह है कि हमें प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करना है। इस दिशा में चाहे वह शिक्षकों के ट्रांसफर हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो या अन्य सुव्यवस्था हो। मान्यवर, मेरा अपने साथियों से और विपक्ष के साथियों से निवेदन है कि सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान हैं, उनको बन्द कर दिया जाय, यदि इन्हें बन्द नहीं करते हैं तो इनकी दशा और दिशा सुधारी जाय। सब इसमें आपका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

हाजी तस्लीम अहमद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, शिक्षा मानव जाति का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा प्राप्त करना हमारा मेन उद्देश्य है। प्रदेश और मुल्क की खुशहाली के लिए भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मान्यवर, शिक्षा के बजट पर यहां पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कई माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर कहा गया कि कहीं पर बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं हैं और कहीं पर अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हाल यह है कि 250 से लेकर 300 तक विद्यार्थी हैं, लेकिन अध्यापक सिर्फ एक हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक कन्या हाईस्कूल पिछले सत्र में खुला, शिक्षा सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें अध्यापक नहीं हैं। मान्यवर, जो हमारी प्राथमिक पाठशाला है, यहां पर लगभग 80 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां पर उर्दू टीचर नहीं है, इस स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं। विडम्बना यह है कि जहां पर बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वहां पर उर्दू टीचर नहीं भेजे जाते हैं और जहां पर बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं, वहां पर उर्दू टीचर भेजे जाते हैं, यह तो उर्दू के साथ बड़ा धोखा है। मान्यवर, तीसरा विद्यालय एकल है, आज यहां पर लगभग 300 बच्चे हैं और इन पर एक अध्यापक है। इस तरह से अभी जो मेरे क्षेत्र में दूसरे स्कूल का उच्चीकरण हुआ है। मान्यवर, जो स्कूल पिछले साल उच्चीकृत किये गये हैं, उनमें श्यामपुर का बालिका विद्यालय भी है। इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा हाईस्कूल नहीं है। यह

बालिकाओं का स्कूल है, मेरा कहना है कि इसमें सबको एडमीशन मिल जाना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत न हो। सभी स्थानों पर कम से कम इस तरह की सुविधा हो कि बच्चों के हिसाब से टीचरों की भर्ती की जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं पहले भी कह रहा था कि किस तरह से सर्व शिक्षा के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहां पर है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो पुस्तक दिखा रहे हैं, वह दो महीने पहले की है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान का दुरूपयोग हो रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दुरूपयोग हो रहा है, यह तो हम भी कह रहे हैं। मान्यवर, माननीय किशोर जी की जिज्ञासा के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं, शिक्षकों की पदोन्नति के बारे में आपने कहा, इस शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर पदोन्नति की व्यवस्था है। प्राथमिक से माध्यमिक में, माध्यमिक से हाईस्कूल में और हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट में पदोन्नतियां दी जा सकती हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में आपने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए इग्नू के साथ हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 5 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सम्बंत लाभ की कार्यवाही गतिमान है।

ट्रांसफर में ऐसी नीति बनायी जा रही है कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। निश्चित रूप से ऐसी नीति बनाने की मंशा सरकार की है कि निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से यह नीति बनेगी। पहाड़ के विद्यालयों में इससे शिक्षकों की कमी नहीं रह जाएगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने के बाद राजकीय कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनको भी वे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एकीकरण के बाद से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को हाईस्कूल तक के एल0टी0 ग्रेड शिक्षक तक 30 प्रतिशत की पदोन्नति की व्यवस्था है। जहां तक पृथक निदेशालय की बात है, पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि हम इसे बनायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उसी सरकार ने घोषणा कर दी कि नहीं बनायेंगे। दोनों काम उसी ने कर दिए। पृथक निदेशालय से जरूरी काम जो हमारे लिए

है, वह यह है कि ठीक प्रकार से बुनियादी शिक्षा हो, इसमें भवन बनाए जाएं, अध्यापक भेजे जाएं। गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाए ताकि शिक्षा का स्तर ठीक हो, यह सब ज्यादा जरूरी है। मान्यवर, अभी मैंने दुर्गम और सुगम क्षेत्र के बारे में बताया .... (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमें चिन्ता हो रही है, पहले शिक्षा मंत्री भी दुबारा लौट कर नहीं आए, दूसरे शिक्षा मंत्री भी दुबारा लौट कर नहीं आए।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आबकारी मंत्री भी हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली बार के आबकारी वाले इस बार पलट गये। यह भी अगली बार पलट गये तो नुकसान हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शिक्षा मित्रों की तनख्वाह की बात कही गयी, यह ठीक है कि उनका मानदेय 6 हजार रुपया कर दिया गया था, किसी कारण से बजट में यह व्यवस्था नहीं कर पाए। इस बजट में इसके लिए व्यवस्था की गयी है, इस बार निश्चित रूप से उनको पूरी तनख्वाह मिलेगी। मान्यवर, जो पदोन्नतियों की बात कही गई है, पदोन्नति के क्षेत्र में आदेश निर्गत कर दिया गया है। क्योंकि काम करने वाले हैण्ड उतने ही हैं, पदोन्नति का काम गति के साथ पूरा हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। यह भी सही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पिछली सरकार ने चुनाव से 2–3 महीने पहले ही 900 विद्यालय खोल दिये गये और यह 900 विद्यालय हवा के हवा में ही रह गये हैं, उनकी ना तो बिल्डिंग है, न शिक्षक तो हम यह व्यवस्था कर रहे हैं, आहिस्ते–आहिस्ते उनकी पूरी व्यवस्था हो जाय। किशोर जी ने तो एक यूनिवर्सिटी का अध्यादेश भी करा दिया था और वह भी हवा में ही था।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 50–50 अध्यापकों के स्थानान्तरण की बात भी उठी थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड़ जी, स्थानान्तरण की बात तो आती ही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

माननीय सिंघल जी ने अशासकीय विद्यालयों की बात की है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने कहा कि 900 विद्यालय हवा में हैं, तो आप कह दीजिये कि आप उन्हें नहीं खोलेंगे, आप मजाक क्यों बना रहे हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सीरियस है और संवेदनशील है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, साक्षात्कार के बारे में कहा गया तो निश्चित रूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया स्थगित हुई है, इसकी तुरन्त व्यवस्था करके उसे खोल दिया जायेगा। जहां तक सी०बी०एस०ई० पैटर्न की बात है तो वह तो 2 साल से लागू है और इसके हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट में लागू करने की बात है तो इसमें हम यह व्यवस्था करेंगे। पी०आर०डी० जवानों की बात माननीय माहरा जी ने कही है कि उन्हें सिविल पुलिस का दर्जा दिया जाय तो वह तो अभी सम्भव नहीं है, लेकिन हम यह प्रयास करेंगे कि जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनके कौशल का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, जनपद चम्पावत में 100 सीटें विशिष्ट बी०टी०सी० की खाली पड़ी हैं और 30 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको पहली सूची में ले लिया गया था वह ओ०बी०सी० और अनुसूचित जाति के हैं और दूसरी सूची में उनको निकाल दिया गया क्योंकि उनके रिजल्ट आने तक विज्ञप्ति दोबारा हो गई थी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितनी सीटें खाली हैं ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, 100 सीटें खाली हैं और पहली सूची में उनको ले लिया गया था, दूसरी सूची में उन्हें नहीं लिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी तक 3 जिलों में इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, पौड़ी जिले में 636, चमोली जिले में 254 और रुद्रप्रयाग में 86 हैं, आपके चम्पावत जिले में 349 हैं और 349 की 349 भरी जायेंगी। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मैं आपसे पर्टीकुलर निवेदन करना चाहता हूँ, हम्बली के साथ। .....

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निवेदन तो अलग से करना चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, अलग से निवेदन करने की बात तो ठीक है, मैं तो यह कह रहा हूँ कि 100 सीटें सम्भवत में विशिष्ट बी0टी0सी0 की खाली हैं उसमें 30 ओ0बी0सी0 और अनुसूचित जाति की है और पहली सूची में उनको ले लिया गया था लेकिन दूसरी सूची में उनको निकाल दिया गया है। क्योंकि विज्ञप्ति के बाद उनका रिजल्ट आया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह तो एक प्रक्रिया है कि विज्ञप्ति की जायेगी तो उसका रिजल्ट भी आयेगा ही, जब विज्ञप्ति हुई, फार्म भरे गये और चयन की प्रक्रिया गतिमान है तो अब यह कैसे सम्भव हो सकता है। मान्यवर, अगली विज्ञप्ति में उन्हें शामिल कर लिया जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, या तो मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। उनकी सारी फारमैलिटी पूरी हो गई है। उन्हें सूची में शामिल कर लिया गया था, केवल यह रहा कि दो दिन में विज्ञप्ति जारी हो गयी। मेरा निवेदन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के 23 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सूची से अलग कर दिये गये। उन्हें इस सूची में शामिल कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है। जितने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बचेंगे, बाद में उसे हम मांगेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मेरी बात शायद माननीय मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको पहली सूची में ले लिया गया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो सूची निकाली गई है, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि केवल उनकी मार्कशीट नहीं लगी है। ऐसे एक–डेढ़ हजार फार्म हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, मैं एक जनपद की बात कर रहा हूँ। जहां 100 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। वहां 23 अध्यापकों (व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चम्पावत में 23 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओ0बी0सी0 और एस0सी0 के हैं आप दूसरी विज्ञप्ति निकालेंगे तो भी उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। उनके फार्म जमा हो गये हैं रिजल्ट चार दिन बाद निकला तो उसमें उनका क्या कसूर ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ऐसे अनेक मामले हैं। (व्यवधान) दुबारा की विज्ञप्ति में हम उनको ले रहे हैं। एक मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दें कि बाहर के जनपद से लेकर तो उस जनपद में नहीं डालेंगे। मान्यवर, जो पहले की व्यवस्था है, उसे ही फॉलो किया जायेगा। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कोई नयी व्यवस्था नहीं बनायी जायेगी। जो पूर्व सरकार की व्यवस्था है, उसे लागू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सर्वशिक्षा अभियान में, सब का बता देता हूँ। हमने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 10.50 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव किया है। राजकीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में प्रयोगशाला के निर्माण के लिए रु0 7 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, इसमें कितने विद्यालय बनेंगे ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो बजट में प्राविधान किया गया है, वह मैं बता रहा हूँ राजकीय महाविद्यालय में भवनों के निर्माण आदि के लिए 90 लाख की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, माननीय सदस्य तस्लीम जी ने बताया, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि वहाँ

पर जूनियर हाईस्कूल में अध्यापक इस महीने में भेज दिये जायेंगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने शिक्षा बजट में सब कुछ शामिल करने का प्रयास किया है, जिसकी आवश्यकता थी। मैं खेल मैदानों के बारे में बताना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा चाही थी। हल्द्वानी और देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम प्रस्तावित हैं, हम निश्चित रूप से इन्हें बनायेंगे। जो 11 जनपद इन्डोर स्टेडियम हैं इसमें व्यवस्था है। ब्लाक और पंचायत स्तर पर भी हमने खेलों को जिला योजना में शामिल किया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जिन स्कूलों में 400 बच्चे हैं और वहाँ पर एक अध्यापक है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहाँ पद रिक्त हैं वहाँ अध्यापक चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 11639853 हजार (एक हजार एक सौ तिरसठ करोड़ अट्ठानवे लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग

श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 514355 हजार (इक्यावन करोड़ तैंतालीस लाख पचपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्रम विभाग के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि श्रम जैसा कि श्रम विभाग का उत्तराखण्ड निर्माण से पहले न के बराबर था और आज उत्तराखण्ड के अन्दर 6 तरह के नयी फैक्ट्रियाँ, नये कारखाने लगे हैं, यह उत्तराखण्ड के लिए अच्छे संकेत हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड के अन्दर वर्तमान में कारखानों की कुल संख्या 1425 है जिसमें 1023 कारखाने पूर्व के हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग ने एक जी0ओ0 जारी किया है श्रम विभाग के अन्तर्गत 70 प्रतिशत भागीदारी कर्मकारों की होगी।

मान्यवर, उसमें बहुत सीमा तक हम सफल हो रहे हैं और वर्तमान में उद्योग एवं कारखाने उत्तराखण्ड के अन्दर लग रहे हैं इन कारखानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो उद्योग हमारे राज्य में लगे हैं, हीरो होंडा, टाटा, बजाज आदि में हमारे प्रदेश के श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग वर्तमान में 62 प्रतिशत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इनकी भागीदारी 70 प्रतिशत तक हो जायेगी। मान्यवर, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम अधिनियमों एवं शासन की विभिन्न हितकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण किया जा रहा है। बाल श्रमिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए पिछली सरकार द्वारा जो 10 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है, हमारी सरकार द्वारा उसको बढ़ाकर 16 लाख रु0 की गयी है। उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास की भी व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की जा रही है, मान्यवर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण हेतु हमारी सरकार द्वारा 20 लाख रु0 का परिव्यय रखा गया है। मान्यवर, महिला श्रमिकों के सर्वेक्षण व चिन्हीकरण का कार्य भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है और उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। मान्यवर, औद्योगिक बाहुल्य क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना के लिए हमारी सरकार द्वारा 20 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए रैनबसेरा और मिलन केन्द्रों की स्थापना हेतु हमारी सरकार द्वारा 10 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में दो जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग ऐसे हैं जिनमें अभी तक कारखानों का निर्माण नहीं हो पाया है हमारी सरकार आने वाले दिनों में इन दो जिलों में कारखानों का निर्माण करने का प्रयास करेगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त कुछ योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा भी बजट का प्राविधान है जैसे बंधुवा श्रमिकों के उत्थान एवं पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बजट का प्राविधान रखा गया है हमारी सरकार इनका सर्वेक्षण करेगी तथा उनके उत्थान के लिए हर संभव केन्द्र से मदद अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दे रहे हैं इसी तरह ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत भी जो हमारे अनुसूचित

जनजाति के क्षेत्र हैं जैसे मुनस्यारी, पिथौरागढ़, जोशीमठ आदि बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां के लिए भी हमने केन्द्र सरकार के लिए प्रस्ताव बनाया है। मान्यवर, ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के बच्चों को कापी, किताब आदि स्टेशनरी के वितरण हेतु दो लाख रु0 व्यवस्था की गयी है तथा कम्प्यूटर को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है तथा इनके बच्चों के विवाह तथा बीमारी, कोई आपदा उनके ऊपर आ जाय उसके लिए 5 लाख की पहली बार व्यवस्था की है जो हमारा बजट है मैं बताना चाहूँगा कि कार्य योजना के आयोजनेतर पक्ष में व्यय हेतु 489.24 लाख का प्रस्ताव रखा है आयोजनागत मदों के श्रम एवं संगठन में आवास, भूमि क्रय हेतु, श्रमिक कल्याण हेतु राज्य सेक्टर में 911 लाख, केन्द्र पुरोनिधानित योजना में 10 लाख, एस0सी0पी0 में 63 लाख, ट्रबल सब प्लान में 39 लाख कुल धनराशि 1023 लाख का बजट प्रस्तावित किया है। मान्यवर, प्रशिक्षण संस्थानों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, यह जो प्रशिक्षण संस्थान है इनकी बहुत बिगड़ी हालत है। इनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भवन नहीं है। जिस तरह से आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का है, नये-नये ट्रेडों का युग है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ष 2007-08 में 18 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का प्राविधान है। इसके साथ ही सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। सात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, इस योजना हेतु रु0 चार करोड़ 20 लाख रु0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। रा0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार के मानक के अनुरूप भवन निर्माण कराये जाने के लिए वर्ष 2007-08 में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2007-08 के बजट में रु0 20 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मान्यवर, अनौपचारिक क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की दक्षता का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करने की योजना प्रस्तावित है इस योजना हेतु रु0 60 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए प्लेसमेन्ट सेल एवं प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव हमारी सरकार द्वारा किया गया है जिसमें रु0 1 करोड़ 25 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्यवस्था की गयी है। जिसमें 88 प्रतिशत केन्द्र सरकार मदद करती है और 12 प्रतिशत राज्य की ओर से राज्यांश दी जाती है।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यहाँ पर कहा कि सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं तो अगर बजट में देखा जाए तो वह ऊँट के मुँह में जीरे के समान हैं अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की बात कही है उसके लिए मात्र 10 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है जैसा कि नाम से ही लगता है कि सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस जो शब्दावली इस्तेमाल की गयी है उसके लिए 10 लाख रु0 बहुत कम है। अभी हाल में फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में कुशल श्रमिकों की इतनी कमी है कि देश की विकास दर प्रभावित हो सकती है।

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि प्रदेश में कुल 1442 कारखाने स्थापित हैं, जिनमें एक लाख श्रमिक कार्यरत हैं, विभाग की उपलब्धियों की बात करने जा रहे हैं, जो विभाग में एक लाख श्रमिक कार्यरत हैं उनके अगेंस्ट विभाग कहता है कि लाभ दिया है, बोनस से लाभान्वित किया है और बोनस से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 19 हजार 6 सौ है, एक तरफ विभाग के कार्यकलापों की उपलब्धि में दिखाया गया है कि 2001 में 46 से 31 श्रमिक चिन्हित हैं जबकि वह मात्र 8 हैं और दूसरी तरफ इनकी संख्या पुनर्वास में 2001 से 2007 तक 853 है तो ऐसे विरोधाभासी आंकड़े इसमें प्रस्तुत किये गये हैं। मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इसका अध्ययन नहीं किया है। विभिन्न श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए कहा गया है जिसमें 3331 मामले दायर हुये हैं, जिनका निस्तारण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग की बात हुई थी तो हमारे पास 12 हजार 3 सौ पद हैं उनके परीक्षण की व्यवस्था है, तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शामली सराकोट वाशोट में स्वीकृति प्रदान की तो उत्तर आया कि उस विकासखण्ड में पहले से आई0टी0आई0 है, तो जहाँ जनसंख्या एक लाख से अधिक है तो उनके लिए कह रहे हैं कि एक आई0टी0आई0 पहले से स्वीकृत है और दौला आई0टी0आई0 की बात कर रहे हैं जिसकी दूरी 60 किलोमीटर है, माननीय जीना जी, वहाँ से हैं, सरायखेत में है तो उसकी दूरी 60–65 किलोमीटर से ज्यादा है। मान्यवर, आज रोजगार की मांग है, पैरामेडिकल में नितान्त आवश्यकता है, यहाँ तक शंका व्यक्त की गई कि अगले वर्षों में स्वास्थ्य सेवायें चरमरा सकती हैं, उनके अभाव में कुछ नहीं है, हमारे पास इन्डस्ट्री लग रही हैं उनमें हमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि की जरूरत है, उद्योग में इलेक्ट्रिशियन, लाईनमैन आदि छोटे–छोटे पदों पर लोग जा सकते हैं, प्रशिक्षित भी करना है तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक से ज्यादा आई0टी0आई0 नहीं खोल सकते हैं और बात की जा रही है इन्डस्ट्री और मैनेजमेण्ट खोलने की और उसके लिए 10 लाख की व्यवस्था की जा रही है जो कि नाकाफी है। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि यह जो बजट है वह हमारी जरूरतों के मुताबिक बहुत कम है। जैसे माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहा कि हमारे जो रोजगारों की जरूरत है उसको पहुँचा नहीं रहे हैं, हम

आँखें मूँद कर बैठे हैं, आप इण्डस्ट्री और मैनेजमेण्ट के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं तो इसमें क्या-क्या करेंगे, यह आप और हम सब समझ सकते हैं और आप इसके लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे बहुत लोगों को काम नहीं मिल सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। मान्यवर, जब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 10 लाख रुपये का प्राविधान किया है तो कैसे इस प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने के प्रति यह सरकार गम्भीर है। हम यह कैसे मानें, जबकि यह राशि बहुत ही कम है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मानमीय अध्यक्ष जी, बहुत ही संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी से एक-आध बातें जानना चाहता हूँ। श्रम विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और खास तौर से जहां नयी इन्डस्ट्रियां लग रही हों, जहां नया श्रमिक आया है। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल वगैरा में क्या आपने इन तीन महीनों के कार्यकाल में बाइंडेड लेबर, चाइल्ड लेबर की कोई खास बात आपके पास आयी है। मान्यवर, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में जहां 62 प्रतिशत उत्तरांचल का लेबर श्रमिक है, इसमें बी0एच0ई0एल0 भी सम्मिलित है यहां पर हजारों श्रमिक ओ0एन0जी0सी0 के भी शामिल हैं। मान्यवर, जो नयी फैक्ट्रियां लग रही हैं। इन फैक्ट्रियों में ठेकेदारी प्रथा चल रही है वहा पर आपके निर्देशों के बावजूद भी चल रहा। मान्यवर, यहां पर उड़ीसा, बिहार या अन्य राज्यों से लोग मजदूरी कर रहे हैं यहां पर इन मजदूरों को लगभग 800 या 1000 रु0 प्रतिमाह दिया जा रहा है और इसके एवज में इनसे लगभग 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है, क्या इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, श्रम और सेवायोजन विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, यह रोजगार से सम्बन्धित विभाग है और समाज के जरूरतमंदों के बारे में योजना बनाना, इस विभाग के पास दायित्व है। जिसे समाज के अन्तिम व्यक्ति कहा जा सकता है। बंधुवा श्रमिक, बाल श्रमिक जिस तरह से माननीय निजामुद्दीन ने भी यहां पर कहा। मान्यवर, मैं केवल दो-चार सुझाव माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखूंगा। मान्यवर, जब से प्रदेश में सरकार बनी इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ लेबर लॉज के एनफोर्समेंट के बारे में काफी तेजी से काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन हो रहा है और इन सभी उद्योगों में जो स्थानीय भागीदारी 70 प्रतिशत रोजगार देने का प्रश्न है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में भी कहा गया

है। माननीय श्रम मंत्री जी ने सदन में जो डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, यह उसका जिक्र है। मान्यवर, जहां तक श्रम विभाग के तहत संचालित होने वाले आई0टी0आई0 का सवाल है, इसमें खास तौर से समस्या है। यहां पर बहुत सारी आई0टी0आई0 एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त नहीं है, केवल एस0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त है। मान्यवर, जब तक एन0सी0वी0टी0 की मान्यता नहीं होगी, तब तक इन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि राज्य स्तर पर भी केवल राज्य सरकार की सेवाओं में ही मान्य है। मान्यवर, एन0सी0वी0टी0 की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं उन शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। मान्यवर, ऐसे आई0टी0आई0 संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त बच्चे, आज जिस प्रकार से रोजगार की स्पर्द्धा में देश स्तर पर कहीं खड़े नहीं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इस तरह की सभी आई0टी0आई0 को एन0सी0वी0टी0 की मान्यता दिलाना सुनिश्चित करें।

मान्यवर, उसमें जो कुछ किया जाना है, उसे किया जाय। श्रीमन्, माननीय काजी निजामुद्दीन जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, न केवल उत्तरांचल राज्य में, अपितु पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में बॉन्डेड लेबर लिब्रेट करने के नाम पर बहुत सी योजनाएं चली। उत्तरकाशी ज़िले में, टिहरी जिले में यह योजना चली, उत्तरकाशी जिले के रवांई, मोरी और पुरोला ब्लॉक में, देहरादून जिले के चकराता और कालसी में इनको आइडेंटीफाई करके प्रथम चरण में रिहैब्लिटेट करने का कार्यक्रम चलाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा बॉन्डेड लेबर पर जो स्क्रूटनी की गयी, उसमें जिन परिवारों को बंधुवा से मुक्त किया गया, उनकी क्या स्थिति बनी, उनको ठीक से रिहैब्लिटेट किया गया था नहीं ? उसकी जो स्टेटस रिपोर्ट दी गयी, विशेष रूप से कालसी और चकराता के आंकड़े मेरे पास हैं। दूसरे जनपदों के आंकड़े सरकार के पास होंगे। जो प्रथम आइडेंटिफिकेशन किया गया और जिनका रिहैब्लिटेशन किया गया था, अगले फेज में उनके लिए कार्ययोजना होनी चाहिए थी लेकिन अफसोस विगत 5 वर्षों में बंधुवा मजदूरों को पुनर्वासित करने की जो कार्ययोजना है, वह ठण्डे बस्ते में रही। मेरा अनुरोध है कि बंधुवा मजदूरी आजाद भारतवर्ष के लिए एक कलंक है। ईंट भट्टों में काम करने वाले बंधुवा मजदूरों के बारे में हम सुनते रहे हैं। उत्तराखण्ड के ईंट भट्टों में भी बंधुवा मजदूर बहुत अधिक हैं, इसके बारे में भी एक सर्वे होना चाहिए। श्रीमन्, दूसरी बात, आज इस सदन के माध्यम से आदरणीय पुष्पेश त्रिपाठी जी ने यह प्रश्न उपस्थित किया था, लेबर लॉज के नाम पर, आऊट सोर्सिंग के नाम पर सबने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। तमाम इन्डस्ट्रीज में लोग लगे हैं, सरकार से पूछते हैं जो कहती है कि 70 प्रतिशत लगाए। जी0बी0 पन्त एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री में, सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं में इनको वॉइलेट किया जा रहा है। सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर,

आऊट सोर्सिंग के नाम पर ठेकेदारी प्रथा को ही आज भी बढ़ावा मिल रहा है। कहा जाता है कि सभी लोग जो इनमें काम करते हैं, उनको ई0पी0एफ0 देते हैं। लेकिन इन्डस्ट्री इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानती है, ठेकेदार के कर्मचारी मानती है। अधिष्ठान इनको अपना कर्मचारी नहीं मानता है। यहां पर लेबर लॉज को वॉइलेट किया जा रहा है। यदि किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, वह विकलांग हो जाता है तो इन्डस्ट्रियल लेबर लॉज के तहत उसको मुआवजा नहीं मिलता। माननीय मंत्री जी ने मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। माननीय श्रम मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि विशेष रूप से जो हमारे डी0एल0 सीज और ए0एल0 सीज हैं, इन तमाम इन्डस्ट्रियल एरिया में सर्वे किया जाना चाहिए। इनके साथ कॉन्ट्रेक्ट होना चाहिए कि यहां के लोगों को अपने कारखाने में काम दें और आऊट सोर्सिंग के नाम पर जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, उस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी, कृपया समाप्त करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, जो हमारे सेवायोजन कार्यालय हैं, वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय से हैं, इसलिए इसे गम्भीरता से लेना होगा। श्रीमन्, इन सेवायोजन कार्यालयों में हमारे जितने भी बेरोजगारों का इनरोलमेंट होता है, समय-समय पर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि 10–10, 15–15 वर्षों तक इनका नम्बर नहीं आ पाता है। उनको समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए और इनकी ट्रेनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जिस प्रकार से बाजार की जो मांग होती है, उसी प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो भी प्राइवेट इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें ——।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय महोदय जी, मेरा सेन्टेंस पूरा होने दें। मान्यवर, जो भी प्राइवेट इन्डस्ट्रीज हैं, उनके लिए यह निर्देश होने चाहिए कि वह सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार देना सुनिश्चित करें। इससे उन पर सरकार का भी अंकुश रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कारखाने की परिभाषा क्या है ? दूसरा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 13 जनपदों में से 2 जनपद ऐसे हैं, वह शायद गढ़वाल के जनपद हैं, जहां पर कारखाने नहीं लगे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ और चम्पावत में कौन-कौन से कारखाने लगे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय रणजीत रावत जी, आपके कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने आपको सहयोग दिया है, उन पर कोई बिन्दु रह गये हों तो आप उन्हें जोड़ दें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, जैसा कि हमारे कई विद्वान साथियों ने सर्विस प्रोवाइडर की बात की है, यह सही है कि उनके द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन कानून का वायलेशन तो सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। इसका उदाहरण यह है कि जो हमारा विधायक निवास है वहां पर कार्य करने वाले लोगों को मात्र 1800 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है और उनकी ई0पी0एफ0 और अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से सरकारी क्षेत्र में भी इसका वायलेशन किया जा रहा है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किये हैं, मैं उनके उत्तर में बताना चाहता हूं कि सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में देहरादून और काशीपुर का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपये का खर्च आता है और यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जाती है, जिसमें 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है और 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है। अगर आप कहते हैं कि इनको बंद कर दिया जाय तो मैं क्या कर सकता हूं ? अभी 3 जगहों पर हमने इस योजना को लागू किया है और 7 और जगहों पर इसको करने का प्रोविजन हमारी सरकार ने किया है। माननीय सदस्य ने पूछा था कि श्रमिकों का प्रतिशत जो मैंने 62 प्रतिशत बताया है उसमें बी0एच0ई0एल0 भी है या नहीं तो मैं बताना चाहता हूं कि यह पूरे उत्तराखण्ड का सर्वे है और इसमें बी0एच0ई0एल0 भी सम्मिलित है, यह टोटल का 62 प्रतिशत है। यह 62 प्रतिशत है और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि इसका पूरा 70 प्रतिशत किया जाय ताकि यहां कि इन्डस्ट्रीज पर यहां के ही लोगों का वर्चस्व रहे।

श्री अध्यक्ष–

बाल श्रमिकों के बारे में भी माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की थी।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो भी श्रमिक काम करे उसे 3000 रुपये कम से कम देने का प्रावधान है। बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो कानून है, जो नियम हैं, बाल श्रम एक अपराध है और यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या आपके कार्यकाल में भी बाल श्रम के कुछ मामले आये हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऐसे 8 मामले हमारे पास आये हैं, जिनको हमने इनरोल किया है। जो भी डी0एल0सी0 और ए0एल0सी0 के माध्यम से उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही प्राविधान में होगी, हम सख्ती से उन पर कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, बंधुवा मजदूरों के बारे में बताना चाहता हूँ जो संविदा पर रखे जाते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता है। उनको जब चाहे फैक्ट्री का मालिक निकाल सकता है। जब तक यह प्रथा लागू रहेगी तब तक उनके भविष्य के साथ कुठाराघात होता रहेगा, लेकिन यदि 3000 से कम वेतन कोई देता है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब तो सब बात आ गई है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, एन0सी0बी0टी0 के बारे में कहा गया। एन0सी0बी0टी0 के जो मानक हैं, एन0सी0बी0टी0 उन्हें पूरा करेगी। इसके मानक दिये गये हैं। जब तक मानक पूरे नहीं किये जायेंगे तब तक उसे मान्यता नहीं मिलेगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि मानक जल्द से जल्द पूरे किये जायें। (व्यवधान) मान्यवर, कारखाना लगाना उद्योग विभाग का काम है, वह कहां लगेगा यह लेबर मिनिस्ट्री का काम है। जो श्रम कानून हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रदेश में 13 जनपदों में 2 जनपद ऐसे हैं, जिनमें कारखाने नहीं लगे हैं। 11 जनपदों में पूछना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ और

चम्पावत में कितने कारखाने लगे हैं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 13 जनपदों में से 11 जनपदों में कारखाने लगे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ और चम्पावत में कितने कारखाने लगे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसका जवाब भी उद्योग विभाग ही देगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ और चम्पावत में कौन से कारखाने लगे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी हमारे पास उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत यूनियनें (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, पिथौरागढ़ माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का क्षेत्र है। वहां कारखाने लगे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से कारखाने लगे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में 503, नैनीताल में 118 और चम्पावत में 11 कारखाने लगे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 514355 हजार (इक्यावन करोड़ तैंतालीस लाख पचपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 463097 हजार (छियालीस करोड़ तीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन के माध्यम से एक छोटी सी धनराशि की माँग का प्रस्ताव किया है और यह हम सब भली–भाँति जानते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र का भावनात्मक ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में प्राचीन काल से बहुत विशिष्ट महत्व रहा है, भिन्न–भिन्न लोगों और संस्कृति के तौर तरीकों के सम्बन्ध में पर्यटन के माध्यम से प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और उत्तराखण्ड राज्य जिसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको धार्मिक पर्यटन के रूप में पौराणिक मान्यता प्राप्त है। जिस राज्य के अन्दर चार धाम स्थित हों, जिस राज्य में गंगा–यमुना के उद्गम स्थल स्थापित हों, जिस राज्य में सिक्ख समुदाय का हेमकुण्ड, नानकमत्ता और रीठा साहिब स्थापित हों, जिस राज्य में मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थल पिरान कलियर स्थापित हो, जिस राज्य के अन्दर कैलाश मानसरोवर के लिए जिस राज्य से रास्ता गुजरता हो। इसके धार्मिक पर्यटन का जिक्र आज से 1600 वर्ष पूर्व लिखा गया। स्कन्द पुराण के मानस खण्ड में इसका जिक्र किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमन्, इस सम्पूर्ण राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक संसाधनों को उचित रूप से स्थापित करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। (व्यवधान)

मान्यवर, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। इस राज्य का नाम पर्यटन के रूप में राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए सरकार दृढ़संकल्प है अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के लिए कुछ कार्य किये गये और अन्य कार्यवाही संचालित हैं। मान्यवर, इसके लिए सरकार एक नीति बनाने जा रही है लेकिन आज जो आंकड़ों पर अगर हम देखें तो मान्यवर, प्रत्येक वर्ष पर्यटन में बढ़ोत्तरी होती जा रही है जो राज्य की स्थापना से लेकर आज तक। मान्यवर, पर्यटकों को मूल–भूत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर आधुनिक सुविधायुक्त 44 पर्यटन सुविधा/पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं और राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों पर सुगमता से पहुंचने के लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप स्वरूप में रज्जुमार्ग स्थापित किये जायेंगे। प्रदेश के चारधाम यात्रा

मार्गों पर पर्यटकों व यात्रियों के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाये जाने हेतु राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त अन्य से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। देहरादून में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित होटल प्रबन्धन संस्थान में छात्रों की छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में रू0 एक करोड़ का प्राविधान किया जा रहा है और पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत उच्च श्रेणी का होटल/कन्वेन्शन सैन्टर के निर्माण हेतु शीघ्र ही अनुबन्ध किया जा रहा है जिससे पर्यटकों को इससे भी लाभ मिलेगा। मान्यवर, पर्यटकों को अच्छी सुविधायें देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और पर्यटक हर वर्ष छुट्टी के समय अपने धार्मिक स्थलों की ओर आते हैं। मान्यवर, पर्यटकों में असुरक्षा की भावना पैदा न हो इसी को ध्यान में रखकर पर्यटन पुलिस की स्थापना की गयी है। मान्यवर, पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन कान्फ्रेंस, सेमिनार, मीट में विभाग द्वारा भाग लिया जायेगा एवं विभागीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया प्लान चलाये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में विभागीय विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा। मान्यवर, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं।

मान्यवर, यदि कहीं पर किसी पर्यटक के साथ कोई हादसा हो जाता है तो पर्यटन पुलिस उसकी सहायता करे, पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाए। उसकी मदद करे और मार्गदर्शन प्रदान करें। मान्यवर, देखने में यह आता है विशेषकर ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर बाहर के पर्यटक ज्यादा आते हैं और उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है वहीं पर अनेकों बार पर्यटक ठगी का शिकार बनता है। इसलिए हमारा यह मानना है कि पर्यटन पुलिस को व्यवस्थित किया जाए। हमने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है और इसके लिए धनराशि की मांग की है। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से चलायी जा रही वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को और अधिक मजबूत करने के लिए कार्य किया है इसी को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय बेरोजगार नव-युवकों को पर्यटन क्षेत्र में, उद्योग में आकर्षित करने के लिए हमने 3 लाख 75 हजार की सब्सिडी की धनराशि को बढ़ाकर रू0 5 लाख अधिकतम कर दी है। और इसी के साथ-साथ ऋण की सीमा हमने बढ़ाकर पहले जो रू0 15 लाख था अब रू0 20 लाख कर दी है जिससे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को इस क्षेत्र में और अधिक लाभ मिल सके और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। और इसके साथ ही साथ स्थानीय बेरोजगार पर्यटन की तरफ आकर्षित हों। इसके

अलावा विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए योजना बनाने का निर्णय लिया है। मान्यवर, हमने धनाढ्य पर्यटकों के लिए उचित आवासीय व्यवस्था सुविधा के उद्देश्य से एक फाईव स्टार होटल की शुरूआत की जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत टपकेश्वर के निकट पर्यटन विभाग की 10 एकड़ भूमि पर निर्माण हेतु अनुबन्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत हर साल लगभग 7 करोड़ रू0 की आय होगी। प्रदेश के चार धाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों व यात्रियों के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाए जाने हेतु राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त जे0बी0आई0सी0 से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। मान्यवर, अद्‌भुत प्राकृतिक दर्शन करने के लिए नये रोपवे का निर्माण हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जनपद के एक गांव को पर्यटन गांव के रूप में गोद लेने की योजना है जिसको पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जायेगा। उसमें उस जनपद की, क्षेत्र की, गांव की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया जायेगा।

मान्यवर, इसी तरह से पर्यटन के विकास के लिए हमने हर जनपदों की दो मिलों को गोद लेने का निर्णय लिया था, हर जिले में कुमाऊँ मण्डल में कुमाऊँ महोत्सव और गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल महोत्सव हम सृजित करेंगे और पूरे देश में प्रचारित करेंगे ताकि हमारे उत्तराखण्ड की इस महान संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आ सकें, इस प्रकार से हम बहुत महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहे हैं, योजना बहुत हैं, चूँकि छोटी सी धनराशि की मांग की है और मैं सम्मानित सदन से आग्रह करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें, आप इतिहास बना दें बिना कटौती के प्रस्ताव को लाये, सम्मानित सदन के अन्दर उपस्थित कोई भी माननीय सदस्य मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि पर्यटन के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता है, इसलिए एक रुपये की धनराशि कर दी जाए वाले विषय को छोड़कर 46 करोड़ 30 लाख 97 हजार का प्रस्ताव स्वीकृत कर दें। धन्यवाद। माननीय गुनसोला जी, आप सज्जन हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप बतायें कि आप सज्जन हैं तो दुर्जन कौन है ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा पर्यटन को उद्योग का स्वरूप प्रदान करने के लिए और इस उद्योग से स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के सम्बन्ध में जहाँ एक ओर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में 3 लाख 75 हजार से बढ़ाकर 5 लाख दी गई है और उसकी राशि बीस लाख तक कर दी गई है और होटल, मोटल, रेस्ट्रा और तमाम चीजों से स्थानीय नौजवानों को उससे जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुतायत में देखा गया है और सरकार से भी हम जानना चाहेंगे कि फाईव–स्टार, टू–स्टार, थ्री–स्टार के आज तक कितने ऐसे उद्यमी और उत्तम बेरोजगार नौजवानों के अलावा चलाया जा रहा है, क्या उसकी सूची या जो उसकी स्थिति होगी उसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने बजट में इंगित करेंगे कि स्थानीय बेरोजगार नौजवानों ने मोटल, टू–स्टार, फाईव–स्टार को चलाने की स्थिति में अपने को रखा है, आज आवश्यकता इस बात की है, माननीय मंत्री जी यह पर्यटन प्रदेश है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक सम्पदाओं का अम्बार है, मैं समझता हूँ शायद ही यह देखने का सौभाग्य मुझे मिले। मान्यवर, विगत वर्षों में पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने के लिए हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर कई ऐसे देशों में पर्यटन टूरिज्म रोड शो किया गया है। इन देशों की एक लम्बी फेहरिस्त है। यह शो स्विटजरलैंड, इग्लैंड, हालैंड आदि देशों के अलावा भारत में भी किया गया। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस रोड शो की क्या उपलब्धियां हैं ? क्या हमारे लोगों ने विदेशों में जो रोड शो में भाग लिया था, उससे प्रदेश को एवं जनता को क्या फायदा हुआ ? साथ ही जब यह प्रदेश अपनी स्थानीय सम्पदाओं के साथ इतनी छटा को बिखेर रहा है, जैसाकि मैं समझता हूँ, इसको बेहतर ढंग से सुसज्जित करके हमारे नौजवानों को गाईड बनाकर पर्यटन को उपलब्ध कर सकते हैं। मान्यवर, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल गंगा रिवर्स पर ही राफ्टिंग में ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्य जगहों पर राफ्टिंग की सम्भावना तलाशनी चाहिए, इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के ज्यादा अवसर मुहैया होंगे। साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत माउंट एवरेस्ट एवं अन्य चीजें भी आ जायेगी। मान्यवर, इन साहसिक पर्यटन विधाओं का परीक्षण कराया जाय, यहां पर ग्लाइडिंग की सम्भावनाएं हैं, इससे भी प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। माननीय मंत्री जी, हमारे प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहां पर मैदान हैं, बुग्याल हैं, मैं समझता हूँ कि यह दुर्लभ चीजें दुनिया के किन्हीं देशों में ही यह होता है। मान्यवर, पुरानी विधानसभा में जो माननीय सदस्य स्विटजरलैंड गये थे, क्योंकि वहां पर दो–तीन रोड शो किये गये थे, इस रोड–शो को देखकर शायद उन्हें लगा होगा कि स्विटजरलैंड से बेहतर क्षेत्र हमारे प्रदेश में उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष–

आप गये थे या नहीं ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, अब आपके साथ ही जायेंगे। मान्यवर, प्रदेश में जो मनोरम क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करके एक आधार तैयार किया जाय, प्रदेश में नैसर्गिक सम्पदाओं की कमी नहीं है, इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। मान्यवर, जहां प्रदेश को दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से पन्तनगर तक हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, इस विस्तार के साथ–साथ अगर हमारी सरकार हल्की बसों, टैक्सी सर्विस के रूप में अपने इस नये प्रदेश की सुविधाओं तक पहुचाने का काम करे और प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। मान्यवर, यदि हम नेशनल टूरिज्म को आधार मानकर विदेशों में अपने यहा के पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं तो हमारे जो गोल्फ के मैदान लगभग 18 और 19 के बीच हैं, इनको विकसित कर सकते हैं और इससे विदेशी आय अर्जित होगी। मान्यवर, सरकार इस पर तत्पर दिखाई देगी तो आने वाले पांच वर्षों में हमें यह स्वयं देखने का अवसर मिलेगा।

मान्यवर, साथ ही हमारा यह मानना है, जैसे हमारे साथी लोग ऑस्ट्रेलिया गये, वहां पर सिडनी को देखा, मेलबर्न को देखा। तमाम अन्य देशों में भी हमारे साथी लोग गये। वहा पर उन्होंने देखा कि समुद्र से घिरा हुआ एक शहर है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में एक शहर है। कई अन्य जगह देखा कि समुद्र के किनारे शहर बसा हुआ है। हमारे पास उदाहरण के रूप में टिहरी की 44 किलोमीटर की लेक है। उसका एक मास्टर प्लान आपके द्वारा तैयार कर लिया जाय। उस मास्टर प्लान के तहत ही इसका सुनियोजित विकास हो, वहां पर दो–तीन शहर बसा दिये जाएं। वहां पर वाटर स्पोर्टिंग के लिए देश के ही नहीं विदेश के लोग भी आयेंगे। विदेश के लोग कहेंगे कि हम आपके यहां टिहरी शहर में वाटर स्पोर्टिंग के लिए आना चाहते हैं। ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो जाय। यह एट्रेक्शन हमारे लिए वैभूति का खजाना लेकर आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टिहरी में वाटर स्पोर्टिंग न होने से वहा की लैण्ड हैपेजर्ड हो जाएगी, इससे आपकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, साथ ही तमाम सर्किटों का यहां पर जिक्र किया गया। मेरा तो मानना है कि नये सर्किटों को स्वीकृत करने से पहले गत वर्ष के जो सर्किट स्वीकृत हैं, उनके बारे में सरकार से पूछें कि वह कहा पर हैं, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ या नहीं ? इससे भी आगे एक कदम जाना पड़ेगा। भारत सरकार ने तीर्थाटन के लिए चार धाम और तमाम नगरों को जोड़ते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में 212 करोड़ रुपये की योजना दी है। केन्द्र सरकार की यह वित्त पोषित योजना चार धाम और अन्य पर्यटक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए दी गयी है। इसमें एक–एक फेज करके पैसा निर्गत किया जा रहा होगा। जो 18 करोड़ की राशि केन्द्र की वित्त पोषित अन्य योजनाओं के लिए है, उसके साथ 212 करोड़ की भी मॉनीटरिंग कर

ली जाय। इसके लिए एक मॉनीटरिंग सेल बना लें। सही समय पर ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ पर्यटकों को भी नहीं मिलेगा और राज्य को भी नहीं मिलेगा। जिस समय अवधि में यह पूरी होनी है, उस समय अवधि में पूरी नहीं होगी तो यह अधूरी रह जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। इसके लिए मॉनीटरिंग जरूरी है। मॉनीटरिंग के आधार पर ही इसको आगे बढ़ा सकेंगे। मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ कि यह वैभूति का खजाना है। मान्यवर, तमाम माउन्टेन पर चढ़ने के लिए आप हैलीकॉप्टर टैक्सियां दे रहे हैं। रूट बेहतर बना रहे हैं। अनेक स्थानों पर रोपवे बना रहे हैं, इसे पैरलल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। तीर्थाटन के बारे में रामबाड़ा से केदारनाथ की बात है, यमुनोत्री की बात है, नीलकंठ की बात है, तमाम योजनाएं इस दस्तावेज के अन्दर हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी योजनाओं में तमाम चीजों का पालन कर लेना चाहिए, ये योजनाएं पूर्व में भी दी गयी। मैं समझता हूँ कि देहरादून से जार्ज एवरेस्ट, जार्ज एवरेस्ट से आगे मसूरी और मसूरी से दो कदम आगे बढ़ाकर इस रोपवे की योजना को कैम्पटी फाल तक बढ़ा दिया जाए, अभी तक यहां पर्यटकों का आवागमन रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। मान्यवर, इससे जो पार्किंग की और जो तमाम समस्यायें हैं, उससे निजात मिल सकेगी और यह पर्यटकों के लिए एक नया अट्रेक्शन भी होगा। लेकिन दयारा बुग्याल और जार्ज एवरेस्ट की क्या योजना है, इसको क्या सरकार पब्लिक प्राइवेट योजना के अन्तर्गत विकसित करेगी या सरकार अपने स्तर पर ही इसका विकास करेगी या इसे एक महायोजना के तहत बड़ी कम्पनियों से ग्लोबल टेंडर लेकर विकास करेगी ? अभी आपने इसमें इंगित किया है कि 10 करोड़ की लागत से और 7 करोड़ की आय की और इतने बड़े मुनाफे की योजना सरकार की है, 164 कमरों के इस फाइव-स्टार होटल जो गढ़ी कैंट में बन रहा है, यह मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आता है और मैं भी चाहूंगा कि यह इसी कार्यकाल में, 5 साल में बन जाये। इसके बनने से 7 करोड़ का लाभ सरकार को मिलेगा, इसको नेशनल लेबल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेबल पर इसके टेंडर किये जाने चाहिए।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, कृपया आप सीमित करें, हम सब जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर अगर दो घंटे, चार घंटे की भी चर्चा की जाय तो वह कम ही होगी। तो सारी बातों को आप कम शब्दों में भी सीमित कर सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह दस्तावेज, दस्तावेज ही न रह जाये, इसलिए आप सभी लोगों से सीखने का

प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान का खजाना नहीं है। हम तो इससे आप लोगों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, आज हम ऊर्जा प्रदेश की बात करते हैं और तमाम तरह के प्रदेश की बात करते हैं तो हमारा प्रयास यह भी होना चाहिए कि हम इस राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करें। क्योंकि पर्यटन ही एक ऐसा माध्यम है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इफ्रास्ट्रक्चर बना कर हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आज लोग मलेशिया, सिंगापुर और हांगकांग जाते हैं, वे वहां इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर टूरिज्म पॉलिसी है उन्होंने टूरिज्म को ही अपने देश की आमदनी का जरिया बनाया है, टूरिज्म खोल दिया गया है।

मान्यवर, इसमें लोक संस्कृति के बारे में भी कहा गया है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कैलाश मानसरोवर से हमारे राज्य के दूसरे सिरे में चले जायं तो आपको हर क्षेत्र में, हर विधान सभा क्षेत्र में कुछ न कुछ लोक संस्कृति मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम हर्बल की बात करते हैं या आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में जगह–जगह पर यह चीजें फैली हुई हैं। उनको आइडेंटीफाई करके उनका विकास करने की जरूरत है। आज आदमी कहीं विदेश यात्रा पर जाता है तो कहता है कि वहां पर हमें हर्बल मसाज मिलेगा तो हमें इसे भी अपने प्रदेश में शुरू करना होगा। हमें पहले इसे खोजना होगा वह हमारे प्रदेश में सभी जगह पर है लेकिन इसे आइडेंटीफाई करने की जरूरत है और फिर इसके लिए मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता होगी। जो मास्टर प्लान बनाने के लिए आपने इसमें इंगित किया है, तो इसमें यह भी प्रोविजन करना होगा कि यह कब तक बनेगा, इसकी समय सीमा क्या होगी। अगर हम इसके लिए लक्ष्य नहीं देंगे कि 2 साल में इसे पूरा करना है तो इसका लाभ हमें नहीं मिल पायेगा। यह काम 5 साल और 10 साल के लिए भी आगे जा सकता है। कहीं ऐसा न हो कि यह हमारी पत्रावलियों में भी दबकर न रह जाये। मान्यवर, सिर्फ इस बात का दुख होगा। हमारा प्रजेन्टेशन थोड़ा सा अन्य प्रदेशों, अन्य देशों की तुलना में कमजोर है। हम अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कहने लगे कि आप मसूरी का कुछ क्षेत्र हमें दे दें, हम उसे विकसित करेंगे। रेत के टीले को तराश कर उन्होंने पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, कहने को तो बहुत कुछ था यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह सामूहिक चुनौती होनी चाहिए। हमारी आर्थिकी इस पर निर्भर करती है, हमारे नौजवानों

के हाथों को रोजगार इससे मिलेगा। मैं परम्परा का निर्वहन कर रहा हूँ। हम विपक्ष में बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक परम्परा का निर्वहन कर रहा हूँ। अपनी ही बात पर एक रुपये का कट मोशन है, उस पर बल देना पड़ता है। उतना ही बल दे रहा हूँ जिससे पर्यटन बढ़ जाये।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं अपने पर्यटन मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि बहुत ही लचीला बजट दिया आपने। ऐसा बजट जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय गुनसोला जी की सारी आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी। एक ऐसा बजट जो इस प्रदेश को निरंतर आर्थिक विकास की ओर लेकर जाएगा। मान्यवर, जब हम अपने भावी या भविष्य के उत्तराखण्ड की कल्पना करते हैं तो कम से कम मेरा मन और मस्तिष्क पर्यटन व्यवसाय की ओर जाता है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसका कि मॉस इम्पैक्ट पूरे क्षेत्र की जो जनता है, पूरे क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। मैं मान्यवर, पर्यटन व्यवसाय पर नहीं बोलूँगा, यह तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं इस बजट की जो आत्मा है, इस बजट का जो स्प्रिट है कि किस तरह से इस बजट को ढाला गया है, मैं सिर्फ उसी पर बोलूँगा। न मैं मसूरी की तारीफ करूँगा, न हेमकुंड साहिब की। मैं क्या हो सकता है उस पर मैं केवल बजट की स्प्रिट कैसी होनी चाहिए, क्या ये बजट उसी स्प्रिट के अनुसार ढाली गयी है उस पर। मेरा मानना है मान्यवर, कि इस पर्यटन व्यवसाय को बनाने में, उत्तरांचल के पर्यटन व्यवसाय को बनाने में आदिगुरू शंकराचार्य जी का, गुरू गोबिन्द सिंह जी का और पिरान–कलियर में हमारे हाजी साहब बतायेंगे। इन लोगों का योगदान है और उसके बाद कुछ हद तक लार्ड कर्जन जो वायसराय थे इण्डिया के और फ्रैन्स स्माइथ, एक्स कमिश्नर थे, इन लोगों का भी थोड़ा–बहुत योगदान रहा है। इन सब लोगों के योगदान से आज हमारे पास बहुत बड़ा व्यवसाय इस प्रदेश में है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मा0 मंत्री जी को कि इन्होंने इस व्यवसाय के लिए इस बजट में इस तरह का प्राविधान किया कि हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म ओरियन्टेड हो गया। हमारे 13 जिले हैं, 13 जिले के 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बजट के माध्यम से यह सोचेंगे कि मैं अपने जिले का टूरिज्म का हेड हूँ। हमारे 13 जिले में 13 एस0पी0 हैं। मा0 मंत्री जी ने कहा कि उत्तरांचल की जो पुलिस है वह मित्र पुलिस है। हमारे मित्र रहें न रहें लेकिन पर्यटकों के मित्र अवश्य होंगे। हमारे जो 13 के 13 एस0पी0 हैं वह पर्यटकों के मित्र बने रहेंगे, आने वाले विदेशी पर्यटकों के मित्र रहेंगे, यात्रियों के मित्र रहेंगे। चाहे हमारे इंजीनियर हों, चाहे डाक्टर हों, चाहे कोई और विभाग के लोग हों सब लोग यही सोचकर चलेंगे कि इस प्रदेश के विकास के लिए हम पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दें।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव दें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मेरे पास सुझाव तो नहीं है, मैंने कहा मैं स्प्रिट पर बोलूँगा। यह व्यवसाय मास ओरिअन्टेड है। टैक्सी वाला पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है, होटल वाला पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है, अमीर आदमी पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है, लेखक पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका उल्लेख सम्भवतः इसमें आया कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मुख्य बात है। पर्यटक आप से पूछेगा कि ह्वाट इज द लॉ ऑफ द लैण्ड, आपके प्रदेश का कानून क्या कहता है कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिले या न मिले। आप यूरोप के 10 देशों में घूमेंगे, आप अपनी गाड़ी से जाइये, टैक्सी से जाइये, किसी भी तरह से जाइये। कोई यह नहीं बोलेगा कि आप अपना लाइसेंस दिखाओ, परमिट दिखाओ। मैं स्वयं होकर आया, लेकिन जब मैं मुनिकीरेती में पहुँचा तो वहाँ पर मुझे रोका गया कि लाइसेंस दिखाइये। बाहर से जो पर्यटक आया, वह अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली से आयेगा, उसको आप मुनिकीरेती के गेट पर पूछेंगे कि आपकी गाड़ी का फिटनेस है, आपके ड्राइवर का लाइसेंस है। चार घंटे तो आप वहीं पर खराब कर देंगे। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पर्यटकों के प्रति क्या उनको सुविधायें देना हमारा काम है, या उनको असुविधा की परिस्थिति में डालने का हमारा काम है। इनर लाइन, विदेशी जब हमारे प्रदेश में आयेगा, हमारे यहाँ विदेशी भी आयेंगे और देशी भी आयेंगे। जब तक खासकर हमारे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को इनर लाइन का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरा गाँव बिल्कुल तिब्बत और चीन के बार्डर पर है, मुझे उस गाँव में जाने से रोका गया। मैं इसका ज्यादा उल्लेख करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मा0 मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे जो तीन बार्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उन जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनर लाइन का ज्ञान होना अति आवश्यक है।

मान्यवर, मैं अन्त में यही बात कहूँगा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए जो विदेशों में सुविधा होती है उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी सुविधा हो और पर्यटकों की असुविधाओं को सरकार दूर करेगी वैसे भी माननीय पर्यटन मंत्री जी बड़े विद्वान हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पर्यटक तो अप्रैल, मई, जून माह में बिना प्रचार–प्रसार किये अपने आप में, प्रदेश में आ जाते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि बर्फ-जाड़ों के मौसम में भी पर्यटकों को आकर्षित करने की एक उचित व्यवस्था बनाये इस बात को भी माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि शीतकालीन दिवसों में खेल के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करेंगे जिससे प्रदेश का नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात रहे। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मैं यहां पर हेमकुण्ड साहिब के बारे में कहना चाहता हूँ कि बीस कि0मी0 रास्ता ऐसा है कि जहाँ पर्यटकों को हेमकुण्ड साहिब जाने में बड़ी असुविधा होती है इसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करे।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे आय–व्ययक की मांगों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं ह्रदय से आपका आभारी हूँ। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने पर्यटन के क्षेत्र में आज तक जो कार्य किये वह बड़ा सराहनीय रहा है। वैसे भी पर्यटन मंत्री बड़े विद्वान भी हैं और पर्यटन के बारे में बड़े चिन्तित भी रहते हैं जिससे प्रदेश का नाम राष्ट्र स्तर पर अंकित हो। मान्यवर, जनपद चमोली में जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, इसके लिए भी सरकार द्वारा प्राविधान किये जाने चाहिए, जिससे कि इस ओर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आकर्षित हो सकें। मान्यवर, हरिद्वार में गंगा जी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इससे स्थानीय युवकों को रोजगार की सम्भावनाएं अधिक होती हैं। मान्यवर, ऋषिकेश में जो गुरेज नदी है वहां पर पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं यदि इस ओर ध्यान दिया गया तो स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है और पर्यटक भी इस ओर आकर्षित होंगे। मान्यवर, खुशी इस बात की है कि माननीय केदार सिंह फोनिया जी एवं डा0 हरक सिंह रावत जी पूर्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, हमें इन माननीय सदस्यों का लाभ यहां पर भी मिलेगा।

श्री रणजीत रावत–

अभी माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत से बातें इस बजट भाषण के माध्यम से कही गयी लेकिन इसमें यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का संज्ञान नहीं लिया गया है और कई आदेश ऐसे जारी कर दिये जाते हैं जैसे पिछली बार यह आदेश जारी कर दिया गया कि बरसात में नदियों में राफ्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि उन दिनों नदियों में बहुत पानी आ जाता है इसलिए रीवर राफ्टिंग न करें लेकिन रामगंगा और कोसी नदी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ जुलाई और सितम्बर के मिड तक राफ्टिंग करवाई जा सकती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने पर्यटन का 40 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया और माननीय पर्यटन मंत्री जी ने सदन के सामने बहुत लम्बी चौड़ी बातें की हैं। अभी माननीय गुनसोला जी ने भी इस पर काफी सुझाव दिए जैसा कि माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने भी कहा। मुझे याद है जब माननीय श्री फोनिया जी 1991 में कैबिनेट मंत्री थे और माननीय अध्यक्ष जी भी राज्य मंत्री थे और मुझे भी राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। लगभग 16 साल हो गए हम इतनी लम्बी चौड़ी बातें

कर रहे हैं। जैसे साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन की बातें कहीं लेकिन आज भी जो पर्यटन विभाग का ढांचा 1991 में था वही ढांचा है सिर्फ इसमें कुछ सुधार हुआ है तो यह कि प्रदेश स्तर पर पर्यटन परिषद् का गठन हुआ है। आप चाहे जहाँ देखें जैसे पौढ़ी में सहायक पर्यटन अधिकारी, नरेन्द्र नगर में सहायक पर्यटन अधिकारी, अल्मोड़ा में जिला पर्यटन अधिकारी ही है आज उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है तो मान्यवर, जब तक इसके ढांचे में बदलाव नहीं किया जायेगा तो कुछ नहीं किया जा सकता है। पर्यटन के बारे में लोग कहते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट पूरे जिले का पर्यटन का कार्य देख रही है तो मान्यवर, जब तक इसके ढांचे को जिले स्तर पर, ब्लाक स्तर पर मजबूत नहीं किया जायेगा तब तक इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करना बेमानी होगी। जब हमारी सरकार थी तो माननीय, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पर्यटन की एक बैठक की थी उसमें मुख्य सचिव थे और हमको भी बुलाया था तब भी हमने वहाँ पर यही सुझाव रखा था कि नेचर ने हमको खजाना जुटाया है, लोग यहाँ पर नेचर को देखने के लिए आते हैं। ईट, कंक्रीट और सीमेन्ट से बनी बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं आते हैं।

मान्यवर, अगर हम पर्यटन विभाग से सम्बन्धित लिट्रेचर को दिल्ली की हर ऐम्बेसी में रखवा दें, क्योंकि जो भी पर्यटक आता है वह अपने देश की ऐम्बेसी से सम्पर्क करता है और हिन्दुस्तान के बारे में जानकारी लेता है और अपने देश में भारत की ऐम्बेसी से हिन्दुस्तान में पर्यटन स्थल की जानकारी लेता है कि वह भारत के कौन से हिस्से में जाना चाहता है। मान्यवर, इसमें बहुत खर्चा भी नहीं होगा। हम दिल्ली के हर ऐम्बेसी में और उसे अंग्रेजी में और सम्भव हो सके तो उस देश की भाषा में रख दें और हर देश में जो भारत की ऐम्बेसी है उसमें भी रख दें जैसे चाईना में भारत की ऐम्बेसी है तो वहाँ भारत की ऐम्बेसी में आना जाना लगा रहता है, तो इसके लिए विदेश मंत्रालय से सम्पर्क कर लें और दिल्ली में गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम का ऑफिस है और वहाँ के अधिकारी विदेश मंत्रालय के लोगों से सम्पर्क कर लें और वहाँ फोल्डर रख दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम पैसे में पब्लिसिटी मिल सकती है। मान्यवर, मुझे ताज्जुब भी होता है कि 46 करोड़ का बजट है और पहले हमने जब 4 करोड़ का बजट रखा था और मुझे शर्म भी लगती थी और आज लगभग 46 करोड़ है यह बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, क्योंकि हम इस प्रदेश को केवल दो क्षेत्रों में पहला ऊर्जा प्रदेश और दूसरा पर्यटन प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, अगर सारी सम्भावनायें इन दो क्षेत्रों में सीमित है तो निश्चित रूप से इसके बजट में वृद्धि होनी चाहिए, तो मैं इको–टूरिज्म की बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में आज भी मैं कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जवाब दे देते हैं कि पिछली सरकार में नहीं हुआ, तो आज आप सरकार में हैं आपकी जिम्मेदारी है कल

हम थे जो हमारी जिम्मेदारी थी, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस प्रदेश के विकास में छलांग लगाना है तो हमें ढांचा मजबूत करना होगा, एडवेंचर क्षेत्र में कार्यकारी कदम रखना होगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुनशोला जी की बातों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा मांगे गये अनुदान की मांग का समर्थन करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ चन्द बिन्दु कहना चाहती हैं तो बता दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, जैसा कि बीसवीं सदी के अन्त में और इक्कीसवीं सदी की शुरूआती दौर में पर्यटन की सम्भावना पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। मान्यवर, प्रदेश व देश के पर्यटकों की दूसरे प्रदेशों-देशों में वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासतों के विषय में जानकारी हासिल करने की इच्छा बढ़ी और एक देश से दूसरे देश में आवागमन की सम्भावनाएं भी बढ़ी। पर्यटन विकास की सम्भावना एवं पर्यटक के उद्योग के रूप में विकास की जो सम्भावनाएं बढ़ी हैं यह किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करती है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सुझाव दे दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

माननीय अध्यक्ष जी, 5 मिनट का समय देंगे तभी बोल पायेंगे, शुरू से ही टोकेंगे तो कैसे बोल पायेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, यह तो सीधे-सीधे पीठ पर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष-

आप मित्र हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, इसको उद्योग के रूप में हमारे प्रदेश ने भी स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी ने जो आवश्यक बिन्दु थे, उनको बजट में सम्मिलित किया है इसके लिए मैं

माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विगत वर्षों बजट में बहुत सारी योजनाएं रखी गयी, लेकिन वे धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दी, इससे जो हमारा पर्यटन उद्योग है उसकी गति बहुत धीमी हुई है। निश्चित रूप से राज्य बनने के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विलेज टूरिज्म का जो प्रस्ताव इसमें रखा है, और इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्रत्येक जिले में पर्यटन गांव की स्थापना की जायेगी। यह सराहनीय योजना है, क्योंकि जब हम प्रत्येक जिले को पर्यटन से जोड़ेंगे। मान्यवर, चूंकि हम शुरूआत कर रहे हैं हम उदाहरण के तौर पर प्रत्येक जिले के एक गांव को पर्यटन गांव बनाना चाहते हैं। मान्यवर, ऐसा करने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, रिवर राफ्टिंग, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी इस सरकार द्वारा इन योजनाओं से नवयुवकों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इसके साथ-साथ हम प्रदेश में जो हमारे धनाढ्य और विदेशी पर्यटक आते हैं, इनके लिए फाइव-स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, हमें विदेशी पर्यटकों के लिए इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करनी होगी, क्योंकि जब विदेशी पर्यटक यहां पर आयेगा तो उनके लिए नेशनल एयरपोर्ट की फेसिलिटी हमें देनी होगी, जब इन पर्यटकों को यहां पर सुविधाएं मिलेंगी तभी से ज्यादा से ज्यादा यहां पर आयेंगे। मान्यवर, हमें ऐसे स्थानों का भी विकास करना होगा जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। चूंकि हम स्टैप वाईज इस योजना को बनायेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजनान्तर्गत मिलने वाली राशि को हमने 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रू0 तक की ऋण योजना लागू की गयी है। यह एक बहुत अच्छा कदम है पर्यटन की दिशा में, हम स्थानीय नवयुवकों को रोजगार दिलाने की दिशा में अपनी योजनाएं बनायेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो सके। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने यहां पर कहा कि यहां पर कुछ माननीय सदस्य पिछली विधान सभा में विदेश में भी गये थे, उन्होंने वहां पर पर्यटन को देखा। उनको वहां पर कुछ बातें देखने को मिली होंगी, जैसे सफाई व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, खानपान, होटल की व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं देखी होंगी। मान्यवर, मैं चाहती हूं इन सभी व्यवस्थाओं को हमारे प्रदेश में भी अपनाया जाय। अन्त में मैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पहाड़ों की ध्वनि, मसूरी के राजा ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, इनके प्रस्ताव पर बसपा का समर्थन तो आ जाय। मान्यवर,

हरिद्वार से गंग नहर निकलती है, रुड़की तक 10–12 किलोमीटर का टुकड़ा ही रह गया है। वह कैनाल न होकर नहर बन गयी है। वहां पर पी0ई0जी0 आर्मी का एक सैन्टेंट है। वे लोग इस नहर को वाटर स्पोर्ट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको वाटर स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप करें तो यहां पर बहुत अच्छा वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है। एक छोटी सी बात और है। 26 दिन का आंकड़ा आया है। कहा गया कि इंटरनेशनल टूरिस्ट 26 दिन यहां पर रुकते हैं, यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। 26 में से कम से कम हमें 10 दिन तो मिलने ही चाहिए। मान्यवर, एक छोटी सी बात है। यूरोप और एशिया में मेडिटेशन बहुत महंगा हो गया है। इसके लिए लोग दिल्ली और मुम्बई में आते हैं। क्या कोई मेडिको टूरिज्म डेवलप करने का भी सरकार का इरादा है ?

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक तो पूरे वर्ष का टूरिज्म कलैण्डर आप निर्मित कर दें। पूरे वर्ष आपके टूरिज्म की क्या एक्टीविटीज होंगी, यह भारत में ही नहीं, बाहर भी चला जाय। वेबसाईट में इसको डाल दीजिए।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार की एक भी वेबसाईट नहीं चलती है।

श्री अध्यक्ष–

जो वेबसाईट चल रही है, वह भी अपडेट नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, इसमें एक करेक्शन करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग में भी अभी उत्तरांचल का पर्यटन चल रहा है। जबकि आज उत्तराखण्ड का पर्यटन हो गया है। वेबसाईट को अपडेट करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में टूरिज्म कलैण्डर उपलब्ध होने से विदेशी पर्यटक अपने–अपने हॉलीडेज को यहां आने के लिए तैयार कर लेंगे। मान्यवर, मसूरी में जार्ज एवरेस्ट है। यहां पर आप इको डेस्टीनेशन बनाने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि यहां पर नेपाल की तर्ज पर कैसीनो बनाने के लिए इसका परीक्षण करा लिया जाय। मैं समझता हूँ कि कैसीनो कोई बुरी चीज नहीं है। कैसीनो की वजह से ही पर्यटक काठमांडू, नेपाल में जाते हैं। मकाऊ में भी पर्यटक कैसीनो के लिए ही जाते हैं। यह भी एक प्रकार का टूरिज्म है। मान्यवर, लास्ट में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में मित्र पुलिस का ही नहीं पर्यटन पुलिस का भी कोई बल तैयार हो, पर्यटक स्थलों पर वह तैनात हो। हम चाहते हैं कि जैसे उत्तराखण्ड पुलिस लगी है, उसी तरह उत्तराखण्ड पर्यटक पुलिस लगे। उसकी सोच, उसका जवाब देने का तरीका अलग होना चाहिए। वह पर्यटकों के प्रति ही जवाबदेह होनी चाहिए। इसी के साथ क्या कहूँ बल देना ही पड़ेगा। अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पर्यटन के इस महत्वपूर्ण बजट पर माननीय सदस्य ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे और जिसके माध्यम से कटौती के प्रस्तावक माननीय गुनसोला जी ने कुछ जिज्ञासाओं का हल जानने का प्रयास किया है। मान्यवर, आपने कहा है कि इसके माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है। श्रीमन्, यह जो हमारा पर्यटन व्यवसाय है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और यह राज्य में रोजगार के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आपने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के बारे में कहा तो यह योजना पहले से ही प्रचलन में है। आज तक इसमें 1444 आवेदकों द्वारा योजना का लाभ लिया जा चुका है। 493 वाहनों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है और 951 विभिन्न प्रकार की अवस्थापना सुविधायें इस योजना के माध्यम से दी जा चुकी हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि यह जो वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना है, इसमें लाभार्थियों को किस प्रकार से आवेदन करना होता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्तमान में इसमें एक पारदर्शी योजना परिचलन में है, इसमें जिस आवेदक का जिस सीरियल में आवेदन होगा, उसका लाभ उसे उसी सीरियल में दिया जायेगा। फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व की प्रक्रिया चलन में है।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, यदि किसी के कागज पूरे नहीं होंगे तो उसका सीरियल क्या आयेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उस सीरियल के बाद उसका सीरियल आयेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, क्या इसके लिए कोई समिति बनी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, जो भी व्यक्ति हमारे पर्यटन कार्यालय में आवेदन करता है, उसे एक रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है और फिर उसी रजिस्टर को समिति के समक्ष रखा जाता है।

*श्री जोगा राम टम्टा–

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे जिला मुख्यालय होते हैं, वह तो नजदीक होते हैं और तहसील मुख्यालय दूरस्थ स्थानों में होते हैं। तो जो नजदीक वाले, जिले के मुख्यालय के करीब के लोग हैं, वे तो जल्दी आवेदन कर सकते हैं और दूर वालों को जल्दी आवेदन करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें पारदर्शिता के लिए फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व तो ठीक है, लेकिन समय की वजह से दूर के लोग जल्दी आवेदन नहीं कर पायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय गुनसोला जी ने साहसिक पर्यटन के सम्बन्ध में कहा यह एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में वाटर स्पोटर्स में रिवर राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम रोजगार भी दे सकते हैं, वर्तमान में 55 ऐसे आपरेटर को लाइसेंस दिया गया है, क्योंकि इसमें परमिट हमारे विभाग द्वारा ही दिया जाता है तो इसमें 80 प्रतिशत लोग स्थानीय बेरोजगार नवयुवक हैं।

अभी माननीय गुनसोला जी ने एक प्रश्न में कहा था कि हमारे प्रदेश में एयर टैक्सी की सुविधा क्या प्रारम्भ होने जा रही है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हम इस एयर टैक्सी सुविधा के लिए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के अन्दर अभी 3 एयर स्ट्रिप हैं और 2 एयरपोर्ट हैं। जो हमारी तीन एयर स्ट्रिप हैं वह एक्टीवेट नहीं हैं। हमने इसके लिए अभी प्रयास शुरू किया है। हवाई यातायात की सुविधा को बढ़ावा दें और शीघ्र से शीघ्र इस व्यवस्था को संचालित करें। हैलीकॉप्टर और एयर टैक्सी के माध्यम से हम पर्यटकों को अपने प्रदेश के अद्भुत सौन्दर्य का दर्शन करा सकेंगे और मेरा मानना है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी वाटर राफ्टिंग के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। मान्यवर, एक कठिनाई सामने आती है इसमें जो पट्टे आवंटित किये जाते हैं, फॉरेस्ट और राजस्व विभाग द्वारा ये दिल्ली आदि बड़े महानगरों के व्यवसायियों को तो बड़े पट्टे मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे यहां के छोटे व्यवसायी हैं, उन्हें पट्टे के लिए जगह नहीं मिल पाती है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी 55 लोगों को परमिट दिया गया है इसमें से 80 प्रतिशत उत्तराखण्ड के हैं। जहां तक हमारे विद्वान सदस्य ने अपने सुझाव दिये हैं तो वन विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पर्यटन विभाग मिलजुल कर इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। मैं सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में दोनों विभागों के समन्वय के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाता है। अभी हमने गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। हम चाहते हैं कि इन दोनों निगमों के माध्यम से इसे संचालित किया जा सके। मास्टर प्लान की बात आई है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के माध्यम से मास्टर प्लान बनाया है, इसका विवरण इस पुस्तिका में है जो आपको दी गयी है। 10 ऐसे स्थल हैं जिनको प्रथम चरण में लिया है और इसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है कि किस तरह से हम इनका विकास कर सकें। मास्टर प्लान तैयार हो गया और साथ ही 18 ऐसे स्थल हैं जिनके लिए दूसरे चरण में मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं। हम पूरे राज्य की महायोजना को वर्ल्ड टूरिज्म आर्गनाईजेशन के माध्यम से सम्पादित करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। (व्यवधान) उत्तराखण्ड में केवल शहीद केशरी चन्द्र और शहीद दुर्गा मल्ल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आजादी की लड़ाई में फांसी की सजा हुई थी। मेरा अनुरोध है कि यदि सरकार इन दोनों शहीदों के नाम पर कोई पर्यटन की योजना चलाये तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

आठ बजकर दस मिनट पर मद संख्या–11(6) पर चर्चा प्रारम्भ हुई थी, अब 9.30 हो रहा है। काफी चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार से जो मदें बची हैं, अभी साढ़े सात घंटे और लगेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है, हमारे पास जानकारी देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि इस विषय पर सरकार अति गम्भीर है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो टिहरी झील है उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें हमने क्रम संख्या–6 में दिखाया कि टिहरी डैम के पर्यटन विकास के लिए हमारा जो मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सम्पूर्ण मास्टर प्लान के आधार पर 10 बिन्दु बताये हैं। मास्टर प्लान में कार्ययोजना बना रहे हैं। इस विषय पर चूँकि सरकार बहुत

गम्भीर है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की तरफ से संकेत आ रहे हैं और आपकी तरफ से भी निर्देश आये हैं। मान्यवर, मैं सम्मानित सदन से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमने इस राज्य को पर्यटन के रूप में प्रमुख आर्थिक संसाधन बन पाये इसलिए हमारी 463097 हजार की छोटी सी मांग को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 463097 हजार (छियालीस करोड़ तीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 8788880 हजार (आठ सौ अठहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, यह 8788880 हजार की इस धनराशि की स्वीकृति की अनुमति मैं सम्मानित सदन से चाह रहा हूँ और ये इसलिए कि वित्त विभाग ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से राज्य के प्रमुख आय के स्रोतों के माध्यम से इसके अन्तर्गत समाहित होते हैं और वर्तमान में जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर माह मई, 2007 इस वित्तीय वर्ष में 254 करोड़ का संग्रह प्राप्त हो चुका है। यह संग्रह गत वर्ष इस अवधि का संग्रह था उससे 29.26 प्रतिशत अधिक है।

मान्यवर, विगत तीन वर्षों से सम्बन्धित वाणिज्य कर राजस्व प्राप्तियों के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से देखें तो वह इस प्रकार से है 2004–2005 द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य

रखा गया है वह 718.27 करोड़ तथा प्राप्त संग्रह 784.68 करोड़ रुपया किया गया है। वर्ष 2005-2006 में 890.00 करोड़ रुपये निर्धारित लक्ष्य रखा गया है तथा प्राप्त संग्रह 1005.28 करोड़ रुपया किया गया है। वर्ष 2006-2007 में निर्धारित लक्ष्य 1159.00 करोड़ तथा प्राप्त संग्रह 1354.98 करोड़ रुपया किया गया है, के आंकड़ों के हिसाब से 890 करोड़ का निर्धारित था वह अब एक हजार पांच सौ करोड़ का संग्रह किया गया है। वर्ष 2006-2007 के लिए एक हजार करोड़ का सापेक्ष में वह 1 हजार 159 में संग्रह कर दिया गया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें का सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जो विभाग का आय-व्ययक का प्रस्ताव रखा गया है उसको सरकार द्वारा कोई भी धनराशि विभाग द्वारा योजनागत तरीके से नहीं रखा गया है आज की जो आवश्यकता है उसको किसी चर्चा के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाना था लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। मान्यवर, दिनांक 6 तारीख को एक बैठक हुई है जिसमें गुड एण्ड टैक्स के बारे में संक्षेप में सरकार को बताना चाहिए था। और सरकार ने गुड एण्ड टैक्स के बारे में भी अपने बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। मान्यवर, केन्द्र सरकार के इस विभाग के ऐसे बजट में 33 सर्विस में टैक्स में प्राविधान नहीं कर रही है और वह किसी ट्रेनिंग के द्वारा ऐसा प्राविधान करने जा रही है। आज विभाग मात्र 33 प्रतिशत कर रही है सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग की चर्चा भी नहीं की गयी है और चौकियों की बात भी नहीं की गयी है। सरकार को अपने बजट में इस प्रकार से कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी देश जितना ज्यादा डेवलप करती है वह उतना ही ऋणों द्वारा दबा रहता है।

मान्यवर, ऋण उत्पादकता बढ़ाने के लिए लेते हैं। मान्यवर, पर्यटन विभाग के लिए ही नहीं इस प्रदेश के लिए ऋण अगर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना है तो ऋण जरूरी है। महान नोबेल पुरस्कार श्री अर्मत्य सेन ने कहा है अगर एक आदमी का जीवन स्तर उठाना हो, अगर उसके जीवन स्तर को उठाना है तो कहीं न कहीं ऋण लेना होगा। क्या सरकार हमारे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर नहीं उठाना चाहती है ? मान्यवर, अगर आप ऋण नहीं लेंगे तो इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है आज जितने भी बड़े देश हैं, जो विकसित हैं वे भी ऋण लेते हैं और उनके ऊपर कर्जा रहता है। मान्यवर, व्यापारियों के हित के लिए इस पूरे बजट के अन्दर कोई बात नहीं की गयी है। पूर्व सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए अन्य व्यापारियों के लिए, व्यापारियों को

प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सी योजनायें चलाई थी लेकिन इस सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इस बजट में सरकार ने यह नहीं बताया कि वह व्यापारियों के लिए कौन सी योजनायें बनाने जा रही है। किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है इस बजट में। मान्यवर, इस बजट को सरप्लस बजट कहा गया है इस सम्बन्ध में मैं एक दो आंकड़े देना चाहता हूँ कि वर्ष 2005-06 में 105 करोड़ और वर्ष 2006-07 में 249 करोड़ और इस साल इस सरकार ने उसको 55 करोड़ कर दिया। इस तरह से अनेक चीजें हैं। मान्यवर, स्टाम्प ड्यूटी एक महत्वपूर्ण विषय है उससे सरकार को पैसा मिलता है कर के रूप में। मान्यवर, जो शहरी क्षेत्रों में दाखिल खारिज की जा रही नगरपालिकाओं द्वारा वह 10 रु0 के स्टाम्प पर की जा रही है जिससे कर की चोरी हो रही है और सरकार का नुकसान हो रहा है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, इस बजट में पंजीकरण की बात आयी है तो पंजीकरण से भी सरकार को कर के रूप में पैसा मिलता है लेकिन पंजीकरण विभाग द्वारा बिना किसी जांच किए सामाजिक संस्थाओं का पंजीकरण कर दिया जाता है इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य शैलेन्द्र मोहन सिंघल द्वारा महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया। आपने जनशक्ति के बारे में उल्लेख किया तो निश्चित रूप से जनशक्ति की हमारे यहाँ कमी है लेकिन जनशक्ति के कम होते हुए भी हमारे यहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मात्र 516 ही कर्मचारी कार्यरत हैं। हमारे यहाँ कुल 35 प्रतिशत ही वर्तमान में जनशक्ति है जिसके माध्यम से हम अपना कार्य संचालित कर रहे हैं। कम जनशक्ति होने के बावजूद हमारे विभाग ने लक्ष्य से अधिक कार्य किया है, हमारा प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र इस जनशक्ति को सेचुरेशन करें और उसके माध्यम से अधिक सजगता से अपने कार्य को सम्पादित करें।

मान्यवर, इसके साथ ही आपने स्टाम्प से सम्बन्धित जिज्ञासा की तो मैं इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पास 2007-08 में माह मई तक कुल 94 करोड़ 13 लाख रुपये की आमदनी स्टाम्प शुल्क के माध्यम से हुई है, इस तरह की पूरी जानकारियाँ इस साहित्य में दी गई हैं और इसके आलोक में मेरा आग्रह है कि आप कटौती प्रस्ताव पर बल न देते हुए इसको वापस लें, इसमें सभी लोग निष्ठा से काम कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप हमने 30-35 प्रतिशत से ज्यादा आमदनी की है, इसलिए बल देने की आवश्यकता है, इसलिए आठ सौ अठहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख अस्सी हजार की धनराशि स्वीकृत करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 8788880 हजार (आठ सौ अठहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि समय काफी हो गया है और लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग और ऊर्जा विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कल इस पर चर्चा करायें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष–

आज की शेष अनुदान मांगे अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें कल के लिए निर्धारित कार्य सूची में ले लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007

*पंचायतीराज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान और उप प्रधान को हटाये जाने के लिए उत्तराखण्ड पंचायत विधेयक लाया गया, उसमें ग्राम सभा लिखा गया जो त्रुटिपूर्ण है, इसलिये इसे लाया गया कि "ग्राम सभा" के स्थान पर "ग्राम पंचायत" किया जाये, क्योंकि यह विधेयक वर्ष, 2006 पर तैयार किया गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको प्रस्तावित किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2007)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो–

भाग–1

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 है। संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

भाग–2

धारा 14–ख की उपधारा (1) का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 14–ख की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

"(1) उप प्रधान का हटाया जाना–ग्राम पंचायत ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाय और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम पंचायत के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उप प्रधान को हटा सकती है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री गगन सिंह, दूसरी सूचना श्रीमती अमृता रावत, तीसरी सूचना श्री विजय सिंह पंवार, चौथी सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल, पांचवी सूचना श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, छठी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा सातवीं सूचना श्री जोगाराम टम्टा की प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद पिथौरागढ़ के तहसील एवं विकासखण्ड गंगोलीहाट के ग्राम–शिवना–रैतोला तथा नागधूना में पिछले दो माह से विद्युत लाईन ठीक न करने तथा विद्युत आपूर्ति बन्द रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जोगाराम टम्टा की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जनपद पौढ़ी के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में मालन सुखरो एवं खो–नदी पर बहुउद्देशीय जलाशय/मिनी बैराज निर्मित करने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र सिंह रावत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए तथा साथ ही प्रताप नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बगांव में अतिवृष्टि एवं भू–स्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह पंवार की सूचना को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार के आर0एम0पी0 (पी0जी0) कॉलेज गुरुकुल नारसन सम्बद्ध एच0एन0बी0 विश्वविद्यालय की बी0एससी0, ए0जी0 का परीक्षा परिणाम घोषित न होने से छात्रों में आक्रोश उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री हरिदास स0वि0स0 द्वारा दी गयी नियम–53 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा आर0एम0पी0 (पी0जी0) कॉलेज गुरुकुल नारसन हरिद्वार के छात्रों का बी0एससी0 ए0जी0 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है तथा अंक तालिकाएं बनाकर सम्बन्धित संस्था को भेजी जा रही हैं।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देहरादून के वि0स0 क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत ग्राम जाखन में कैनाल रोड माता वाली सुन्दरी मन्दिर के सामने रिस्पना नदी में निर्मित पुल के सम्बन्ध में श्री गणेश जोशी स0वि0स0 द्वारा दी गयी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त--

[रिस्पना नदी देहरादून शहर के लगभग मध्य-भाग से होकर बहती है। राज्य गठन के पश्चात् देहरादून शहर में आबादी बढ़ने से रिस्पना नदी के दोनों ओर बसावटों के आवागमन की समस्या के समाधान के लिए नदी पर शहरी इलाके में पुलों के निर्माण की आवश्यकता थी और इसी पृष्ठभूमि में रिस्पना नदी में समय-समय पर नये पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें विधान सभा क्षेत्र राजपुर ग्राम-जाखन में कैनाल रोड माता वाली सुन्दरी मन्दिर के सामने रिस्पना नदी पर निर्मित पुल भी सम्मिलित है। उक्त पुल के निर्माण से देहरादून के ग्राम धोरणखास, चिढोवाली एवं सौंधोवाली के निवासी लाभान्वित होंगे एवं भविष्य में क्षेत्र का तीव्रगति से विकास भी होगा।]

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 09 बजकर 57 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

देहरादून :
दिनांक 9 जुलाई, 2007

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–12 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्री पुष्पेश त्रिपाठी, मा० सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–07 का संलग्नक

1–उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० से सम्बन्धित परियोजनायें, जिनमें लक्ष्य से कम उत्पादन हो रहा है:–

क्र०सं०	परियोजना का नाम, जनपद	डी०पी०आर० में इंगित प्रतिवर्ष उत्पादन मि०यू०	वर्ष 2006–07 में उत्पादन मि०यू०
1.	लघु जल विद्युत परियोजना कुलागाड़, पिथौरागढ़	3.32	2.78
2.	लघु जल विद्युत परियोजना तालेश्वर, पिथौरागढ़	3.37	0.86
3.	लघु जल विद्युत परियोजना छड़नदेव, पिथौरागढ़	0.87	0.42
4.	लघु जल विद्युत परियोजना सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग	1.26	1.11
5.	लघु जल विद्युत परियोजना तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग	0.43	0.22
6.	लघु जल विद्युत परियोजना बद्रीनाथ–द्वितीय, चमोली	3.61	1.96
7.	लघु जल विद्युत परियोजना तपोवन, चमोली	3.46	1.04
8.	लघु जल विद्युत परियोजना हर्षिल, उत्तरकाशी	0.43	0.30
9.	लघु जल विद्युत परियोजना कोटाबाग, नैनीताल	0.41	0.10
10.	लघु जल विद्युत परियोजना गराव, पिथौरागढ़	0.45	0.19
11.	लघु जल विद्युत परियोजना गौरी, चम्पावत	0.43	0.12
12.	लघु जल विद्युत परियोजना रैसागाड़, पिथौरागढ़	12.37	3.90

2–उरेडा से सम्बन्धित परियोजनायें, जिनमें लक्ष्य से कम उत्पादन हो रहा है:–

क्र0सं0	परियोजना का नाम, जनपद	क्षमता (कि0वा0)
1	2	3
1.	लघु जल विद्युत परियोजना गोगीना, बागेश्वर	2X50
2.	लघु जल विद्युत परियोजना बडियाकोट, बागेश्वर	2X50
3.	लघु जल विद्युत परियोजना बैछम, बागेश्वर	100
4.	लघु जल विद्युत परियोजना कर्मी–1, बागेश्वर	50
5.	लघु जल विद्युत परियोजना सोराग, बागेश्वर	50
6.	लघु जल विद्युत परियोजना बागर, बागेश्वर	50
7.	लघु जल विद्युत परियोजना तीती, बागेश्वर	50
8.	लघु जल विद्युत परियोजना टोली, बागेश्वर	2X50
9.	लघु जल विद्युत परियोजना लाथी, बागेश्वर	100
10.	लघु जल विद्युत परियोजना कनोलगाड, बागेश्वर	2X50
11.	लघु जल विद्युत परियोजना रतमोली, बागेश्वर	50
12.	लघु जल विद्युत परियोजना सतेश्वर, बागेश्वर	50
13.	लघु जल विद्युत परियोजना कर्मी–2, बागेश्वर	50
14.	लघु जल विद्युत परियोजना डोकती गांव, बागेश्वर	20
15.	लघु जल विद्युत परियोजना गिकुरियागाड, पिथौरागढ़	500
16.	लघु जल विद्युत परियोजना गुलाडी, चमोली	2X100
17.	लघु जल विद्युत परियोजना घपरिया, चमोली	50
18.	लघु जल विद्युत परियोजना घपरिया–एक्सटेंशन, चमोली	50
19.	लघु जल विद्युत परियोजना मिलखेत, चमोली	2X50
20.	लघु जल विद्युत परियोजना बुरसोल, चमोली	2X100
21.	लघु जल विद्युत परियोजना बमियाल, चमोली	15
22.	लघु जल विद्युत परियोजना निति, चमोली	25

1	2	3
23.	लघु जल विद्युत परियोजना बिलकोट, पौड़ी गढ़वाल	50
24.	लघु जल विद्युत परियोजना डाबोर-फेस-1, पौड़ी गढ़वाल	50
25.	लघु जल विद्युत परियोजना डाबोर-फेस-2, पौड़ी गढ़वाल	50
26.	लघु जल विद्युत परियोजना कनवाश्रम, पौड़ी गढ़वाल	2X50
27.	लघु जल विद्युत परियोजना मखरीगाड़, टिहरी गढ़वाल	20
28.	लघु जल विद्युत परियोजना चन्द्रभागागाड़, टिहरी गढ़वाल	7.5
29.	लघु जल विद्युत परियोजना जानकी चट्टी, उत्तरकाशी	2X100
30.	लघु जल विद्युत परियोजना गंगोत्री, उत्तरकाशी	100

नोट:-उरेडा द्वारा संचालित परियोजनाओं में सम्बन्धित ग्रामों को रात्रि में सीधे विद्युत आपूर्ति की जाती है।

3-निजी क्षेत्र को आवंटित परियोजनायें, जिनमें लक्ष्य से कम उत्पादन हो रहा है:-

शून्य

4-बन्द पड़ी परियोजनायें:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम, जनपद	क्षमता (कि0वा0)
1.	लघु जल विद्युत परियोजना खेत, पिथौरागढ़	100
2.	लघु जल विद्युत परियोजना नैनी, चमोली	50
3.	लघु जल विद्युत परियोजना खोबता, देहरादून	50
4.	लघु जल विद्युत परियोजना बिलकोट, पौड़ी	50
5.	लघु जल विद्युत परियोजना उरगम, चमोली	3000
6.	लघु जल विद्युत परियोजना कोटी, उत्तरकाशी	200
7.	लघु जल विद्युत परियोजना पाण्डुकेश्वर, चमोली	750
8.	लघु जल विद्युत परियोजना गंगोरी, उत्तरकाशी	800
9.	लघु जल विद्युत परियोजना चमोली एवं चमोली विस्तार, चमोली	800

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–35 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्रीमती विजय बड़थ्वाल, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–19 का संलग्नक "अ"

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 का ढांचा

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	01
2.	निदेशक (मा0सं0)	01
3.	निदेशक (वित्त)	01
4.	निदेशक (आ0/वि0)/सं0प्र0निदे0	02
5.	अधिशासी निदेशक	01
6.	मुख्य महाप्रबन्धक	01
7.	महाप्रबन्धक (वित्त)	02
8.	महाप्रबन्धक (मा0सं0)	01
9.	महाप्रबन्धक (वि0/या0)	04
10.	उप महाप्रबन्धक (वित्त)/सू0प्र0	04
11.	उप महाप्रबन्धक (मा0सं0)	03
12.	उप महाप्रबन्धक (वि0या0)	20
13.	उप महाप्रबन्धक (सिविल)	01
14.	कम्पनी सचिव	01
15.	उप मुख्य लेखाधिकारी	04
16.	उप निदेशक (आं0सम्प्रेक्षा)	01
17.	अधिशासी अभियन्ता (वि0यां0)	73
18.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	04
19.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	09
20.	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी	03
21.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01
22.	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	03
23.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	02
24.	सहायक अभियन्ता (वि0यां0)	231
25.	सहायक अभियन्ता (जानपद)	24
26.	लेखाधिकारी	17
27.	सहायक लेखाधिकारी	17

1	2	3
28.	कार्मिक अधिकारी	14
29.	प्रशासनिक अधिकारी	02
30.	अनुभाग अधिकारी	09
31.	विधि अधिकारी	02
32.	वैयक्तिक सचिव	04
33.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–दो	04
34.	कार्यालय अधीक्षक (वि०श्रे०)	04
35.	कार्यालय अधीक्षक–प्रथम	12
36.	कार्यालय अधीक्षक–द्वितीय	24
37.	आशुलिपिक (वि०श्रे०)	02
38.	आशुलिपिक ग्रेड–प्रथम	35
39.	आशुलिपिक–द्वितीय	18
40.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	77
41.	कार्यालय सहायक–प्रथम	49
42.	कार्यालय सहायक–द्वितीय	395
43.	कार्यालय सहायक–तृतीय	317
44.	लेखाकार	79
45.	सहायक लेखाकार	134
46.	लेखा लिपिक	26
47.	अवर अभियन्ता	472
48.	तकनीकी सहायक	11
49.	भण्डार अधीक्षक	10
50.	सहायक भण्डारपाल	26
51.	केबिल ज्वाइन्टर	26
52.	लाईन मैन	920
53.	तकनीशियन ग्रेड–दो (विद्युत)	1096
54.	पैट्रोल मैन/कुशल श्रमिक	548
55.	मानचित्र/प्रारूपकार	36
56.	चालक	58
57.	दफादार	72
58.	चपरासी	247
59.	मेट/श्रमिक/बेलदार/लाईन मजदूर	857
60.	चौकीदार	71
61.	स्वीपर	21
	सम्पूर्ण योग	6110

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्रीमती विजय बड़थ्वाल, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–19 का संलग्नक "ब"

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में उप–महाप्रबन्धक के पद से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पद तक की भर्ती प्रक्रिया का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	भर्ती प्रक्रिया	नियुक्ति का विवरण/समय
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	सीधी भर्ती	निश्चित अवधि के लिए शासन ने नियुक्ति दिनांक 20–08–06 को की है।
2.	निदेशक (मा0सं0)	सीधी भर्ती	निश्चित अवधि के लिए शासन ने नियुक्ति दिनांक 09–09–05 को की है।
3.	निदेशक (वित्त)	सीधी भर्ती	निश्चित अवधि के लिए शासन ने नियुक्ति दिनांक 13–06–05 को की है।
4.	निदेशक (प्रा0वि0)/सं0प्र0निदे0	सीधी भर्ती	चयन प्रक्रिया गतिमान है।
5.	अधिशासी निदेशक	सीधी भर्ती	चयन प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है।
6.	मुख्य महाप्रबन्धक	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष 2005 में हुई है।
7.	महाप्रबन्धक (वित्त)	पदोन्नति	अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदोन्नति विषयक कार्यवाही की जायेगी।
8.	महाप्रबन्धक (मा0सं0)	पदोन्नति	अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदोन्नति विषयक कार्यवाही की जायेगी।
9.	महाप्रबन्धक (वि0/या0)	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष 2004 में हुई है।
10.	उप महाप्रबन्धक (वित्त)	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष 2005 में हुई है।
11.	उप महाप्रबन्धक (मा0सं0)	पदोन्नति	अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदोन्नति विषयक कार्यवाही की जायेगी।
12.	उप महाप्रबन्धक (सू0प्रो0)	सीधी भर्ती	नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई है।
13.	उप महाप्रबन्धक (वि0या0)	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में हुई है।
14.	उप महाप्रबन्धक (सिविल)	पदोन्नति	कारपोरेशन बनने से पूर्व उ0प्र0रा0वि0प0 द्वारा वर्ष 2001 में पदोन्नति की गई।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्रीमती विजय बड़थ्वाल, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–19 का संलग्नक "स"

<u>रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की पदवार स्थिति</u>

क्र0 सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	भर्ती प्रक्रिया	रिक्ति पूर्ति हेतु कार्यवाही का विवरण
1.	निदेशक	1	सीधी भर्ती	—
2.	अधिशासी निदेशक	1	सीधी भर्ती	नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है।
3.	सहायक अभियन्ता	52	सीधी भर्ती	लिखित परीक्षा सम्पादित की जा चुकी है। अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।
4.	लेखाधिकारी	6	सीधी भर्ती	नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।
5.	कार्मिक अधिकारी	10	सीधी भर्ती	लिखित परीक्षा सम्पादित की जा चुकी है। अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।
6.	विधि अधिकारी	2	सीधी भर्ती	नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–42 पर)

01 अप्रैल 2006 से फरवरी 2007 तक प्रदेश से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों को निर्गत सजावटी/वर्गीकृत विज्ञापनों/धनराशि का जनपदवार विवरण :–

क्र0 सं0	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन स्थल	2005–06 (रुपये हजार में)	2006–07 (रुपये हजार में)
1	2	3	4	5
1.	दैनिक अमर उजाला	देहरादून	4357	10162
2.	दैनिक अमर उजाला	हल्द्वानी	1819	1747
3.	दैनिक जागरण	देहरादून	6580	9761
4.	दैनिक जागरण	हल्द्वानी	4605	–
5.	दैनिक शाह टाइम्स	देहरादून	1242	3116
6.	दैनिक शाह टाइम्स	हल्द्वानी	79	51
7.	दैनिक उत्तर उजाला	हल्द्वानी	1637	2681
8.	दैनिक प्रधान टाइम्स	देहरादून	549	679
9.	दैनिक प्रधान टाइम्स	हरिद्वार	313	237
10.	दैनिक बद्री विशाल	हरिद्वार	601	1174
11.	दैनिक हाक अंग्रेजी	हरिद्वार	227	376
12.	दैनिक हाक हिन्दी	हरिद्वार	133	268
13.	दैनिक अपने लोग	हरिद्वार	73	227
14.	दैनिक मानव जगत	हरिद्वार	382	409
15.	दैनिक शिखर संदेश	देहरादून	226	212
16.	दैनिक शिखर संदेश	टिहरी	125	190
17.	दै0 हिमाचल टाइम्स अंग्रेजी	देहरादून	128	209
18.	दै0 हिमाचल टाइम्स हिन्दी	देहरादून	161	293
19.	दैनिक दून दर्पण	देहरादून	572	537
20.	दैनिक राष्ट्रीयता	देहरादून	20	409

1	2	3	4	5
21.	दैनिक मनीष टाइम्स	देहरादून	33	144
22.	दैनिक रायल बुलेटिन	देहरादून	42	180
23.	दैनिक सीमान्त वार्ता	पौड़ी	420	425
24.	दैनिक जयन्त	पौड़ी	460	450
25.	दैनिक नई राष्ट्रीय धारा	देहरादून	57	110
26.	उर्दू दैनिक सहाफत	देहरादून	—	62
27.	दैनिक पेज थ्री	देहरादून	—	41
28.	दैनिक न्यूज प्वाइंट	देहरादून	—	45
29.	दैनिक उत्तरगाथा	देहरादून	—	20
30.	दैनिक पत्थरों का शहर	देहरादून	—	3
31.	दैनिक दुशासन	देहरादून	—	3
32.	दैनिक अखण्ड प्रभुसत्ता	देहरादून	—	3
33.	दैनिक उत्तरांचल मिड डे	देहरादून	—	25
34.	दैनिक गढ़वाल पोस्ट	देहरादून	—	1000
35.	दैनिक प्रस्ताव	देहरादून	—	50
36.	दैनिक हरिश चन्द्र उवाच	हरिद्वार	—	3

<u>01 अप्रैल 2005 से फरवरी 2007 तक सांध्य दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार पत्र–पत्रिकाओं को निर्गत सजावटी/वर्गीकृत विज्ञापनों/धनराशि का जनपदवार विवरण</u> :–

क्र0 सं0	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन स्थल	2005–06 (रुपये हजार में)	2006–07 (रुपये हजार में)
1	2	3	4	5
1.	सा0 हरिद्वार एक्सप्रेस	हरिद्वार	35	97
2.	सा0 कलयुग की परछाई	हरिद्वार	54	37
3.	सा0 कलम नहीं रुकेगी	हरिद्वार	44	120
4.	सा0 हिन्दु	हरिद्वार	54	89

1	2	3	4	5
5.	सा0 शत्रुघ्न	हरिद्वार	22	47
6.	सा0 भगीरथी की आवाज	हरिद्वार	57	90
7.	सा0 हरिद्वार का उजाला	हरिद्वार	26	68
8.	सा0 गोश्वारा	हरिद्वार	40	67
9.	सा0 उत्तरांचल हिमालय	हरिद्वार	–	10
10.	सा0 उत्तराखण्ड की कलम	हरिद्वार	59	18
11.	सा0 नये युग की आवाज	हरिद्वार	64	86
12.	सा0 राष्ट्रीयता	हरिद्वार	35	89
13.	सा0 देवआत्मा	हरिद्वार	38	13
14.	सा0 मुक्तिमोद	हरिद्वार	25	76
15.	सा0 ज्योतिष इंडियन	हरिद्वार	–	42
16.	सा0 हरिद्वार की सच्चाई	हरिद्वार		25
17.	सा0 हरिद्वार की आवाज	हरिद्वार	–	18
18.	सा0 सृष्टि चक्र	हरिद्वार	–	31
19.	सा0 जनता का आक्रोश	हरिद्वार	21	46
20.	सा0 दि सदाबार टाईम्स	हरिद्वार	–	97
21.	सा0 मिलन टाईम्स	हरिद्वार	21	40
22.	सा0 जलता राष्ट्र	हरिद्वार	24	47
23.	सा0 हरिद्वार टाईम्स	हरिद्वार	65	67
24.	सा0 पर्वत भूमि	हरिद्वार	–	15
25.	सा0 जय हिन्द	हरिद्वार	–	9
26.	सा0 अमृत गंगा	हरिद्वार	–	50
27.	सा0 हिन्द की कलम	हरिद्वार	–	9
28.	सा0पा0 हरिद्वार आस्था	हरिद्वार	–	21
29.	पाक्षिक पर्वत संकल्प	हरिद्वार	20	105
30.	सा0पा0 भ्रष्टाचार रिपोर्टर	हरिद्वार	19	76
31.	सा0 आत्म सत्ता	हरिद्वार	49	63

1	2	3	4	5
32.	सा0 हरिद्वार किरण	हरिद्वार	37	31
33.	सा0 संकल्प तरू	हरिद्वार	32	9
34.	सा0 शाबिर टाईम्स	हरिद्वार	15	73
35.	सा0 न्याय मीमांसा	हरिद्वार	54	97
36.	सा0 लोकार्थ	हरिद्वार	17	124
37.	सा0 जागृत जनता की आवाज	हरिद्वार	–	36
38.	सा0 रकवायर न्यूब टाईम्स	हरिद्वार	–	3
39.	सा0 हिमवंत टाईम्स	हरिद्वार	48	83
40.	सा0 हरिद्वार दर्पण	हरिद्वार	27	51
41.	सा0 हम है आजाद	हरिद्वार	12	–
42.	सा0 ग्रामीण जनता	हरिद्वार	16	47
43.	सा0 स्वदेश सुखद संदेश	हरिद्वार	36	63
44.	सा0 सृष्टि वक्ता	हरिद्वार	20	131
45.	सा0 उत्तरांचल हलचल	हरिद्वार	30	156
46.	सा0 इस सदी की आवाज	हरिद्वार	80	89
47.	सा0 खोजपूर्ण समाचार	हरिद्वार	48	42
48.	पा0 हरिद्वार का हृदय टाईम्स	हरिद्वार	66	18
49.	सा0 हरिद्वार टुडे	हरिद्वार	3	44
50.	पा0 शिवम एक्सप्रेस	हरिद्वार	–	45
51.	सा0 अमन का चौकीदार	हरिद्वार	–	34
52.	सा0 हरिद्वार नयन	हरिद्वार	–	20
53.	सा0 जागता चौकीदार	हरिद्वार	–	13
54.	सा0 आज का अर्जुन	हरिद्वार	–	25
55.	सा0 तरुण हिमालय बुलेटिन	हरिद्वार	15	64
56.	साप्ता0 स्वदेश चर्चा	हरिद्वार	–	12
57.	मासिक लोक लुभावन	हरिद्वार	51	70
58.	साप्ता0 हुकूमत एक्सप्रेस	ऊधमसिंह नगर	–	–

1	2	3	4	5
59.	सा0 तराई वहलका	ऊधमसिंह नगर	8	24
60.	सा0 खबरनामा युगनिर्माता	ऊधमसिंह नगर	–	45
61.	सा0 कहन सुनन	ऊधमसिंह नगर	64	99
62.	सा0 उत्तरांचल की शान	ऊधमसिंह नगर	40	12
63.	सा0 हिमालय गौरव उत्तराखण्ड	ऊधमसिंह नगर	27	91
64.	सा0 शहीदों की धरती	ऊधमसिंह नगर	48	76
65.	पा0 उत्तरांचल का गुलदस्ता	ऊधमसिंह नगर	53	45
66.	सा0 उत्तरांचल संवाद सन्देश	ऊधमसिंह नगर	20	47
67.	सा0 उत्तरांचल	ऊधमसिंह नगर	–	38
68.	सा0 मध्यस्थ	ऊधमसिंह नगर	–	7
69.	सा0 दै0 उत्तरांचल की पुकार	ऊधमसिंह नगर	–	6
70.	सा0 उत्तरांचल प्रखर टाईम्स	ऊधमसिंह नगर	42	119
71.	मा0 देवभूमि माया	ऊधमसिंह नगर	120	615
72.	सा0 काशीपुर की ज्वाला	ऊधमसिंह नगर	–	40
73.	सा0 सत्य का पुजारी	ऊधमसिंह नगर	–	31
74.	सा0 वार्तायन	ऊधमसिंह नगर	66	17
75.	सा0 टाइम्स ऑफ उत्तरांचल	ऊधमसिंह नगर	41	53
76.	सा0 काशीपुर की चिंगारी	ऊधमसिंह नगर	14	32
77.	सा0 सनाका	ऊधमसिंह नगर	73	61
78.	सा0 लोकतंत्र	ऊधमसिंह नगर	199	144
79.	सा0 खोजी नजर	ऊधमसिंह नगर	43	47
80.	सा0 ऊधमसिंह नगर का दर्पण	ऊधमसिंह नगर	–	30
81.	पा0 निरंकुश भारत	ऊधमसिंह नगर	21	9
82.	सा0 दै0 काशीपुर टाइम्स	ऊधमसिंह नगर	62	–
83.	सा0 दै0 ऊधमसिंह नगर का दर्पण	ऊधमसिंह नगर	76	91
84.	सा0दै0 मंगल भूमि प्रकाशन	ऊधमसिंह नगर	49	25

1	2	3	4	5
85.	सा0 दै0 मंगल भूमि टाइम्स	ऊधमसिंह नगर	47	144
86.	सा0 दै0 दशानन	ऊधमसिंह नगर	161	161
87.	सा0 दै0 उत्तरांचल दर्पण	ऊधमसिंह नगर	198	206
88.	सा0 दै0 न्यूज प्रिंट	ऊधमसिंह नगर	15	–
89.	सा0 पर्वत पियूष	पिथौरागढ़	225	138
90.	सा0 आज का पहाड़	पिथौरागढ़	43	36
91.	सा0 उत्तराखण्ड ज्योति	पिथौरागढ़	42	78
92.	मा0 मध्य हिमालय	पिथौरागढ़	263	3
93.	पा0 हिमालय प्रसंग	पिथौरागढ़	41	61
94.	सा0 हिमालय का मस्तक	पिथौरागढ़	24	44
95.	सा0 पिघलता हिमालय	नैनीताल	64	106
96.	पा0 नैनीताल समाचार	नैनीताल	18	46
97.	सा0 लोकालय	नैनीताल	66	67
98.	सा0 अपना उत्तरांचल	नैनीताल	41	85
99.	सा0 हिमगिरी जर्नल	नैनीताल	33	82
100.	सा0 हिमालयी भारत	नैनीताल	79	314
101.	मा0 पर्वत प्रेरणा	नैनीताल	23	54
102.	पा0 नैनीताल पोस्ट	नैनीताल	–	47
103.	सा0 रामनगर टाइम्स	नैनीताल	22	44
104.	सा0 दै0 कुमाऊँ टाइम्स	नैनीताल	25	48
105.	दि नीड कम्प्यूटर शिक्षा समिति	नैनीताल	–	3
106.	सा0 शक्ति	अल्मोड़ा	54	120
107.	सा0 स्वाधीन प्रजा	अल्मोड़ा	54	100
108.	सा0 बिनसर टाइम्स	अल्मोड़ा	15	40
109.	सा0 अल्मोड़ा टाइम्स	अल्मोड़ा	16	46
110.	पा0 अखण्ड उत्तरांचल	अल्मोड़ा	31	31
111.	सा0 समता	अल्मोड़ा	3	35

1	2	3	4	5
112.	मा0 पिण्डरी मेल	अल्मोड़ा	32	24
113.	सा0 दानापुर मेल	अल्मोड़ा	6	38
114.	सा0 वेद पुंज	अल्मोड़ा	14	–
115.	मा0 बाल प्रहरी	अल्मोड़ा	16	30
116.	पत्रिका लोक रंग	अल्मोड़ा	12	21
117.	सा0 हिमालय के स्वर	बागेश्वर	31	25
118.	मा0 गढ़ गौरव	पौड़ी गढ़वाल	47	43
119.	सा0 अन्तरज्वाला	पौड़ी गढ़वाल	44	76
120.	सा0 गढ़वाल मण्डल	पौड़ी गढ़वाल	49	46
121.	सा0 पौड़ी टाइम्स	पौड़ी गढ़वाल	36	–
122.	मा0 उत्तराखण्ड खबरसार	पौड़ी गढ़वाल	65	32
123.	सा0 जागरुक उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाल	43	47
124.	सा0 साधना मार्ग	पौड़ी गढ़वाल	41	40
125.	उत्तरांचली रसोई	पौड़ी गढ़वाल	3	–
126.	सा0 शैल वाणी	पौड़ी गढ़वाल	94	98
127.	पा0 मातृपद	पौड़ी गढ़वाल	–	3
128.	सा0 तरुण हिन्द	टिहरी गढ़वाल	32	44
129.	सा0 पर्वतांचल	टिहरी गढ़वाल	25	19
130.	सा0 अंतरिक्ष टाईम्स	टिहरी गढ़वाल	43	64
131.	सा0 हिमालय की शक्ति	टिहरी गढ़वाल	25	47
132.	सा0 सुरकण्डा समाचार	टिहरी गढ़वाल	70	13
133.	स्मारिका त्रिहरि	टिहरी गढ़वाल	–	20
134.	स्वामी रामतीर्थ स्मरण अंक	टिहरी गढ़वाल	–	15
135.	सा0 उत्तराखण्ड आजकल	टिहरी गढ़वाल	–	20
136.	सा0 दैनिक खबर लाये हैं	टिहरी गढ़वाल	–	13
137.	हिमालय और हम	टिहरी गढ़वाल	–	29
138.	मा0 गढ़ रैबार	उत्तरकाशी	52	23

1	2	3	4	5
139.	सा0 अनिकेत	चमोली	35	62
140.	सा0 गंगा–जमुना एक्सप्रेस	चमोली	30	62
141.	सा0 उत्तरी ध्रुव	चमोली	26	19
142.	सा0 बदरीश वाणी	चमोली	20	31
143.	सा0 देवभूमि	चमोली	66	–
144.	साप्ता0 बद्रसूची	चमोली	6	10
145.	सा0 लोक परिवर्तन	देहरादून	96	40
146.	सा0 वादियों की आवाज	देहरादून	32	59
147.	सा0 सीमान्त प्रहरी	देहरादून	17	108
148.	सा0 हिमालय टाईम्स	देहरादून	–	26
149.	सा0 टकाना टाईम्स	देहरादून	29	64
150.	सा0 इन्साफ का सूरज	देहरादून	29	44
151.	सा0 हिलेरी एक्सप्रेस	देहरादून	42	39
152.	सा0 बद्रीविशाल एक्सप्रेस	देहरादून	60	75
153.	सा0 लोक एकता	देहरादून	85	41
154.	सा0 दै0 वैलीमेल	देहरादून	124	344
155.	सा0 गढ़वाल केसरी	देहरादून	46	53
156.	सा0 चलो 21वीं शताब्दी	देहरादून	59	81
157.	सा0 नगरी दून की	देहरादून	19	106
158.	सा0 ऋषि बद्री टाईम्स	देहरादून	55	49
159.	सा0 उत्तरांचल	देहरादून	153	51
160.	सा0 अंनूप सन्देश	देहरादून	27	35
161.	सा0 गढ़वाल एक्सप्रेस	देहरादून	17	55
162.	सा0 सहगल टाईम्स	देहरादून	26	64
163.	सा0 मंजिल के मुसाफिर	देहरादून	21	38
164.	सा0 सपना सुहावना	देहरादून	46	18
165.	पा0 शिखर सन्देश	देहरादून	14	37

1	2	3	4	5
166.	सा0 नया जमाना	देहरादून	282	117
167.	पा0 अदरक के पंजे	देहरादून	15	34
168.	सा0 लाल अखबार	देहरादून	–	34
169.	सा0 फ्रन्टियर मेल	देहरादून	8	–
170.	सा0 गढ़दर्शन मेल	देहरादून	17	58
171.	सा0 गिरिराज हिमालय टाईम्स	देहरादून	30	26
172.	सा0 दूनवाणी	देहरादून	43	93
173.	सा0 कविता एक्सप्रेस	देहरादून	246	198
174.	सा0 घाटी का भारत	देहरादून	89	133
175.	सा0 राम मनोहर झिंझुआ	देहरादून	27	33
176.	सा0 गढ़वाली पी	देहरादून	97	95
177.	सा0 दैली एक्सप्रेस	देहरादून	140	48
178.	सा0 जनजीवन की झांकी	देहरादून	40	39
179.	सा0 गढ़ रत्न मेल	देहरादून	60	21
180.	सा0 गढ़माउ मेल	देहरादून	16	75
181.	सा0 गुलाबी पत्थर	देहरादून	79	59
182.	सा0 गढ़वाल पोस्ट	देहरादून	193	78
183.	सा0 सुबह का उजाला	देहरादून	58	78
184.	सा0 जनता के समाचार	देहरादून	104	85
185.	सा0 दून मेल	देहरादून	227	365
186.	सा0 दून गगन	देहरादून	60	76
187.	सा0 समाचारों का पोस्टमार्टम	देहरादून	92	71
188.	पा0 हिमालय की पुकार	देहरादून	27	41
189.	सा0 एडीसन	देहरादून	39	87
190.	सा0 हिसाब टाईम्स	देहरादून	28	63
191.	सा0 दून पोस्ट	देहरादून	34	39
192.	सा0 अलकनन्दा समाचार	देहरादून	46	50

1	2	3	4	5
193.	सा0 न्यू वे	देहरादून	7	57
194.	सा0 दून प्रसिद्धि	देहरादून	60	37
195.	सा0 दून तरंग	देहरादून	65	32
196.	सा0 दूनअक्ष	देहरादून	38	57
197.	सा0 दून जागृति	देहरादून	41	75
198.	सा0 विशाल हिमालय	देहरादून	32	44
199.	सा0 मुस्करा कर चल दिये	देहरादून	37	26
200.	त्रै0 साहित्य प्रभा	देहरादून	66	48
201.	सा0 हिमालय की ललित कला	देहरादून	29	80
202.	सा0 द्रोण एक्सप्रेस	देहरादून	29	73
203.	सा0 देहरा पत्रिका	देहरादून	41	34
204.	सा0 घाटी के गरजते स्वर	देहरादून	43	39
205.	सा0 दूनद्वार	देहरादून	31	59
206.	सा0 मंसूरी टाईम्स	देहरादून	33	74
207.	सा0 न्यूज प्वाइंट	देहरादून	75	71
208.	सा0 गढ़वाल दर्शन	देहरादून	65	63
209.	सा0 शैलजा दर्शन	देहरादून	46	44
210.	सा0 शिवालिक मेल	देहरादून	50	33
211.	सा0 डायरी दून की	देहरादून	16	49
212.	सा0 दूनदर्शन	देहरादून	146	140
213.	सा0 संजय तराना	देहरादून	45	48
214.	सा0 दहकते स्वर	देहरादून	112	16
215.	सा0 गढ़वाल टाईम्स	देहरादून	88	78
216.	सा0 पर्वतीय	देहरादून	26	32
217.	सा0 दून प्रहरी	देहरादून	30	72
218.	सा0 अरिहन्त एक्सप्रेस	देहरादून	50	47
219.	मा0 पर्वत जन	देहरादून	30	43

1	2	3	4	5
220.	मा0 युगवाणी	देहरादून	65	81
221.	पा0 सोशल विकास	देहरादून	10	12
222.	सा0 हिमालय जाग उठा	देहरादून	47	23
223.	सा0 सोशल शक्ति	देहरादून	35	12
224.	सा0 उत्तरांचल वाणी	देहरादून	40	48
225.	सा0 आज के राजकाज	देहरादून	45	28
226.	सा0 रन्त रैबार	देहरादून	55	81
227.	सा0 दिव्य उत्तरांचल	देहरादून	34	29
228.	सा0 देहरा दर्पण	देहरादून	19	31
229.	सा0 वीरेश टाईम्स	देहरादून	27	72
230.	सा0 हिमालय गौरव उत्तराखण्ड	देहरादून	39	51
231.	सा0 उत्तरांचल की ओर	देहरादून	37	86
232.	सा0 हेमकुण्ड और हिमालय	देहरादून	109	91
233.	सा0 हिमांजलि एक्सप्रेस	देहरादून	20	72
234.	सा0 रमाला टाईम्स	देहरादून	27	76
235.	सा0 उत्तरांचल एक्सप्रेस	देहरादून	19	30
236.	सा0 नवोदित स्वर	देहरादून	38	40
237.	सा0 जनलहर	देहरादून	53	82
238.	सा0 1992	देहरादून	25	38
239.	सा0 ग्रामांचल	देहरादून	62	49
240.	सा0 आज की सुबह	देहरादून	10	29
241.	सा0 शान्ति एवं एकता दर्शन	देहरादून	48	65
242.	पा0 सक्सेज ग्लोरी	देहरादून	32	62
243.	सा0 स्पष्ट भारत	देहरादून	27	31
244.	सा0 द्रोण टाईम्स	देहरादून	—	29
245.	पा0 अभिप्रेरणा	देहरादून	26	31
246.	मा0 मजमून	देहरादून	24	67

1	2	3	4	5
247.	सा0 रीति–नीति	देहरादून	59	–
248.	सा0 पर्वतीय बिगुल	देहरादून	45	48
249.	मा0 जन समस्या निवारण	देहरादून	12	12
250.	मा0 जर्नलिस्ट आफ उत्तरांचल	देहरादून	–	–
251.	सा0 मानव जगत	देहरादून	95	85
252.	सा0 हिम पुष्प	देहरादून	67	104
253.	सा0 बैनगार्ड	देहरादून	45	78
254.	सा0 ज्योति देव	देहरादून	37	35
255.	सा0 कलफिर नहीं आयेगा	देहरादून	28	50
256.	सा0 संकल्प	देहरादून	–	8
257.	सा0 उदय उत्तरांचल	देहरादून	116	46
258.	सा0 सरहद का साथी	देहरादून	57	72
259.	सा0 घाटी के लोग	देहरादून	–	31
260.	सा0 अटल हिमालय	देहरादून	16	34
261.	सा0 अग्निनायक	देहरादून	–	–
262.	सा0 गंगा जल की धारा	देहरादून	28	45
263.	सा0 हिम का आवरण	देहरादून	52	40
264.	सा0 नगराज दर्पण	देहरादून	37	61
265.	सा0 पर्वतीय संवेदना	देहरादून	–	30
266.	सा0 अर्चना दर्पण	देहरादून	32	43
267.	सा0 मजदूर की आवाज	देहरादून	42	23
268.	सा0 प्रभु टाईम्स	देहरादून	41	32
269.	सा0 पर्वत पत्र	देहरादून	10	52
270.	उत्तराखण्ड द्वार	देहरादून	38	77
271.	सा0 उत्तरांचल युग	देहरादून	25	41
272.	सा0 सीमान्त हलचल	देहरादून	31	25
273.	सा0 क्राइम स्टोरी	देहरादून	43	62

1	2	3	4	5
274.	सा0 दून देहरा	देहरादून	44	41
275.	सा0 दून पर्वत	देहरादून	41	74
276.	सा0 उत्तराखण्ड राजकाज	देहरादून	33	31
277.	सा0 नीरज टाईम्स	देहरादून	24	51
278.	सा0 आगाज	देहरादून	45	78
279.	सा0 उत्तरांचल अखबार	देहरादून	35	51
280.	सा0 उत्तरांचल ज्योति	देहरादून	33	29
281.	सा0 उत्तरांचल आस	देहरादून	15	48
282.	सा0 वार्ताद्योत	देहरादून	21	42
283.	सा0 ए–वन पोस्ट	देहरादून	25	35
284.	सा0 पर्वतीय परम्परा	देहरादून	39	16
285.	मा0 गिरी गौरव	देहरादून	7	61
286.	सा0 न्यूज टेण्डर भारत	देहरादून	27	37
287.	सा0 हिमालय से ऊँचा	देहरादून	27	12
288.	सा0 पर्वतीय सुबह	देहरादून	25	52
289.	मा0 सरस्वती सुमन	देहरादून	59	50
290.	सा0 नागराज वार्ता	देहरादून	55	37
291.	सा0 हिम सवेरा	देहरादून	7	31
292.	सा0 उत्तराखण्ड बिगुल	देहरादून	26	31
293.	सा0 भारत रत्न केसरी	देहरादून	28	23
294.	सा0 शिवालिक पोस्ट अंग्रेजी	देहरादून	18	40
295.	सा0 ज्योति देव	देहरादून	13	–
296.	सा0 शिखर की ओर	देहरादून	21	25
297.	मा0 बच्चों का नजरिया	देहरादून	25	25
298.	सा0 मफशिलाईट	देहरादून	45	75
299.	सा0 अग्वाल	देहरादून	33	68
300.	सा0 समय बड़ा बलवान	देहरादून	25	20

1	2	3	4	5
301.	सा0 उत्तरांचल की कलम	देहरादून	41	48
302.	सा0 हर्ष लहर	देहरादून	16	42
303.	सा0 सुबह का सूरज	देहरादून	24	31
304.	सा0 सद्भाव मिलन	देहरादून	30	25
305.	सा0 शस्य श्यामलाम्	देहरादून	43	29
306.	सा0 पढ़ो तो जानो	देहरादून	24	64
307.	सा0 पर्वतीय टाईम्स	देहरादून	20	60
308.	सा0 उत्तरांचल क्रोनिकल	देहरादून	22	35
309.	सा0 बज्र वाहन	देहरादून	9	10
310.	सा0 हिम ज्वाला	देहरादून	9	27
311.	सा0 रायमेल	देहरादून	15	43
312.	सा0 उत्तरांचल इंडिया	देहरादून	42	44
313.	सा0 दून बुलेटिन	देहरादून	18	40
314.	सा0 जन कल्याण टाई0	देहरादून	19	31
315.	पा0 उदात्त हिमालय	देहरादून	6	24
316.	सा0 विभोर वार्ता	देहरादून	40	76
317.	सा0 चरित्र एवं चिन्तन	देहरादून	26	65
318.	सा0 शिखर सारणी	देहरादून	35	16
319.	सा0 कलम की पुकार	देहरादून	25	40
320.	सा0 इन्दिरा भारत	देहरादून	20	38
321.	सा0 भारत नमन	देहरादून	20	41
322.	सा0 सच्चाई की मशाल	देहरादून	33	31
323.	सा0 समाज की कलम	देहरादून	29	36
324.	मा0 निखिल आवाज	देहरादून	3	70
325.	सा0 पल-पल की खबर	देहरादून	63	40
326.	सा0 भारतीय निर्देश	देहरादून	—	43
327.	मा0 उत्तराखण्ड वाणी	देहरादून	36	42

1	2	3	4	5
328.	सा0 जिन्दगी का साया	देहरादून	14	39
329.	सा0 नजरिया खबर	देहरादून	21	37
330.	सा0 उत्तरांचल गुंजन	देहरादून	30	33
331.	सा0 ए-वन मेल	देहरादून	24	16
332.	सा0 उत्तरांचल सचेतना	देहरादून	6	41
333.	सा0 बहुमुखी प्रतिभा	देहरादून	6	10
334.	सा0 द्रोण घाटी	देहरादून	–	3
335.	सा0 पब्लिक वाईस	देहरादून	5	45
336.	सा0 प्रमाण	देहरादून	26	32
337.	सा0 टू दि प्वाइंट	देहरादून	11	39
338.	सा0 तिरंगा हिन्दुस्तान	देहरादून	6	30
339.	सा0 शिखर की दुनिया	देहरादून	3	13
340.	सा0 उत्कर्ष एक्सप्रेस	देहरादून	10	31
341.	सा0 कुसुम बिहार	देहरादून	10	29
342.	सा0 तहरीर	देहरादून	32	–
343.	सा0 स्वराज दर्पण	देहरादून	21	37
344.	सा0 मुख्य सेवक	देहरादून	6	8
345.	सा0 लोक गंगा	देहरादून	21	19
346.	सा0 देश-निर्देश	देहरादून	35	63
347.	सा0 नीरा फीचर्स	देहरादून	33	57
348.	सा0 नीरज ज्योति	देहरादून	33	56
349.	सा0 शम्स एक्सप्रेस	देहरादून	9	16
350.	सा0 कर्मभूमि उत्तरांचल	देहरादून	50	46
351.	सा0 हिमालय पर्वत	देहरादून	10	30
352.	सा0 देवभूमि के लोग	देहरादून	3	56
353.	सा0 निवेश टाईम्स	देहरादून	7	15
354.	सा0 उत्तरांचल विकास	देहरादून	33	48

1	2	3	4	5
355.	पा0 वाक	देहरादून	6	58
356.	पा0 सक्सेज ग्लोरी	देहरादून	26	32
357.	सा0 उत्तरांचल डे टूडे	देहरादून	22	41
358.	सा0 हिमाचल स्टार	देहरादून	11	–
359.	सा0 गढ़वाल स्टैप्स	देहरादून	35	59
360.	सा0 गुनाहों की घाटी	देहरादून	6	–
361.	सा0 गढ़वाल की पुकार	देहरादून	9	49
362.	सा0 उत्तरांचल का आंचल	देहरादून	30	–
363.	सा0 हिमालय की गोद में	देहरादून	6	25
364.	पा0 मां लक्ष्मी	देहरादून	27	40
365.	सा0 उत्तरांचल दै	देहरादून	46	51
366.	सा0 उत्तरांचल इंडिया अंग्रेजी	देहरादून	22	22
367.	सा0 शिखरों का शहर दून	देहरादून	6	24
368.	सा0 द्रोणघाटी टाईम्स	देहरादून	19	20
369.	मा0 गढ़जागर	देहरादून	19	39
370.	सा0 सुपर साइड अंग्रेजी	देहरादून	5	–
371.	सा0 श्रमिक दर्पण	देहरादून	6	34
372.	मा0 उत्तरांचल	देहरादून	49	–
373.	सा0 विश्व पुरोधा	देहरादून	21	128
374.	पा0 हाईलैण्ड मेल	देहरादून	13	5
375.	मा0 उत्तराखण्ड शक्ति	देहरादून	21	40
376.	सा0 कलयुग सत्ता अखबार	देहरादून	9	42
377.	मा0 देहरादून सिटी मैग्जीन	देहरादून	6	–
378.	सा0 वाईस ओवर	देहरादून	38	26
379.	सा0 उत्तराखण्ड चेतना	देहरादून	7	62
380.	सा0 नितेश टाईम्स	देहरादून	–	31
381.	सा0 उत्तरांचल बसुन्धरा	देहरादून	9	16

1	2	3	4	5
382.	सा० हेमकुण्ड	देहरादून	13	–
383.	सा० विभु टाईम्स	देहरादून	9	28
384.	मा० इण्डो पीपुल्स	देहरादून	3	18
385.	सा० अपनी–अपनी राहें	देहरादून	25	47
386.	सा० उत्तरांचल समीक्षा	देहरादून	115	19
387.	सा० वी०टी० न्यूज	देहरादून	3	45
388.	सा० उत्तराखण्डी आईना	देहरादून	13	–
389.	मा० विनर टूडे	देहरादून	6	18
390.	मा० साई सहारा	देहरादून	6	36
391.	सा० हिमालय की आंधी	देहरादून	–	15
392.	सा० हर पल की हमें खबर	देहरादून	–	37
393.	सा० हिम सवेरा	देहरादून	–	21
394.	सा० उत्तराखण्ड के लाल	देहरादून	–	16
395.	स्मा० उत्तरांचल सिविल सेवासंघ	देहरादून	–	15
396.	सा० उत्तरांचल की शान	देहरादून	–	10
397.	स्मा० उत्तरांचल प्रेस क्लब	देहरादून	120	200
398.	सा० उत्तरांचल की धरोहर	देहरादून	–	13
399.	स्मारिका उत्तरांचल बाल–कल्याण	देहरादून	–	50
400.	सा० पब्लिक से आमना–सामना	देहरादून	–	21
401.	मा० हलन्त	देहरादून	40	36
402.	सा० हिम की लहर	देहरादून	–	41
403.	सा० हिमालय पर्वत	देहरादून	–	42
404.	सा० हिमालय की सच्चाई	देहरादून	–	3
405.	मा० पूर्वांचल मेल	देहरादून	3	42
406.	मा० पर्वतीय परवाना	देहरादून	–	60

1	2	3	4	5
407.	सा0 प्रतापनगर एक्सप्रेस	देहरादून	—	41
408.	सा0 लम्बनाथ एक्सप्रेस	देहरादून	—	48
409.	स्मारिका परमार्थ	देहरादून	—	15
410.	मा0 पर्वत पीयूष	देहरादून	—	68
411.	सा0 पर्वतीय सत्ता	देहरादून	—	15
412.	सा0 चूड़ामणि सन्देश	देहरादून	—	24
413.	सा0 देवपथ	देहरादून	—	31
414.	सा0 देश दुलारा	देहरादून	—	31
415.	सा0 दूनद्वारा	देहरादून	—	31
416.	सा0 दून व्यू	देहरादून	—	31
417.	सा0 द्रोण भूमि	देहरादून	—	31
418.	सा0 दाखिल खारिज	देहरादून	—	22
419.	सा0 दर्पण दरबार	देहरादून	—	9
420.	सा0 शक्ति दर्पण	देहरादून	—	20
421.	सा0 कब कौन कहां उत्तराखण्ड	देहरादून	—	9
422.	सा0 काफल पाको	देहरादून	—	3
423.	सा0 गढ़उत्थान	देहरादून	—	15
424.	सा0 गढ़वैराट	देहरादून	—	24
425.	सा0 गुनाहों का देवता	देहरादून	—	21
426.	मा0 साईड स्टोरी	देहरादून	—	43
427.	सा0 शिवालिक ब्लिट्ज्	देहरादून	—	50
428.	सा0 शम्स एक्सप्रेस	देहरादून	—	22
429.	सा0 शिवानी टाईम्स	देहरादून	—	30
430.	सा0 संस्कार दर्पण	देहरादून	—	25
431.	सा0 टाईटैनिक एक्सप्रेस	देहरादून	—	44
432.	स्मा0 शिव शक्ति जन कल्याण	देहरादून	—	10
433.	सा0 अटल रहे हिमालय	देहरादून	9	41
434.	सा0 राधे संदेश	देहरादून	—	31

1	2	3	4	5
435.	स्मा0 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	देहरादून	—	30
436.	स्मा0 राष्ट्रीय एकता परिषद्	देहरादून	10	10
437.	स्मा0 वेलफेयर सोसायटी	देहरादून	—	10
438.	सा0 धरा तुझसे छोटी	देहरादून	—	3
439.	सा0 अंकिता दर्पण	देहरादून	—	15
440.	स्मा0 विचार मंच (अभिव्यक्ति)	देहरादून	—	16
441.	त्रै0 जन स्पन्दन	देहरादून	—	25
442.	सा0 मानव चेतना	देहरादून	—	3
443.	मा0 नगरी	देहरादून	—	3
444.	सा0 लोक तिलक	देहरादून	27	29
445.	सा0 इस सदी की आवाज	देहरादून	8	54
446.	स्मा0 संस्कृति साहित्य कला शिक्षा	देहरादून	—	5
447.	स्मा0 आई0[illegible]ए0 ब्लड बैंक ऑफ	देहरादून	—	20
448.	स्मा0 क्रिकेट एसोशियेशन ऑफ	देहरादून	—	30
449.	सा0 अतुल्य भारत	देहरादून	—	19
450.	सा0 जागरुक उत्तरांचल	देहरादून	—	9
451.	सा0 सशक्त लेखनी	देहरादून	—	25
452.	सा0 ग्रामीण चिट्ठी	देहरादून	—	11
453.	सा0 मैदानी आवाज	देहरादून	—	9
454.	सा0 उदय मेल	देहरादून	—	10
455.	सा0 डेटलाईन समाचार	देहरादून	—	32
456.	सा0 पर्वत वार्ता	देहरादून	—	10
457.	सा0 पंजाब सर्वश्री	देहरादून	—	16
458.	सा0 शिवालिक पोस्ट	देहरादून	—	15
459.	सा0 उत्तरांचल नमन	देहरादून	—	25
460.	सा0 घाटी की लहर	देहरादून	—	3

1	2	3	4	5
461.	सा0 आज का अर्जुन	देहरादून	–	3
462.	सा0 दून मसूरी टाईम्स	देहरादून	–	3
463.	सा0 समस्या मलिन जगत की	देहरादून	–	12
464.	सा0 बसन्त संवाद	देहरादून	–	17
465.	सा0 हिमालय पुत्र	देहरादून	–	15
466.	सा0 पूजा की कलम	देहरादून	–	15
467.	सा0 जननी जन्म भूमिस्य च	देहरादून	–	9
468.	सा0 मां लक्ष्मी	देहरादून	–	3
469.	सा0 सुख शक्ति दर्पण	देहरादून	–	10
470.	सा0 उत्तरांचल की खुशबू	देहरादून	–	21
471.	सा0 उत्तरांचल का सपना	देहरादून	–	10
472.	पा0 सुन्दर दून	देहरादून	–	6
473.	सा0 लाखा–मण्डल	देहरादून	–	7
474.	सा0 जुल्म की नगरी	देहरादून	–	3
475.	सा0 गाण्डी एक्सप्रेस	देहरादून	–	3
476.	सा0 ऐलान ए वर्तन	देहरादून	–	3
477.	मा0 मंसूरी का कैम्टीफॉल	देहरादून	–	6
478.	सा0 मोहित पुरा	देहरादून	–	6
479.	मा0 जन समस्या निवारण पत्रिका	देहरादून	–	6
480.	मा0 जोखिम	देहरादून	–	3
481.	सा0 समाज की तस्वीर	देहरादून	–	19
482.	सा0 गगन सवेरा	देहरादून	–	19
483.	सा0 शिखर दर्पण	देहरादून	–	3
484.	मा0 अनन्त आवाज	देहरादून	–	15
485.	स्मा0 धरोहर 2006	देहरादून	–	10
486.	मा0 हिमवाणी	देहरादून	–	29
487.	स्मा0 डिफेन्स इन्स्ट मेन्टस इम्पलाईज	देहरादून	–	20

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–44 पर)

जनपद पौड़ी में करँखाल से ग्राम गोदी (बड़ी) मोटर मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत काश्तकारों को मुआवजा भुगतान की सूची :-

क्र0 सं0	खाता संख्या	भूमिधर का नाम	अर्जित खेत नं0	अर्जित खेत है0	प्रतिकर की धनराशि @ Rs. 1,43,750.00 प्रति है0
1	2	3	4	5	6
1.	1	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री नबरूदीन	520	0.010	
			559	0.008	
			574	0.005	
			575	0.016	
			580/1	0.010	
			योग	0.049	7043.75
2.	2	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवरलाल	568	0.005	
			569	0.000	
			581/1	0.003	
			582	0.005	
			588	0.003	
			519	0.038	
			योग	0.088	12650.00
3.	3	1–श्री बचन सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह	572	0.076	
			573	0.016	
			योग	0.092	13225.00
4.		2–श्री जगत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	573	0.009	
			560	0.013	
			518	0.018	
			585	0.006	
			योग	0.046	6612.00

1	2	3	4	5	6
5.	4	1–श्री बचन सिंह	589	0.023	
		पुत्र श्री आनन्द सिंह	591	0.038	
			593	0.031	
			योग	0.092	13225.00
6.		2–श्री जगत सिंह	517	0.020	
		पुत्र श्री नारायण सिंह	570	0.024	
			587	0.003	
			योग	0.047	6756.00
7.	5	1–श्री अब्दुल रहमान	594	0.005	
		पुत्र श्री नबरुद्दीन			
			योग	0.005	7180.75
8.	2	श्री जगदीश प्रसाद	362	0.066	
		पुत्र श्री महानन्द	363	0.035	
			171	0.010	
			योग	0.111	15,956.00
9.	3	श्री मदनमोहन	209	0.009	
		पुत्र श्री चक्रधर	210	0.001	
			250	0.001	
			152	0.016	
			157	0.001	
			158	0.025	
			161	0.054	
			168	0.001	
			169	0.001	
			170	0.006	
			199	0.015	
			153	0.001	
			312	0.006	
			361	0.005	
			योग	0.142	20413.00

1	2	3	4	5	6
10.	7	1–श्री चन्द्र प्रकाश	228	0.010	
		पुत्र श्री रोशनलाल			
			योग	0.010	1437.50
11.		2–श्री पूरण सिंह	225	0.001	
		पुत्र श्री रोशनलाल			
			योग	0.001	143.75
12.		3–श्री मोहन लाल	229	0.015	
		पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	230	0.004	
			योग	0.019	2731.00
13.	8	1–श्री पूरण सिंह	139	0.020	
		पुत्र श्री मोहनलाल	221	0.008	
			222	0.014	
			327	0.025	
			341	0.001	
			348	0.015	
			योग	0.083	11931.00
14.		2–श्री वीरेन्द्र सिंह	331	0.040	
		पुत्र श्री मंगल सिंह	361	0.011	
			योग	0.051	7331.00
15.	8	श्री गजेन्द्र सिंह	137	0.010	
		पुत्र श्री मुरली सिंह	138	0.025	
			140	0.040	
			330	0.013	
			332	0.015	
			333	0.005	
			346	0.008	
			380	0.025	
			350	0.001	
			योग	0.142	20412.00

1	2	3	4	5	6
16.	10	श्री मोहनलाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	172 173 174 228 261 326 359	0.070 0.051 0.005 0.003 0.010 0.018 0.025	
			योग	0.182	26162.00
17.	11	1—श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रोशनलाल	223 224 227 347 342 328 329 349	0.015 0.004 0.005 0.011 0.001 0.010 0.004 0.003	
			योग	0.053	7618.00
18.		2—श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह	263	0.025	
			योग	0.025	3593.00
			महायोग		1,84,420.76

पी०एस०यू० (आर०ई०) 29 वि० सभा/659-7-3-2009-200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।